लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र]

Thirteenth Session

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
18-6-94
Fumigated
On ... 12-83
Parliament Library

[खंड 49 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XLIX contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 26—गुरुवार, 9 दिसम्बर, 1965/18 अग्रहायण, 1887 (शक)

No. 26—*Thursday, December* 9, 1965/*Agrahayana* 18, 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
744	डा० टी० सैफुद्दीन द्वारा धन संग्रह	Accumulation of Wealth by Dr. T. Saifuddin	2408-11
745	महलनबीस समिति का प्रतिवेदन	Mahalanobis Committee's Report .	2411-13
746	अचल शहरी सम्पत्ति पर कर	Tax on Immovable Urban Property	2413-15
749	एकाधिकार आयोग	Monopolies Commission . .	2416-19
751	तंत्रि शल्य चिकित्सा, हृदय-शल्य चिकित्सा तथा मनोविकार विज्ञान में प्रशिक्षण	Training in Neuro-Surgery, Cardiac Surgery and Psychiatry . .	2419-21
752	औद्योगिक वित्त निगम	Industrial Finance Corporation .	2421-23
753	दिल्ली में बिजली तैयार करना	Power Generation in Delhi . .	2423-24
755	राजधानी में नेताओं की मूर्तियों का लगाया जाना	Installation of Statues, of Leaders in the Capital	2425-27

अ० सु० प्र० संख्या S. N. Q. Nos.			
9	तुत्तुक्कडि का तापीय बिजलीघर	Tuticorin Thermal Power Stations .	2427-29
10	मध्य प्रदेश मे खण्ड विकास अधिकारी के पद को समाप्त करना	Abolition of the Post of Block Development officer in Madhya Pradesh	2429-34

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
747	कोसी नदी पर बान्ध	Barrage on the River Kosi . .	2434-35
748	युद्ध जोखिम बीमा	War Risks Insurance . . .	2435
750	हुगली नदी पर पुल	Bridge Across Hooghly . .	2435
754	बर्ड एण्ड कम्पनी	Bird and Co. . . .	2435

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बातका द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पुछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
756	इंडियन आक्सीजन लिमिटेड, कलकत्ता	Indian Oxygen Ltd., Calcutta	2436
757	प्रमुख परियोजनाओं का स्थान	Location of Major Projects	2436
758	मद्रास नगर के लिये पेय जल व्यवस्था	Drinking Water Supply for Madras City	2436-37
759	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता	D.A. to Central Government Employees	2437
760	ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियां	Rural Electric Co-operatives	2437-38
761	विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange	2438
762	आय-कर पदाधिकारियों की भर्ती	Recruitment of Income Tax Officers	2438-39
763	दिल्ली में "लकी ड्रा" योजनायें	Lucky Draw Schemes in Delhi	2439
764	दिल्ली में खाद्य के विषाक्त होने की घटनायें	Food Poisoning Cases in Delhi	2439
765	बचत आन्दोलन	Economy Drive	2440
766	खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना	Prevention of Food Adulteration	2440
767	बम्बई में काले धन का पता लगाने के लिये मारे गये छापे	Raids to unearth black money in Bombay	2440-41
768	चौथी योजना के लिये विदेशी-सहायता	Foreign Assistance for Fourth Plan	2441
769	नई दिल्ली के इन्द्रप्रस्थ बिजली - घर में आग लगना	Fire in Indraprastha Power Station, New Delhi	2441
770	रेडियो आइसोटोप्स का प्रयोग	Use of Radio-isotopes	2441-42
771	कृषि उत्पादन कार्यक्रम	Agricultural Production Programmes	2442
772	नहरी पानी की सप्लाई के लिये पाकिस्तान की मांग	Pakistan's Demand for Canal Water Supplies	2442
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
2133	पूर्वी क्षेत्र में परिवहन सर्वेक्षण	Survey of Transoport in Eastern Region	2442-43
2134	राज्यवार प्रति व्यक्ति आय	State wise per Capita Income	2443-44
2135	रेत सिंचाई परियोजना (उडीसा)	Ret Irrigation Project (Orissa)	2444
2136	उदन्ती सिंचाई परियोजना (उडीसा)	Udanti Irrigation Project (Orissa)	2445
2137	इन्द्र सिंचाई परियोजना (उडीसा)	Indra Irrigation Project (Orissa)	2445-46
2138	जोंक सिंचाई परियोजना (उडीसा)	Jonk Irrigation Project (Orissa)	2446-47

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2139	सागदा सिंचाई परियोजना (उडीसा)	Sagada Irrigation Project (Orissa) .	2447
2140	दिल्ली में यमुना तल से पानी	Water from Jamuna Bed, Delhi ·	2448
2141	नई दिल्ली में कई-मंजिला गैरेज	Multi-Stored Garage in New Delhi	2448
2142	कैलाश कालोनी, नई दिल्ली के लिए केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा औषधालय	C.G.H.S. Dispensary for Kailash Colony, New Delhi . .	2448-49
2143	बडागरा केरल में जल सम्भरण	Water Supply in Badagara, Kerala	2449
2144	बडागरा, केरल में बिजली की सप्लाई	Electricity Supply in Badagara, (Kerala)	2449
2145	माहे में भूमि सुधार	Land Reforms in Mahe . .	2449
2146	नई दिल्ली के गोल मार्केट क्षत्र में दुमंजिले क्वार्टर	Double-Storey Quarters in Gole Market Area, New Delhi . .	2450
2147	खाली भूखण्डों पर मकानों का निर्माण	Construction of Houses on Vacant Plots	2450
2148	नेशनल रायफल एसोसियेशन आफ इंडिया के लिये चांदमारी के लिये स्थान	Site for Range for National Rifle Association of India . .	2450-51
2149	व्ययकर	Expenditure Tax	2451
2150	कोयना परियोजना	Koyna Project	2451-52
2151	शारदा गंगा ग्रिड	Sharda-Ganga Grid . . .	2452
2152	गर्भ-निरोध में अनुसन्धान	Research in Birth Control . .	2452-53
2153	बम्बई पत्तन पर पाकिस्तान को भेजी गई मुहरबन्द पेटियों का जब्त किया जाना	Seizure of Sealed Boxes for Pak at Bombay Port . . .	2453
2154	पंजाब में नलकूप	Tube wells in Punjab . . .	2453
2155	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का आयुर्वेदिक औषधालय	C.G.H.S. Ayurvedic Dispensary .	2453
2156	हुसैनीवाला हैडवर्क्स पर बमबारी	Bombing of Hussainiwala Headworks	2454
2157	मकानों की कमी	Housing Shortage . . .	2454
2158	ब्रिटेन से ऋण भुगतान शेष	Balance of Payments Loan From U.K.	2454-55
2159	भवन निर्माण समितियों का सम्मेलन	Conference of Building Societies .	2455
2160	एक भारतीय द्वारा विदेश में एक कारखाना स्थापित किया जाना	Setting up of a Factory Abroad by an Indian . . .	2455

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2161	जब्त किये गये माल की बिक्री	Sale of Confiscated Goods	2455-56
2162	गुलाबी बाग, दिल्ली में अस्पताल	Hospital in Gulabi Bagh, Delhi	2456
2163	दिल्ली में झुग्गी-झोपडी योजना	Jhuggi Jhompri Scheme in Delhi	2456-57
2164	दिल्ली वृहत् योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय योजनायें	Zonal Plans under Delhi Master Plan	2457-58
2165	दिल्ली में गैर-सरकारी बस्तियां	Private Colonies in Delhi	2458
2166	इंजीनियर और भूतत्ववेत्ता	Engineers and Geologists	2458
2167	कानपुर में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे	Raids in Kanpur by Income Tax Authorities	2459
2168	उडीसा में पंचायत समिति उद्योग	Panchayat Samiti Industries in Orissa	2459
2169	महालेखापाल, उड़ीसा, के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण	Construction of Quarters for Employees of A.G. Orissa.	2459
2170	उड़ीसा को अनुदान	Grants to Orissa	2460
2171	उड़ीसा के महालेखापाल के कार्यालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	S.C. & S.T. Employees in Office of A.G. Orissa	2460
2172	नागार्जुनसागर परियोजना	Nagarjunasagar Project	2460
2173	मुद्रा का पकड़ा जाना	Seizure of Currency	2460-61
2174	मैसूर में सिंचाई और विद्युत परियोजनायें	Irrigation and Power Projects in Mysore	2461
2175	मच्छर-नाशक के रूप में अखबारी कागज़	Newsprint as Mosquito Killer	2461
2176	तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा	Technical Training Centre at Kotah	2461-62
2177	विदेशी मुद्रा रखने के कारण गिरफ्तारी	Arrests for Possession of Foreign Exchange	2462
2178	राज्यों के विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of Ministers of Power of States	2462
2179	रणजीत होटल, दिल्ली	Ranjit Hotel, Delhi	2462-63
2180	नये कार्यालय भवन	New Office Buildings	2463
2181	उत्तर प्रदेश में सोने का तस्कर व्यापार	Gold Smuggling in U.P.	2463-64
2182	राज्यों में विद्युत उत्पादन	Power Production in States	2464
2183	जीवन बीमा निगम की पालिसियां	L.I.C. Policies	2464
2184	यूनानी सलाहकार समिति	Unani Advisory Committee	2464-65

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2185	यूनानी चिकित्सा प्रणाली	Unani System of Medicine . .	2465
2186	यूनानी चिकित्सा प्रणाली के स्नातक	Graduates in Unani System of Medicine	2465
2187	पालना, (राजस्थान) में तापीय बिजली घर	Thermal Power Plant at Palana (Rajasthan) . . .	2465-66
2188	स्थायी कर्मचारियों की आवश्यकता की जांच करने के लिये समिति	Committee to Examine Permanent Staff Requirements . . .	2466
2189	प्रसूति गृह	Maternity Home	2466
2190	पिछड़े प्रान्त	Backward Regions . . .	2467
2191	हिमीकरण द्वारा सुखाया गया प्लाज्मा	Freeze Dried Plasma .	2467
2192	चीनी उद्योग को सहायता	Assistance to Sugar Industry .	2467
2193	बम्बई में तस्कर-व्यापार	Smuggling in Bombay . . .	2467-68
2194	सरकारी कर्मचारियों को शिक्षा भत्ता	Educational Allowances to Government Employees . . .	2468
2195	रूसी सहायता से बनाई गई औद्योगिक परियोजनायें	Industrial Projects Built with Soviet Assistance	2468-69
2196	आनन्दपुर बांध योजना	Anandapur Barrage Scheme. .	2469
2197	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा स्वर्ण बौंड तथा प्रतिरक्षा ऋण योजनायें	National Defence Gold Bonds and Defence Loans Schemes . .	2470
2198	राज्य विद्युत् बोर्डों के अध्यक्षों का सम्मेलन	Conference of Chairmen of State Electricity Boards . . .	2470
2199	उर्वरता औषध	Fertility Drugs . . .	2470-71
2200	ब्रिटेन से ऋण	Loan from U.K. . . .	2471
2201	राज्यस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्रों में सिंचाई	Irrigation of Barmer and Jaisalmer areas of Rajasthan . . .	2471
2202	दिल्ली में सार्वजनिक नल	Public Hydrants in Delhi . .	2472
2203	इलाहाबाद में यात्रियों से पकड़ा गया सोना	Gold Seized from Passengers at Allahabad	2472
2204	एल्लेपी में सोने का पकडा जाना	Seizure of Gold at Allepy . .	2472-73
2205	अर्थशास्त्रियों की समिति	Committee of Economists . .	2473
2206	सरकारी बस्तियों में दुकानों और क्वार्टरों को खाली कराया जाना	Eviction from Shops and Quarters in Government Colonies . .	2473
2207	नई दिल्ली में सरकारी आवास के लिये देय किराया	Rent Payable for Government Accommodation in New Delhi .	2474-75

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2208	तावा परियोजना	Tawa Project	2475
2209	बैंक आफ चाइना के भूतपूर्व कर्मचारी	Former Emloyees of Bank of China	2476
2210	शहरों का विकास	Development of Cities . . .	2476
2211	जालोन तथा कानपुर में व्यापारिक संस्थाओं पर छापे	Raiding of Business Concerns in Jalaun and Kanpur . . .	2476
2212	मैसुर ग्रामीण जल सम्भरण योजनायें	Mysore Rural Water Supply Schemes	2477
2213	भूमिगत जल निकास योजना, मंगलौर	Underground Drainage Scheme, Mangalore	2477
2214	दिल्ली में विषाक्त खाद्य सम्बधी घटनायें	Food Poisoning Cases in Delhi .	2477-78
2215	जाकम बांध (राजस्थान)	Jakam Dam (Rajasthan) . .	2478-79
2216	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर	Assistant Engineers in C.P.W.D. .	2479
2217	मंगलौर जल सम्भरण योजना	Mangalore Water Supply Scheme .	2479
2218	चिट फण्ड कम्पनियों पर छापा	Raid on Chit Funds . . .	2479-80
2218-क	सोन बान्ध-व-सड़क पुल	Sone Barrage-cum-Road Bridge .	2480
2218-ख	समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance . . .	2480-2481
2218-ग	जापान से उधार माल	Credit Deliveries from Japan .	2481
2218-घ	अभाव वाले तथा पिछडे हुए क्षेत्र	Scarcity and Backward Areas .	2481
	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों की हडताल सम्बन्धी ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में	Re : Calling Attention on Strike of CGHS Doctors . . .	2482
	व्यवस्था के प्रश्नों के बारे में	Re : Points of Order	2482-87
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	2487-92
	सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	Committee on Absence of Members from the sittings of the House—	
	कार्यवाही-सारांश	Minutes	2492
	राज्य-सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha .	2492
	बोनस संदाय (पेमेन्ट) अधिनियम को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर लागु करने के बारे में वक्तव्य—	Statement Re : Applicability of Payment of Bonus Act to Public Sector Undertakings	
	श्री संजीवय्या	Shri D.B. Sanjivayya . .	2493-94

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प—स्वीकृत—	Resolution Re : Report of Railway Convention Committee—adopted—	
श्री अल्वारिस	Shri Alvares	2494-95
श्री व० बा० गांधी	Shri V.B. Gandhi	2495
डा० उ० मिश्र	Dr. U. Misra	2496
श्री स० चं० सामन्त	Shri S. C. Samanta	2496
श्री शिकरे	Shri Shinkre	2496-97
श्री अ० सिं० सहगल	Shri A. S. Saigal	2497
श्री च० का० भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya	2497
श्री यशपाल सिंह	Shri Yeshpal Singh	2497-98
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	2498
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey	2498-99
श्री द्वा० ना० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	2499
श्री सिंहासन सिंह	Shri Sinhasan Singh	2499-2500
श्री चन्द्रमणिलाल चौधरी	Shri Chandramani Lal Chaudhry	2500
श्री स० का० पाटिल	Shri S. K. Patil	2500-02
दिल्ली उच्च न्यायालय विधेयक—	Delhi High Court Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री हाथी	Shri Hathi	2502-03
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	2503-04
श्री नि० चं० चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee	2504-05
श्री कपूर सिंह	Shri Kapur Singh	2505
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sewak Yadav	2505-06
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	2506
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi	2506-07
श्री बाल्मीकी	Shri Balmiki	2507
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	2510
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi	2510-11
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	2511
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey	2511
डा० मा० श्री० अणे	Dr. M. S. Aney	2512
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों द्वारा हडताल की धमकी	Threatened Strike by CGHS Doctors	2508-10

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 9 दिसम्बर, 1965/18 अग्रहायण, 1887 (शक)
Thursday, December 9, 1965/Agrahayana 18, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

डा० टी० सैफुद्दीन द्वारा धन संग्रह

***744. श्री कपूर सिंह :**
श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 सितम्बर, 1965 के 'मार्च आफ दि नेशन' साप्ताहिक (पृष्ठ 4) में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दावुदी बोहोराओं के प्रधान धर्मगुरु, डा० टी० सैइफुद्दीन ने अवैध तरीके से बहुत सम्पत्ति संग्रह कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : जांच पड़ताल चल रही है।

श्री कपूर सिंह : डा० टी० सैइफुद्दीन अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। मुझे केवल सार्वजनिक कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए यह अनुपूरक प्रश्न पूछना पड़ रहा है।

क्या इस बात का कोई प्रमाण मिला है कि धर्मगुरू सैइफुद्दीन का परिवार विदेशी मुद्रा के नियमों के उल्लंघन कर के विदेशों में धन भेज रहा था ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : इन सब मामलों की जांच की जा रही है। जब तक जांच पूर्ण न हो जाये हम निश्चित रूप से कुछ नहीं बता सकते।

श्री कपूर सिंह : क्या यह बात सरकार की जानकारी में है कि इस परिवार के धन का बहुत बड़ा भाग विदेशों मे लगा हुआ है और यदि हां, तो क्या इस धन पर इस देश के कर नियमों और संपदा शुल्क नियमों के अन्तर्गत कर लगाया जायेगा ?

वित्त मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : स्थिति यह है कि कुछ आरोप लगाये गये थे और उन की जांच की जा रही है। जब तक मुझे जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती मैं कुछ अधिक नहीं बता सकता।

श्री जोकीम आल्वा : महामहिम आगाखां और बोहरा समुदाय के परमपावन धर्मगुरु ने भी बहुत बड़ी मात्रा में धन का संग्रह कर रखा है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस प्रश्न से आगे नहीं जाएंगे।

श्री जोकीम आल्वा : क्या संचित धन पर कर लगाने के बारे में सरकार की नीति समान है? कई बार कर अपवंचन के मामले भी होते हैं। मुझे उन का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यदि कोई जानकारी प्राप्त होती है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे और यदि जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी तो कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बोहरा समाज के मुखिया बोहरा समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति से उस की आय का 8 प्रतिशत धर्मकर के रुप में लेते हैं और वे अपने धन को इस देश में न लगा कर विदेशों में लगा रहे हैं? क्या सरकार ने इस धन की ओर भी ध्यान दिया है?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैंने बताया है जांच पड़ताल की जा रही है। मुझे इस से अधिक जानकारी नही है। मैं जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

Shri Sidheshwar Prasad : The hon. Minister has just now stated that investigations are in progress. May I know since when the investigations are being made and to whom this investigation work is entrusted ?

Shri B. R. Bhagat : The investigations are being made by the Income tax department.

Shri Yashpal Singh : There is a tradition of having 'Gurus' in India and the disciples have always been paying them in cash or kind and it has not been a crime in India. Shri Kamath is my 'Guru' and I have always been serving him.....

Mr. Speaker : The objection is not on receiving offerings by 'Gurus' but it is on the 'making' of offerings. It is said that Gurus do not pay anything for what they receive.

Shri Yashpal Singh : How much money they have accumulated and after this

Mr. Speaker : The question is that they have not been paying income tax on it.

Shri Yashpal Singh : May I know by what time the income tax would be realised?

Mr. Speaker : It will take some time.

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच नहीं है कि गृह-कार्य मंत्रालय या वित्त मंत्रालय की प्रवर्तन शाखा या जांच करने वाले किसी दूसरे अभिकरण ने उन व्यक्तियों के, जिन का उल्लेख गत फरवरी में यहां किया गया था, रोबार की जगह या उन के घरों पर छापे मारे थे और उन्होंने गृह-कार्य मंत्रालय को

एक रिपोर्ट पेश की थी जिस में उन के विरुद्ध अभियोग चलाये जाने के लिये पूरी सामग्री तथा युक्ति यूक्तता थी और क्या यह सच नहीं है कि कुछ साम्प्रदायिक विचारों के कारण, जिनका धर्म निरपेक्ष राज्य में कोई स्थान नहीं है, इस मामले को यद्यपि पूर्णतः दबाया नहीं गया है, तो भी इस पर आगे विचार नहीं किया गया है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैं ने बताया है मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं। मुझे कुछ बताने से पूर्व तथ्यों की जांच करनी है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister has stated that the investigations are in progress. I would like to know the names of the countries where Dr. T. Saifuddin has invested his wealth and I would also like to know the amount standing in the name of each member of his family and names thereof. and the amount of Income tax to be realised from him. May I know whether all these things are being looked into and by what time the report will be prepared ?

Shri B. R. Bhagat : The investigation is in progress about all the complaints which have been received. It is difficult to state when the report will be prepared.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Some time-limit should be given— one year two years, etc.

Mr. Speaker : When everything is to be looked into how any time limit can be given.

श्रीमती सावित्री निगम : जब यह बात सरकार की जानकारी में आ गई थी तो सरकार ने अभी तक कर की प्राप्ति के बिना इतनी बड़ी मात्रा में धन को उन के पास इकट्ठा क्यों होने दिया ?

Shri B. R. Bhagat : A news was published in the Weekly newspaper on the 18th September, 1965 in this regard.

श्रीमती विमला देशमुख : क्या सरकार को इस बात का पता है कि डा० सईफुद्दीन ने ट्रस्ट के एक भवन के एक कमरे को किराये पर देने के लिये 16,000 रुपये 'पगड़ी' ली है ?

अध्यक्ष महोदय : हम यह नही कह सकते।

श्री दी० चं० शर्मा : जब कि यह धन पीढ़ी से पीढ़ी इकट्ठा किया जा रहा है तो क्या सरकार यह जानने के लिये कि इस भद्र के पास कितना धन है इस परिवार के न केवल चालू वर्ष अपितु गत वर्ष के खातों को देखगी ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैं ने पहले बताया है कुछ जांच पड़ताल हो रही है। बहुत सी शिकायतें जो प्राप्त हुई है वे सामान्य रूप की है। यदि जांच के पश्चात हमें कुछ और जानकारी प्राप्त हुई तो हम उस पर भी विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : जांच करने वाले अधिकारियों को ये प्रश्न भी बताये जायेंगे।

Mahalanobis Committee's Report

+

***745. Shri Sidheshwar Prasad :** **Shri N. P. Yadav :**
Shri Heda : **Shri D. C. Sharma :**
Shri Bibhuti Mishra :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Mahalanobis Committee has submitted the second part of its report on the distribution of National Income;

(b) if so, the salient features thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

(c) The committee could not complete its work till now because the work is of technical nature and that it invalves examination of intricate data.

Shri Sidheshwar Prasad : For the last so many sessions the members have been asking questions with the intention to know whether pressure from many sides is being put on the Government not to publish the second part of the report. I would like to know how far it is correct ?

Shri B. R. Bhagat : There is no question of any pressure being put on the Government.

Shri Sidheshwar Prasad : This Committee was set up in 1960. The former Prime Minister stated at that time that the increase in National Wealth has not been distributed equally. The report of the Monopoly Commission which was set up after that had already been laid on the Table of the House. It has been stated in that report that there is no doubt in this thing that monopoly system is on the increase in the economic field. In the circumstances what steps Government propose to take that the monopoly could be done away with and income could be distributed equally ?

Shri B. R. Bhagat : So far as the question in regard to the monopoly in the economic field is concerned, the Commission has already given its report and the Government will now consider this report. I am aware of the doubts of the hon. member so far as the report of the Committee is concerned. I have already made it known to the chairman and members of the committee. I am also aware of this thing that last time I stated that some final report would be published by the end of the year. But I regret to say that the report is not likely to be published by the end of this year. The members of the Committee have shown their helplessness in publishing the report early.

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस कार्य में विलम्ब किस स्थान पर हो रहा है ? क्या यह विलम्ब आकड़े बनाने वाले मन्त्रालय, वित्त मन्त्रालय, प्रो० महलनबीस के पास या समिति के सदस्यों के पास इस कार्य में विलम्ब हो रहा है जिन को इस महत्वपूर्ण और जल्दी वाले कार्य को करने के लिये समय नहीं मिलता है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : उत्तर पहले दिया जा चुका है। मैं जानता हूं कि सदस्यों को इस बारे में पहले भी चिंता थी। मैं ने अपने मुख्य आर्थिक सलाहकार को समिति के सभापति को मिलने और उन से इस बारे में बात करने को कहा था। ऐसा लगता है कि समिति के सदस्यों के विचार एक से नहीं हैं। वास्तव में सभापति ने सदस्यों को अलग अलग रिपोर्ट देने के लिये कहा था परन्तु वे आपस में भेदों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस लिये रिपोर्ट आने में विलम्ब हो रहा है। और प्रश्न इस बारे में न पूछे जायें इसलिये मैं ने अपने मुख्य आर्थिक सलाहकार को सभापति से मिल कर यह सूचना प्राप्त करने को कहा था। इस से अधिक मैं कुछ नहीं बता सकता। रिपोर्ट देना समिति के सदस्यों के हाथ में है और यदि उन को इस के लिये कुछ समय चाहिये तो मैं कुछ नहीं कर सकता।

Shri Ram Sevak Yadav : May I know whether the Government are aware that the delay in getting the report is due to the fact that from the British regime itself agricultural production is being shown on the papers 10 to 15 percent more so that the Government might not grant exemption of land revenue in the event of a famine and that such stage might not arise.

Shri B. R. Bhagat : No Sir, that is not the reason.

Shri Shashi Ranjan : The national income differes from State to State and from city to city and it is the responsibility of the Planning Commission to equate it. In the circumstances when the Planning Commission is not aware of any thing about the National income how the Government could prepare a plan. Whether it is a fact that since Shri Mahalanobis is a very busy person and he goes abroad frequently, therefore he is unable to submit the report of the Committee at an early date.

Mr. Speaker : Only last part of the question might be answered— क्या यह कार्य करना अर्थात यह रिपोर्ट पेश करना आसान कार्य नहीं है?

Shri B. R. Bhagat : The real difficulty has been pointed out by the Finance Minister. Efforts are being made in that regard. There is no difficulty apart from that.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जहां तक महालोनोबिस समिति की रिपोर्ट के प्रथम भाग का सम्बन्ध है उस से यह बात सिद्ध हो जाती है की देश में राष्ट्रीय आय का वितरण एक सा नहीं है तो क्या सरकार का विचार चौथी योजना में ऐसे कदम उठाने का है जिस से राष्ट्रीय आय का एक सा वितरण हो सके?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : प्रत्येक बजट को इसी उद्देश्य के साथ सभा में पेश किया जाता है।

अचल शहरी सम्पत्ति पर कर

+

*746. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय तथा वित्त आयोग ने राज्य सरकारों को अचल शहरी सम्पत्ति पर कर लगाने का सुझाव दिया है, और

(ख) यदि हां, तो किनकिन राज्यों ने निकट भविष्य में इस सुझाव को कार्यान्वित करने की सहमति सूचित की है?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापितों के बड़ी संख्या में आने से कलकत्ता और दिल्ली में जमीन के मूल्यों में 5 गुणा वृद्धि हो गई है तो क्या सरकार का विचार अनुपर्जित आय को लेने के लिये कर लगाने का है?

श्री ब० रा० भगत : जहां तक केन्द्रीय बजट का सम्बन्ध है वित्त मंत्रालय ने अपने गत वर्ष के बजट में शहरी सम्पत्ति पर पहले ही धन कर लगा दिया है। क्योंकि इस का सम्बन्ध राज्य विषयों से है इस लिये योजना आयोग ने राज्य सरकारों से इस बारे में कुछ कदम उठाने को कहा है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : पश्चिमी जर्मनी ने 1 करोड़ 35 लाख शरणार्थियों के आ जाने पर यह देखने के लिये कि आम व्यक्तियों तथा विशषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों पर कर का बोझ समान रूप से पड़े उन्होंने जो कर लगाये थे क्या हमारी सरकार ने उन की प्रभाविता पर विचार किया है ?

वित मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मुझे यह सूचना माननीय सदस्य से प्राप्त हुई है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस तथ्य को देखते हुए कि सरकार ने शहरी सम्पत्ति के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये कोई कुछ नहीं किया है क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार ने कम से कम इस पर रोक लगाने के लिये क्यों कुछ विचार नहीं किया है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रश्न के पिछले भाग को समझ नहीं सका हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : संपदा के मूल्य बहुत अधिक बढ़ रहे हैं और इन को बढ़ने से रोकने के लिये कुछ नहीं किया गया है । मैं जानना चाहती हूं कि नगरों में अचल सम्पत्ति और संपदा के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये सरकार कुछ कर आदि लगाने पर क्यों विचार नहीं करती है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये कर लगाये गये हैं । पुंजीगत लाभ पर पहले ही कर हैं और अब नगरों की सम्पत्ति पर अतिरिक्त कर है । राज्यों में कर लगाने के बारे में कुछ कानूनी कठिनाई है जिस पर विचार किया जा रहा है । यह काम इतना आसान नहीं है कि सरकार ने एक हुक्म जारी कर दिया कि मूल्यों का बढ़ना रोक दिया जाये तो इस से वह वृद्धि रुक जायगी क्योंकि इस बारे में बहुत से कार्य गुप्त रूप से किये जाते हैं ।

Shri K. N. Tiwary : The hon. Minister has stated that Planning Commission has asked the State Government to tax all the urban property, particularly the landed property and Central Government also agreed to it. Why the Central Government have not issued instructions to State Government to this effect and that is the reason why this work has not made any headway.

Shri B. R. Bhagat : In last year's budget the Finance Minister had levied a Wealth Tax on the urban property. All the State Governments have been advised to tax the urban property and thus increase their financial resources there from.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : The Government is very well aware that farmers are taxed even for pegs which they provide for their cattle but in cities Government do not levy any tax on big properties. May I know the reasons therefor and why do they hesitate in doing so ?

Mr. Speaker : This is a repeatition. It has already been answered.

Shri B. R. Bhagat : As has been said by the hon. Member regarding the taxation on pegs is not a fact.

Shri Jagadev Singh Siddhanti : It is absolutely true. I am myself paying this tax.

Mr. Speaker : Has it been levied by any State ?

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Yes, Sir.

Mr. Speaker : You please ask the State Government not to levy a tax on pegs when there is no tax on property.

Shri Kishen Pattnayak : May I know whether Government are considering to lavy any tax or to adopt any measure so that in cities a land lord might not own more than one house.

Shri B. R. Bhagat : No such proposal is under consideration of the Government.

Shri Kashi Ram Gupta : There is no definite policy of the Government in regard to urban property. Sometimes they encourage the landlords who increase the rents and sometimes they discourage them. I would like to know whether Government are considering on any such scheme whereby this uncertainty is removed and some definite policy about the rent is framed.

Shri B. R. Bhagat : We have taken the first step in this direction by levying the wealth tax. We are trying to bring equality by taxing the urban property and adopting other methods and also advising the State Governments to take steps in this regard. It can be done in next ten years but not in one or two years.

श्री हरि विष्णु कामत : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इन प्रश्नों पर नियम 41 लागू होता है। मेरा विचार है कि यह नियम मन्त्रियों के उत्तर पर भी लागू होता है। यदि मैं ने एक वरिष्ठ मन्त्री को ठीक सुना है तो उन्होंने कहा है कि टेबल के नीचे कुछ हो रहा है। जहां तक मुझे मालूम है जब कभी सभा में किसी टेबल का उल्लेख किया जाता है तो उस का अर्थ सभा पटल से होता है या उस को स्पष्ट करके कहा जाता है। क्या उन का अभिप्राय सभा पटल से था किसी और टेबल से—मन्त्री महोदय की टेबल या किसी दूसरे की टेबल से था? इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिये। इस प्रकार तो सभा पटल पर आक्षेप आता है।

अध्यक्ष महोदय : बात बिल्कुल स्पष्ट है। यह उल्लेख सभा पटल का ही था।

श्री हरि विष्णु कामत : तब तो यह बात बहुत गम्भीर है क्योंकि उन्होंने कहा था कि कुछ सौदे टेबल के नीचे किये जाते हैं।

श्री कपूर सिंह खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब अंग्रेजी के एक और ज्ञानी खड़े हो गये हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा हूं.....

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ मैं समझ सका हूं उन का आशय यह था कि सौदे छिप कर किये जाते हैं न की खुले में। यदि ये सौदे टेबल के उपर किये जायें तो सभी लोग देख सकते हैं। यदि ये सौदे टेबल नीचे किये जाये तो इस का अर्थ है कि ये गुप्तरूप में किये गये है।

श्री हरि विष्णु कामत : इस बात को स्पष्ट करके बताना चाहिये कि मन्त्री की टेबल है या किसी दूसरे की और कि यह सभा पटल नहीं है।

Shri Tulsidas Jadhav : A large number of villagers are coming to cities for their livelihood because there are more facilities. They try to earn maximum in the cities. Why some tax is not levied to check this influx of villagers to cities.

Mr. Speaker : This is an argument. Every body is asking like that.

\+ **एकाधिकार आयोग**

*749. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री राम हरख यादव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार आयोग ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उनकी सिफारिशें स्वीकार कर ली है ?

योजना मंत्री (ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : जी, हां। आयोग की रिपोर्ट की प्रतियां 8 दिसम्बर 1965 को सभा की मेज पर रख दी गयी थी।

(ग) सरकार इस समय रिपोर्ट पर विचार कर रही है।

Shri Yashpal Singh : May I know how far the Congress Party will act on the recommendation that political parties should not accept contributions from Companies and Capitalists ?

Shri B. R. Bhagat : That report is there before the Government as well as before the House. That will be considered.

Mr. Speaker : Is Shri Bhagat answerable for the Congress Party ?

Shri Yashpal Singh : May I know by what time that will be considered and implemented?

Shri B. R. Bhagat : That is meant for all the political parties. They have expressed their opinion in this regard. It is difficult to prescribe time limit.

Shri Yashpal Singh : I meant all the recommendations.

Shri Rameshwar Tantia : May I know the number of firms have been examined by the Monopolies Commission ?

Shri B. R. Bhagat : This has been given in the statement.

Shri Sidheshwar Prasad : When the monopalies Commission was constituted it was stated that it will examine the Newspaper industry also but it has been mentioned in the statement that it is not possible to examine the Newspaper industry. I would like to know whether same separate Committee would be set up to examine the monopoly control of Newspaper industry ; if so by what time ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : कार्यवाही के लिये यह एक सुझाव है। सम्बन्धित मन्त्रालय इस पर विचार कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या समाचारपत्र उद्योग में भी एकाधिकार को समाप्त किया जायेगा और यदि एकाधिकार को समाप्त करने का विचार है तो यह कार्य कब तक हो जायेगा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : सरकार ने अभी इस पर विचार नहीं किया है। यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है और सम्भव है कि इस पर विचार किया जाये।

श्री शशि रंजन : समाचार पत्र उद्योग न कि पत्र उद्योग।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, समाचार पत्र उद्योग।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि श्री आर० सी० दत्त ने बहुत अच्छा विमत्ति टिप्पण दिया है क्या सरकार इस पर भी विचार करेगी जैसा कि बोनस आयोग के प्रतिवेदन के मामले में किया गया था जहां वास्तव में विमत्ति प्रगट करने वाले सदस्यों की बात को बहुमत वालों पर अधिमान दिया गया था ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जी हां, प्रतिवेदन के प्रत्येक भाग पर चाहे वह अल्पसंख्या वालों का हो चाहे बहुमत वालों का, विचार किया जायेगा। मैं नहीं समझ सका कि किसी दूसरे आयोग के प्रतिवेदन में अल्पसंख्या के मत को मानने की बात को इस में क्यों उठाया गया है।

श्री कपूर सिंह : एकाधिकार आयोग के इस प्रतिवेदन में निगमित क्षेत्र में टाटा और बिड़ला के विनिधान के फर्क को बहुत स्पष्ट करके बताया गया है। क्या सत्ताधारी दल का विचार दोनों के विनिधान को इस क्षेत्र में समान करने का है?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : सत्ताधारी दल इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। सरकार इस प्रतिवेदन के अध्ययन के बाद उचित कार्यवाही करेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, माननीय सदस्य को टाटा या बिड़ला किसी के पक्ष की वकालत नहीं करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने इस लिये आपत्ति नहीं की क्यों कि उन्होंने दोनों की वकालत की थी।

श्री कपूर सिंह : महोदय, जिन का विनिधान कम है मैं ने उन के पक्ष की वकालत की है।

श्री वारियर : सरकार कब तक इस प्रतिवेदन पर विचार कर लेगी ओर इस और कुछ कदम उठा-लेगी ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह मैं नहीं बता सकता। बहुत सी बातों का अध्ययन करना है। मेरा विचार है कि सरकार को इस प्रतिवेदन पर पूरी तरह विचार करना पड़ेगा। मेरे लिये इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि इस में कितना समय लगेगा क्योंकि सरकार का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : क्या यह सच है कि धन के कुछ हाथों में जमाव के कारण इस का विनिधान गलत ढंग से हुआ है, यदि हां, तो क्या ऐसे विनिधान के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिय सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इस बारे में कोई भी निर्णय करने से पूर्व शायद सरकार को एक प्राधिकारी नियुक्त करना पड़े जो इस बारे में जांच करेगा। यह मेरा विचार है न कि सरकार का।

श्री अ० प्र० शर्मा : इस प्रतिवेदन की एक मुख्य बात यह भी है कि धन के जमाव का कुछ हाथों में होना राजनीति पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। क्या सरकार इस पर भी विचार करेगी?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जैसा मैंने बताया सरकार इन सब बातों पर विचार करेगी–इस के कार्यान्वित करने के प्रश्न या इस प्रयोजन के लिये कोई एजन्सी इत्यादि स्थापित करने के प्रश्न पर–

श्री जोकीम आल्वा : इन सब वर्षों में सरकार के विचाराधीन बहुत सी बातें रही हैं । इस के अलावा एक प्रतिवेदन अभी भी इस के विचाराधीन है । एकाधिकार आयोग का प्रतिवेदन और महलनोबीस प्रतिवेदन का पहला भाग सरकार और इस सभा के सम्मुख है परन्तु सरकार ने ट्रस्ट विरोधी काननी के बारे में अमरीका की तुलना में आधा कार्य भी नहीं किया है । क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार तुरन्त क्या करना चाहती है या इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने में सरकार को अभी पांच वर्ष लगेंगे ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : सब तथ्य होते हैं और मुझे खेद है कि कभी कभी मैं और माननीय सदस्य इन तथ्यों को नहीं मानते ।

Shri Bhagwat Jha Azad : In this report the work of the Monopolies Commission in regard to the industries has also been appreciated. I would like to know whether the policy of Government as stated in the House so far in regard to this recommendation is in conformity with it or opposed to it ?

Shri B. R. Bhagat : This point has been discussed in the report itself. The hon. Member can draw the conclusions.

Shri Bhagwat Jha Azad : The hon. Minister may please state his own point of view.

Mr. Speaker : That will be his opinion.

श्री शिकरे : जिन मुख्य प्रश्नों पर इस आयोग ने विचार करना था उस में एक प्रश्न यह था कि क्या प्रबन्ध-अधिकरणों की संख्या को समाप्त कर दिया जाये या नहीं । इस संदर्भ मे मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्योंकि इस रिपोर्ट में बहुमत का यह विचार था कि प्रबन्ध-अभिकरणों की संख्या को अभी समाप्त नहीं करना चाहिये इस लिये सरकार ने इस रिपोर्ट को संसद में पेश करने में जल्दी की है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यदि इस का कुछ और अर्थ है तो मैं इस को समझ नहीं सका हूं परन्तु मेरा विचार है कि प्रतिवेदन के साथ एक पोस्ट सक्रीप्ट था कि एक सदस्य ने प्रबन्धक-अभिकरणों के प्रश्न पर अपनी राय प्रगट नहीं की है क्योंकि वह इस बारे जांच करने वाली समिति के सभापति हैं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : This report is comprehensive and much information has been given in it. I would like to know from the hon. Speaker whether we could discuss this report for two days in the House keeping in view the public interest ?

Mr. Speaker : This question has been addressed to me. At this time questions are put to the Ministers.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : This is an important question.

Mr. Speaker : There is no time for the discussion.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : लोगों को बड़ी फर्मों से छुटकारा दिलाने के लिये सरकार की एकाधिकार आयोग को नियुक्ति के लिये शीघ्रता दिखाने की प्रशंसा करते हुए कल जो रिपोर्ट पेश की गई है उस में बहुमत और अल्पसंख्या सदस्यों के विचारों के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मामले में शीघ्र ही कोई निर्णय लेगी ?

श्री ब० रा० भगत : इस समय हम कोई निश्चित समय नहीं बता सकते।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस में विलम्ब होगा।

श्री ब० रा० भगत : नहीं, परन्तु हम कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे प्रश्नों का केवल यह उत्तर होना चाहिये कि हां हम कोशिश करेंगे।

Shri Bagri : You should not have told this.

Mr. Speaker : I have simply helped the hon. Member. I have not revealed any secret.

श्री भागवत झा आजाद : वह पहले ही ऐसा कर रहे हैं। बात केवल इतनी है कि कभी कभी वह ऐसा कहते नहीं है।

Shri Ram Sewak Yadav : It has been mentioned in the report of the Monopolies Commission that Taxes have maximum assests of 400 crores and that next is Birla's with 250 crores assests and then Martin Bum and Sows and then no recommendation has been made in the report to restrict them. I would like to know whether Government porpose to impose any restriction on it ?

Shri B. R. Bhagat : It is considered while forming the budget policies and economic policies, the question of taking some steps, sepecially in this regard is to due considered after taking into account the recommendations of the Commission.

श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस प्रतिवेदन पर विचार करने का अन्तिम निर्णय वित्त मंत्रालय करेगा या भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों से भी परामर्श किया जायगा और यदि हां तो वे मंत्रालय कौन कौन से हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह आर्थिक नीति का मामला है जिसका समूची सरकार से सम्बन्ध है। आर्थिक मामलों में अनेक मन्त्रालय शामिल हैं। सारे निर्णय समूची सरकार द्वारा किये जाते हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : एक ओर तो कुछ आर्थिक त्रुटियां बताई गयी हैं और दूसरी ओर कुछ अक्रियाकारी उपचारों का सुझाव दिया गया है। मैं यह जानना चाहती हूं कि अंतिम निर्णय करने में विलम्ब होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए और उपायों की तत्कालीनता को ध्यान में रखते हुए वह क्या अन्तिम कार्यवाही करेंगे ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : सरकार को इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करना होगा।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : इस मामले पर किस स्तर पर विचार किया जा रहा है और क्या इस संसद् के समाप्त होने से पूर्व आयोग की कुछ सिफारिशों को लागू करने के लिये कोई विधान बनाया जायगा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : हम कोशिश करेंगे।

तंत्रि शल्य चिकित्सा, हृदय-शल्य चिकित्सा तथा मनोविकार विज्ञान में प्रशिक्षण

*751. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या तंत्रि शल्य चिकित्सा, हृदय-शल्य चिकित्सा तथा मनोविकार की शिक्षा तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिये भारत में पर्याप्त व्यवस्था, सुविधाएं, उपकरण तथा कर्मचारी उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन कालेजों और/अथवा संस्थाओं में, और

(ग) प्रत्येक मामले में पाठ्यक्रम का क्या ब्यौरा है?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5351/65।**]

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच नहीं है कि आज देश में पूरी तरह से अर्हता-प्राप्त और प्रशिक्षित तंत्रि-शल्य चिकित्सक, हृदय-शल्य चिकित्सक और मनोविकार चिकित्सक बहुत थोड़े हैं और यदि हां, तो आज देश में इन चिकित्सकों की क्या संख्या है और इनकी कमी को दूर करने के लिये क्या ठोस योजनायें हैं?

डा० सुशीला नायर : इन सर्जनों की ठीक संख्या बताना संभव नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं यह जानकारी एकत्र करूंगी। यहां पर प्रशिक्षण केन्द्र हैं और प्रशिक्षण की योजनाएं है जिनका चौथी योजना में देश में ऐसी सेवाओं के विस्तार की हमारी क्षमता के अनुरूप विस्तार हो रहा है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में कोई अन्तर्राष्ट्रीय सीमा नहीं होती, क्या सरकार ने देश में चिकित्सा सम्मेलनों में अथवा अतिथि के रूप में इज़रायल से प्रमुख तंत्रि शल्य-चिकित्सकों और मनोविकार चिकित्सकों को आमंत्रित किया है ? लेकिन इसके विपरीत क्या यह सच नहीं है कि जब वे सर्जन स्वयं यहां आना चाहते थे तो उनको वीसा देने से भी इन्कार कर दिया गया ?

डा० सुशीला नायर : इस देश में विश्व के सभी भागों से विशेषज्ञ आते रहे हैं। किसी इज़रायली नागरिक को अनुमति न देने के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : वह वैदेशिक कार्य मंत्री नहीं हैं और इसलिये उनको पता नहीं है।

श्री शिंकरे : जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री को पता है कि तंत्रि-शल्य चिकित्सा और हृदय-शल्य चिकित्सा दोनों के लिये उच्च स्तर के एक्सरे कागज की जरूरत होती है और उसके अभाव में कई अस्पतालों को कठिनाई हो रही है। इस बारे में उन्होंने क्या कदम उठाये हैं या उठायेंगी कि वित्त मंत्रालय इन अत्यावश्यक आवश्यकता के एक्सरे को कागजों के आयात पर कोई प्रतिबंध न लगाये?

डा० सुशीला नायर : आवश्यक एक्सरे फिल्मों आदि की प्राप्ति के लिये पूरी व्यवस्था की गई है और की जा रही है। अन्तर केवल यह हो सकता है कि वे किन देशों से आयात किये जायेंगे और इस बारे में विदेशी मुद्रा आदि की विशेष कठिनाइयों को ध्यान में रख कर विचार किया जाता है।

श्री शिंकरे : तब तक रोगी की मृत्यु हो जायगी।

डा० सुशीला नायर : एक्सरे फिल्म के अभाव में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है।

श्री जसवन्त मेहता : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि इस देश में राजनीतिज्ञों का मानसिक स्वास्थ्य गिरता जा रहा है और इन राजनीतिज्ञों के लिये मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की आवश्यकता है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिये कोई व्यवस्था की है?

डा० सुशीला नायर : सारी व्यवस्था है और यदि कोई माननीय सदस्य चाहे तो उसको ये सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं।

Shri Jagdeo Singh Siddhanti : What is the meaning of Psychiatry ?

Dr. Sushila Nayar : Prychiatry means mental disease. In the end the man becomes mad.

श्री कपूर सिंह : क्या अभावपूर्ति (प्रोस्थेसिस) में भी साथ ही प्रशिक्षण की सुविधाएं ह और यदि हां, तो कहां ?

डा० सुशीला नायर : इसके लिये एक बड़ी योजना है और इसके प्रशिक्षण के लिये अनेक केन्द्र हैं। यदि माननीय सदस्य मुझ लिखें तो मैं जानकारी एकत्र करूंगी और उन्हें बता दूंगी।

श्री अल्वारेस : क्या यह सच है कि हाल में किये गये एक सर्वेक्षण से पता चला है कि सर्जनों की अपेक्षा मनोविकार चिकित्सकों की अधिक आवश्यकता है ?

डा० सुशीला नायर : आज कल मानसिक स्वास्थ्य की अधिक आवश्यकता है।

श्री जोकीम आल्वा : क्या मंत्री महोदय को पता है कि बम्बई एक बड़ा औद्योगिक नगर होते हुए भी वहां पर इन रोगों के प्रशिक्षण का कोई भी केन्द्र नहीं है ?

डा० सुशीला नायर : शायद माननीय सदस्य ने विवरण देखा नहीं है। बम्बई में केन्द्र हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या मंत्री महोदय को पता है कि व्यक्तियों के मनोविज्ञान और 'नर्वस' सिस्टम पर योगिक क्रियाओं का बड़ा असर पड़ता है और यदि हां तो क्या इन केन्द्रों में ये क्रियाएं लागू की जायेंगी ?

डा० सुशीला नायर : यह जानकारी मुझे माननीय सदस्य से मिली है। कुछ स्थानों पर अब योगाभ्यास किया जा रहा है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या यह सच है कि सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में विशेषत: स्नातकोत्तर संस्थाओं के लिये धन न दिये जाने के कारण सामान्य तौर पर चिकित्सा शिक्षा और विशेष रूप से स्नातकोत्तर शिक्षा समेत विशेष चिकित्सा शिक्षा को बड़ी हानि हुई है। उदाहरणत: चंडीगढ़ में स्नातकोत्तर संस्था को सरकार ने अपने नियंत्रण में नहीं लिया है अथवा उसको पर्याप्त धन नहीं दिया जा रहा है।

डा० सुशीला नायर : स्नातकोत्तर शिक्षा के लिये हमने चौथी योजना में धन की व्यवस्था की है। मैं मानती हूं कि हमें इस पर अधिक ध्यान देना चाहिये और इस बारे में प्रस्तावों पर वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत की जा रही है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Have Government assessed the number of cases from these diseases in a year and whether some remedial measures have been taken and what are those measures ? What amount has been given to institutions and what arrangements have been made for their treatment?

Dr. Sushila Nayar : It depends upon the extent of disease. It is difficult to say about smaller defects.

औद्योगिक वित्त निगम

+

***752. श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्त निगम ने सितम्बर, 1965 में अपनी ऋण-नीति घोषित करने के बाद गर-सरकारी उद्योगों को अब तक कोई ऋण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो निगम को ऋण के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और कितने आवेदन-पत्र निपटाये गये ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक वित्त निगम के पास 1 अक्टूबर, 1965 से 30 नवम्बर, 1965 तक की अवधि में वित्तीय सहायता के लिए 31 आवेदन-पत्र आये। इसी अवधि में निगम ने 10 कम्पनियों के लिए 1.13 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी।

श्री स० चं० सामन्त : निगम की ऋण नीति में परिवर्तन क्यों करना पड़ा ?

श्री ब० रा० भगत : आपातकाल और प्रतिरक्षा कार्यों और अन्य प्राथमिकताओं को देखते हुए पुनर्गठन की आवश्यकता।

श्री स० चं० सामन्त : क्या इस नीति परिवर्तन के बाद मंत्रालय को कुछ शिकायतें या सुझाव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन का कैसे निपटारा किया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : हमें कोई शिकायतें नहीं मिली हैं।

श्री शशि रंजन : वर्तमान उद्योगों की सहायता करने के लिये या नये उद्योगों की स्थापना के लिये जो इस देश में पनप सकते हैं, इस निगम ने अन्य वाणिज्यिक बैंकों की अपेक्षा क्या विशेष कृत्य या प्रक्रियायें अपनाई हैं ?

श्री ब० रा० भगत : बैंक चालू पूंजी और अल्प-कालीन पूंजी के लिये ऋण देते हैं। यह निगम मध्यम कालीन और दीर्घकालीन ऋण देता है।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : क्या यह सच है कि औद्योगिक वित्त निगम ने कुछ उन उद्योगों के ऋण के आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये हैं जो सेना के लिये अतिरिक्त पुर्जे बनाने को तैयार हैं ? यदि हां, तो क्या अब से उन उद्योगों को, जो सेना की आवश्यकता के लिये अतिरिक्त पुर्जों के उत्पादन में विशेषता रखते हों, प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री ब० रा० भगत : आज उसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। किसी विशेष परियोजना का आवेदन-पत्र अस्वीकार किये जाने की मुझे जानकारी नहीं है।

Shri Tulsidas Jadhav : I want to know the ratio of loans given to small industries and big industries by this finance Corporation ?

Shri B. R. Bhagat : This Corporation gives loans to industries having capital of more than 10 lakhs of rupees and to industries having lesser capital, loans are given by the State Finance Corporation.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस अवधि में जिनका आवेदन कर्ताओं ने ऋण मांगा है, इनमें से कितनों को इस निगम से या अन्य चालू औद्योगिक वित्त निगमों से पहले ऋण मिला हुआ है और उनमें से कितनों को ऋण दिया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : मेरे पास ब्यौरा नहीं है।

Shri Gokaran Prasad : I want to know the names of those ten concerns which have been granted loans.

Shri B. R. Bhagat : I shall place the list on the Table.

श्रीमती सावित्री निगम : यह बात कहां तक सच है कि इस निगम के ऋणों से केवल समवायों के एक विशेष समूह को ही लाभ हुआ है ?

श्री ब० रा० भगत : ऐसी व्यवस्था है कि यदि आवेदन कर्ता एक 'समूह' हो और एक करोड़ रुपये से अधिक का ऋण मांगा जाये तो यह सरकार को निर्देशित किया जाये ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : ऋण दिये जाने या उसके नवीकरण किये जाने से पूर्व क्या कोई शर्तें रखी जाती हैं ?

श्री ब० रा० भगत : शर्तें तो ऋण की सुरक्षा की सामान्य शर्तें हैं। और कोई शर्त नहीं है ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या यह सच है कि ऋण देने में छोटे उपक्रमों की अपेक्षा बड़े उपक्रमों की ओर अधिक ध्यान दिया गया है ?

एक माननीय सदस्य : स्वभावत: ।

श्री ब० रा० भगत : इस योजना में 10 लाख से अधिक पूंजी वाले उपक्रम आते हैं ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : जिन 20 उपक्रमों को ऋण नहीं मिला है क्या उनमें 'रिपब्लिक फोर्ज कम्पनी ऑफ हैदराबाद' भी शामिल है ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे पता नहीं है। मेरे पास यह जानकारी नहीं है।

Power Generation in Delhi

+

*753. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether the Delhi Electric Supply Undertaking has decided to augment generation of power in the Capital upto 80 thousand kilowatts ;

(b) if so, whether any porgramme has been formulated for that purpose; and

(c) the extent to which small-scale industries will be benefited as a result of this increase?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम ने उत्पादन क्षमता में 140 मैगावाट की वृद्धि करने का फैसला कर लिया है ।

(ख) जी, हां।

(ग) छोटे उद्योगों की सारी की सारी बिजली की मांग को पूरा करना सम्भव होगा ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether the shortage of electricity of this place will be met by the decision taken by the Government to augment the production capacity of electricity in Delhi, if, so, whether the rates of electricity will also be enhanced ?

डा० कु० ल० राव : अब जो अधिक बिजली बनाई जा रही है वह सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त होगी। बिजली की दर का प्रश्न अभी नहीं उठता।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What percentage of shortage of electricity is faced by the industries in Delhi and whether Government have decided to supply them power at cheap rates as had appeared in the newspapers some days back ?

डा० कु० ल० राव : लघु उद्योगों में, जिनसे इस प्रश्न का संबंध है और जो इस समय हमारे सामने हैं, 40 मेगावाट बिजली की खपत है इन तीन या चार महीनों को छोड़ कर जब कि कठिनाई हो सकती है, हम लघ उद्योगों को अधिमान देते हैं। लघु उद्योगों की भविष्य की आवश्यकता को पूरी तरह पूरा कर लिया जायेगा, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

Shri Kashi Ram Gupta : Just now the hon. Minister said that there will be an increase of 120 M.W. of electricity . May I know for how many years this estimate has been prepared and by what time they will be able to meet it ?

डा० कु० ल० राव : इन बिजली एककों का निर्माण किया जा रहा है। एक 15 मेगावाट का बिजली घर मार्च, 1966 तक बन कर तैयार हो जायेगा, दूसरा 60 मेगावाट का बिजली घर जून 1966 तक तैयार हो जायेगा और तीसरा बिजली घर उसके 4 महीने पश्चात तैयार होगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : दिल्ली में बिजली बन्द हो जाने की बहुत घटनाएं हुई हैं जिसके कारण अन्य उद्योगों के साथ साथ लघु उद्योगों को भी भारी नुकसान हुआ है। मंत्रालय द्वारा क्या निवारक उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है ताकि बिजली प्राय रूप से बन्द न हो।

डा० कु० ल० राव : मुझे यह बताने में खुशी होती है कि अब बिजली पहले की अपेक्षा बहुत कम बार बन्द होती है। बिजली बन्द हो जाने का कारण यह है कि वितरण व्यवस्था को बहुत अधिक बढ़ाना है। मूल वितरण व्यवस्था केवल थोड़े से भार के लिये थी। अब भार बहुत तेज़ी से काफी बढ़ गया है। इसलिये, वितरण व्यवस्था को बढ़ाना पड़ेगा और यही चीज़ की जा रही है। मंत्रालय बहुत ध्यान से निगरानी रख रहा है। इसपर लगातार जांच करने के लिये हमारी एक उपसमिति है और मुझे आशा है कि अब बिजली बहुत कम बार बन्द होगी।

Shri Yeshpal Singh : As the Government have assessed the electricity taken from Punjab costs two paise per unit and the electricity to be produced in Delhi will cost four and a half paise per unit and this will entail a loss of fifteen a half lakhs of rupees. I want to know whether this loss will be borne by the Government or the Costmer.

डा० कु० ल० राव : भाखड़ा की बिजली $4\frac{1}{2}$ पैसे प्रति यूनिट की दर से दी जाती है। इसके अतिरिक्त दिल्ली प्रशासन को इसका और तापीय बिजली दोनों का एक साथ प्रबन्ध करना है और उसको एक समान दर पर बिजली देनी होगी। इसलिये वह उस दर पर बिजली नहीं दे सकता है जिस दर पर भाखड़ा की बिजली दी जाती है।

श्री शिंकरे : यह देखते हुए कि दिल्ली में विवाह स्वागत समारोहों तथा धार्मिक समारोहों में प्राय बहुत बिजली खर्च की जाती है, क्या माननीय मंत्री इसको रोकने के लिये कुछ कदम उठायेंगे? इससे परिवार नियोजन में भी एक तरीके से सहायता मिलेगी।

डा० कु० ल० राव : इस पर पहले ही ध्यान दिया जा चुका है, और हिदायतें दी गई थीं कि विवाह में बिजली का खर्च 2 किलोवाट से अधिक नहीं बढ़ना चाहिये और प्रत्येक तरीके से बचत की जानी चाहिये।

राजधानी में नेताओं की मूर्तियों का लगाया जाना

*755. **श्री लखमू भवानी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री 4 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 40 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी, डा० राजन्द्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा लाला लाजपतराय की मूर्तियों को राजधानी में लगाने के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचंद खन्ना) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिमायें स्थापित करने के लिए दिल्ली में प्रतिमायें स्थापित करने वाली समिति ने सात स्थानों की सिफारिश की है। सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

Shri Lakhmu Bhawani : Has any decision been taken regarding the installation of the statues of Gandhiji and Netaji Subhash Chandra Bose ?

Mr. Speaker : He has said it is under consideration and no decision has been taken as yet.

Shri Lakhmu Bhawani : When the decision will be taken ?

Dr. Ram Manohar Lohia : May I know whether the Government have considered to install the statues of ordinary citizens, farmers, workers, students etc. and those relating to our ancient mythology, if not, the reasons therefor ?

Shri Mehr Chand Khanna : Whatever suggestions we receive are placed before the Committee. If the hon. Member offers any suggestion that too will be submitted to the Committee for consideration.

Dr. Ram Manohar Lohia : Suggestion has been given.

Mr. Speaker : Then it will be considered.

Dr. Ram Manohar Lohia : The question is why it has not been considered so far.

Shri Mehr Chand Khanna : If any particular thing or person is named, I can tell about that.

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, Sir, This is what he has said that whatever suggestion have been received are under consideration. If he wants to ask about any specific thing he can do so. But he has asked why it has not been considered so far. He says if he asks about any specific thing that can be replied whether that has been considered or not. All those things of general nature cannot be replied. This is what he has said.

Mr. Speaker : He has said that it was under consideration. The hon. Member may ask about any particular matter.

Shri S. M. Banerjee : There was a proposal for the installation of the statue of Netaji Subhash Chandra Bose in front of Red Fort because he had raised the slogan 'March to Delhi and occupy Red Fort". May I know whether efforts are being made to install his statue at some other place or Government have taken a final decision that this statue will be installed in front of Red Fort ?

Shri Mehr Chand Khanna : The information of the hon. Member is not correct. This Committee has suggested for the installation of the statues both of Lokmanya Tilak and Netaji outside Red Fort. I will convey this recommendation of the Committee to the Government and unless Government takes a definite decision I cannot reply.

श्री मुहम्मद इलियास : विभिन्न सार्वजनिक स्थानों से ब्रिटिश शासकों की सभी पुरानी मूर्तियों को हटाने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

श्री मेहेरचंद खन्ना : 12 में से 9 तो हटा दी गई हैं और केवल तीन हटानी शेष हैं और मंशा यह है कि उन्हें धीरे-धीरे हटाना चाहिए।

Shri K. D. Malaviya : Just now Dr. Lohia made a suggestion in his question. Will Government consider it in view of its importance ?

Mr. Speaker : He has stated that if proposal is sent to him in writing, it would be considered.

Shri Mehr Chand Khanna : General reply has been given to a general question. Specific reply will be given if a specific question is asked.

Shri K. N. Tiwary : Have Government received any representation for installing a statue of Sardar Bhagat Singh, if so, the action taken thereon ?

Shri Mehr Chand Khanna : The erection of a statue of Sardar Bhagat Singh in Delhi has not so far been considered. The Committee would meet again within two-three days and we will consider his suggestion.

श्री जी० भ० कृपलानी : मैं तो यह सुझाव देना चाहता हूँ कि जब तक हमारे पास योग्य मूर्तिकार न हों, कोई भी मूर्तियां नहीं लगानी चाहिएं, क्योंकि जो भी मूर्तियां लगाई गई हैं वे भद्दी हैं।

श्री मेहेरचंद खन्ना : यह तो अपनी अपनी राय है । मैं अपनी माननीय सदस्य के दृष्टिकोण से सहमत नहीं करता।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या इस समिति की एक सिफारिश यह भी है कि मुख्य चौराहों के बीच के स्थानों पर लगी हुई मूर्तियां वहां पर नहीं होनी चाहिए और क्या इसके अनुसार इस समय वहां पर लगी हुई सभी मूर्तियां वहां से हटाई जायेंगी ?

श्री मेहेरचन्द खन्ना : दिल्ली विकास प्राधिकार ने सिफारिश की है कि चौराहों के बीच के चक्करों में कोई मूर्तियां नहीं लगाई जानी चाहिए । हार्डिग पुल के पास चक्कर में लोकमान्य तिलक की मूर्ति लगाई गई थी और हमारा इरादा उसे वहां से हटाकर लाल किले के बाहर लगाने का है ।

Shri Prakash Vir Shashtri : The ex-Home Minister, Pandit Pant, had once declared in the House that a stone statue of Sardar Patel would be put up at Vijay Chowk. Later on this decision was changed on the plea that no statue would be put up there. Has this decision been revised again and is it proposed to instal a statue there ?

Shri Mehr Chand Khanna : I have no knowledge of the earlier decision. The statue of Sardar Patel has already been installed in Parliament Street and it is a nice one. As far as installation of statues at Vijay Chowk is concerned, we have no plans at present. We plan to instal statues on the right and left sides of roads leading to India Gate from Vijay Chowk and the

late Prime Minister approved of it and present Prime Minister also agrees with it. As regards Vijay Chowk, no decision has been taken.

Shri Shashi Ranjan : It has been our experience, same must be the experience of the hon. Minister that no attention is paid to the proper maintenance of these statues and these are spoiled by birds. It is very painful to note it. Will the hon. Minister look to the proper maintenance of these statues keeping in view in their dignity ?

Shri Mehr Chand Khanna : I am only concerned with the allotment of land. Their maintenance is the concern of the local body or the committee which install the statues. I will forward the suggestion made by the hon. Member to them.

Shri U. M. Trivedi : Is it that statues of congress leaders only are to be installed or installation of statues of other dignitaries such as Dr. Shyama Prasad Mookerji, who sacrificed his life for retaining Jammu and Kashmir in India, will also be considered ?

Shri Mehr Chand Khanna : We install the statues of national leaders and one of the conditions is that a committee should come forward, who would bear the expenditure. If some committee comes forward for the purpose of installation of a statue of Dr. S. P. Mookerji in Delhi, the Committee will consider it. But I would like to make one submission to the members that it is not possible to instal statues of all national leaders in Delhi alone, other sites will have to be considered.

तुत्तुक्कुडि का तापीय बिजली घर

+

अ० सू० प्र० 9. श्री म० प० स्वामी :
श्री मलाइछामी :
श्री बालकृष्णन् :
श्री कनकसबै :
श्री नेसामनी :
श्री काशीनाथ दुरे :
श्री रेड्डियार :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तूतुक्कुडि के प्रस्तावित तापीय विद्युत् संयंत्र की योजना की इस समय क्या स्थिति है ;

(ख) इस संयंत्र द्वारा बिजली का उत्पादन कब आरम्भ होने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जल विद्युत् परियोजनाओं से मिलने वाली बिजली बार-बार बन्द हो जाती है इस योजना को शीघ्र पूरा करेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) : अभी तक मद्रास के वास्ते चौथी योजना के लिये कुल 960 मेगावाट की क्षमता के ताप बिजली घर स्वीकार किये गये हैं । यह बिजली पंतत तथा नई स्कीमों से उत्पन्न होने वाली 405 मेगावाट अतिरिक्त पन बिजली के इलावा होगी । बिजली सैक्टर के लिये चौथी योजना के साइज़ के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया । जब तक इस बारे में फैसला नहीं हो जाता और परियोजनाओं की स्वीकृति नहीं दी जाएगी ।

श्री म० प० स्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि लगभग अठारह वर्ष मास पूर्व सिंचाई और विद्युत् मंत्री, योजना आयोग के उपसभापति, कार्यभारी सदस्य श्री थैकर, केन्द्रीय वित्त मन्त्री तथा मद्रास के

उद्योग मंत्री की जो बैठक हुई थी जब उसमें परियोजना को स्वीकृति दी गई थी तो उसे पूरा करने में देरी क्यों हुई ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : पहली बात तो यह है कि ऐसी कोई बैठक नहीं हुई थी। दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि उस अनौपचारिक के बातचीत के बाद राज्य को और 400 मेगावाट बिजली मंजूर की गई थी।

श्री म० प० स्वामी : क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि तुतुक्कुडि में इस विद्युत् संयंत्र के न होने के कारण तिरुनेलवेलि जिले में, जहां बिजली पर निर्भर करने वाले उद्योग पर कास्टिक सोडा और सीमेंट के कारखाने तथा बहुत सी कपड़े की मिलें हैं, वोल्टेज बनाये रखने मे बहुत कठिनाई हुई थी।

डा० कु० ल० राव : आम तौर पर तो ऐसी कठिनाई नहीं होनी चाहिये। इस क्षेत्र से नेवलि लगभग 260 से 270 मील की दूरी पर ही तो स्थित है, जो भाखडा और फरीदाबाद के बीच की दूरी के समान है और भाखडा से फरीदाबाद को बिजली दी जा रही है।

श्री मलाईछामी : इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि मद्रास राज्य मे चौथी योजना में 15 लाख किलोवाट बिजली कम रह जाने का अनुमान है और बहुत से बिजली से चलने वाले नये उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं और ग्रिड पद्धति को ठीक ढंग से चलाने से दक्षिणी क्षेत्र में तो बिजली देने में सुधार किया जा सकेगा, क्या मैं जान सकता हूं कि तूतुक्कुडि तापीय संयंत्र को शीघ्र पूरा करने में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री कु० ल० राव : बिजली की मांग के बारे में 1965 में किये गये सर्वेक्षण से पता लगा था कि 1971 में 1800 मेगावाट बिजली की मांग होगी। इस के लिये पूरी व्यवस्था कर ली गई है। तथ्य तो यह है कि बिजली की मांग से अधिक मंजूरी दी गई है।

श्री नेसामनी : जब योजना के लिये प्रस्ताव रखा गया था तो क्या मंत्रालय ने यह विचार नहीं किया था कि तूतुक्कुडि योजना तिरुनेलवेलि जिले के उद्योगों के सुधार के लिये आवश्यक है?

डा० कु० ल० राव : मद्रास ग्रिड में पर्याप्त बिजली है जो सभी स्थानों को दी जा सकती है।

श्री रेड्डियार : क्या मैं जान सकता हूं कि अन्य राज्यों में कितने प्रतिशत बिजली उद्योग तथा सिंचाई के लिये प्रयोग में लाई जाती है ?

डा० कु० ल० राव : मद्रास में कृषि पम्पिंग के लिए 24 से 25 प्रतिशत बिजली की खपत होती है और इस के लिये मद्रास सरकार बधाई की पात्र है। अन्य राज्यों में यह केवल 5 प्रतिशत है। उद्योगों के लिये इस की खपत लगभग 55 प्रतिशत है।

श्री मुथिया : क्या यह सच है कि एक गैर-सरकारी उद्योगपति, मि० धर्म तेजा ने तुतूक्कुडि में एक तापीय बिजली घर बनाने तथा तकनीकी ज्ञान और विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने की मद्रास सरकार को पेशकश की थी, और यदि हां, तो इस पेशकश को स्वीकार करने और आगे चलाने में केन्द्रीय सरकार क्यों हिचकिचाहट करती है ?

डा० कु० ल० राव : प्रश्न एजेंसी के बारे में नहीं है। प्रश्न परियोजना को आगे मंजूरी देने बारे में है। जैसे मेरे सहयोगी ने बतलाया है, जब तक चौथी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया जाता है और परियोजनाओं को स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या मंत्री महोदय का ध्यान केवल कुछ दिन पहले मद्रास के उद्योग मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि इस समाचार से मद्रास में निराशा फल गई है कि तूतुक्कुडि तापीय संयंत्र लगाने में देरी हो जायगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या योजना आयोग ने इस की मंजूरी दे दी हुई है और केवल मंत्रालय ही कुछ तकनीकी कारणों की वजह इस में विलम्ब कर रहा है।

डा० कु० ल०राव : माननीय सदस्य ने जिस प्रतिवेदन का उल्लेख किया है मैंने उसे पढ़ा है। योजना आयोग ने इसकी मंजूरी नहीं दी है, इसे स्वीकार नहीं किया है और किसी भी योजना में इसे सम्मिलित नहीं किया है। ऐसे कह देने से बहुत दुख होता है कि मं ालय इस में विलम्ब कर रहा है।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या सरकार बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे अन्य राज्यों में बिजली की मांग का फिर से मूल्यांकन करेगी?

श्री श्यामधर मिश्र : जी, हां। मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में यह मान लिया गया था कि हम केवल एक राज्य की मांग का ही नहीं बल्कि सभी राज्यों की मांग का फिर से मूल्यांकन करेंगे।

श्री अ० सिं० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि योजना आयोग द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार चौथी योजना के अन्त तक बिजली की मांग का निर्धारित लक्ष्य क्या है और इस सम्बन्ध में मन्त्रालय का क्या अनुमान है ?

अध्यक्ष महोदय : यह बिजली से सम्बन्धित सामान्य प्रश्न नहीं है। यह केवल तूतुक्कुडि के बारे में है।

श्री भागवत झा आज़ाद : देश में बिजली की खपत की औसत दर को ध्यान में रखते हुए मद्रास राज्य जहां आजकल सारे देश से अधिक खपत होती है, और कुछ अन्य कम से कम खपत वाले राज्यों के बीच के असन्तुलन को सरकार कैसे ठीक करने का विचार कर रही है?

श्री रघुनाथ सिंह : जैसे उत्तर प्रदेश में खपत की दर कम से कम है।

श्री श्यामधर मिश्र : यह सच है कि मद्रास सहित कुछ राज्यों में प्रति राज्य खपत काफी है। हम इस असन्तुलन को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश और राजस्थान– ये चार राज्य हैं जहां की दर देश की खपत की औसत दर से लगभग आधी भी नहीं है। हम इस असन्तुलन को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारी के पद को समाप्त करना

\+

अ० सू० प्र० 10. **श्री हरि विष्णु कामत** :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री बडे :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री चांडक :
श्रीमती सहोदरा बाई राय :
डा० चन्द्र भान सिंह :
श्री लखमू भवानी :
श्री वाडीवा :
श्री विद्या चरण शुक्ल :

क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने खण्ड विकास अधिकारी के पद को समाप्त करने के अपने प्रस्ताव के सम्बध में केन्द्रिय सरकार से सलाह मांगी है;

(ख) राज्य सरकार किन कारणों से इस पद को समाप्त करना चाहता है;

(ग) क्या प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है अथवा निरनुमोदन;

(घ) इसके अनुमोदन अथवा निरनुमोदन के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त पद को समाप्त करने का वित्तीय तथा प्रशासकीय परिणाम क्या होगा ?

सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) जी नहीं।

(ख) पता करने पर हमें मालूम हुआ है कि राज्य सरकार ने खण्ड विकास अधिकारी का पद समाप्त करने का निर्णय इन आधारों पर लिया है कि चूंकि खण्ड का अधिकांश कार्य कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित है, अत: कृषि विभाग इस कार्य की देखरेख सीधे अपने संगठन के माध्यम से कर सकता है।

(ग) और (घ) : भारत सरकार इस प्रकार की किसी भी कार्रवाई के विरुद्ध है। कृषि, पशुपालन, सहकारिता और लघु सिंचाई का परस्पर निकट सम्बन्ध है। कृषि उपज पर इन कार्यक्रमों के प्रभाव को अत्यधिक रूप से बढ़ाने के लिए खण्ड स्तर पर समन्वय की आज बहुत ही अधिक आवश्यकता है। वस्तुत: सघन कृषि जिला कार्यक्रम के जिले के अनुभव से यह पूरी तरह स्पष्ट है।

(ङ) यद्यपि इसके परिणामस्वरूप बचत तो महत्वपूर्ण नहीं होगी, किन्तु प्रशासकीय परिणाम गंभीर होंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरे विचार से सभा मध्य प्रदेश सरकार को उनके इस उचित निर्णय पर बधाई देना चाहेगी।

क्या सरकार का यह विचार नहीं है कि मध्य प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारी के पद को समाप्त करने के प्रस्तावित निर्णय से बचत और कार्यकुशलता बढ़ेगी और, यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संविधान के अनुच्छेद 353 (क) के अन्तर्गत—आपातकाल में शक्तियों को सरकार में निहित करना--अन्य सभी राज्यों को, बचत की दृष्टि से जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, समान हिदायतें जारी करने का है ?

श्री सु० कु० डे : मैं ने अपने उत्तर में पहले ही कह दिया हें कि राज्य स्तर पर चार विभाग हैं जो कृषि कार्यक्रम के लिये काम कर रहे हैं—एक कृषि विभाग है; दुसरा पशुपालन विभाग है, तीसरा सहकारिता और चौथा लघु सिंचाई और सिंचाई। ये विभाग एक दुसरे पर निर्भर नहीं करते हैं और खण्ड स्तर पर उनके अपने प्रतिनिधि होते हैं और जब तक खण्ड स्तर पर सहकारिता की व्यवस्था न हो इन चारें अधिकारियों के काम का कभी समन्वय नहीं हो सकता। सचाई तो यह है कि खाद्य तथा कृषि मंत्री सदा यह आग्रह करते रहे हैं कि सहकारिता से अन्य वस्तुओं के अलावा कृषि कार्यक्रमों में भी बहुत बाधा होती रही है ..... **(अन्तर्बाधायें)**

श्री हरि विष्णु कामत : माननीय मंत्री द्वारा अभी अभी प्रकट किये गये विरोध को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने संघ सरकार को सूचित कर दिया है कि मंत्री महोदय द्वारा दृष्टिपात किये गयें काम को किस प्रकार से समन्वित किया जायगा और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस पद को तो समाप्त किया जायगा परन्तु खण्ड को समाप्त नहीं किया जायेगा इस लिये अब खण्ड का प्रधान या मुखिया कौन होगा-- खण्ड का मुखिया.....

अध्यक्ष महोदय : इतना ही काफी है ; उन्होने काफी मनोरंजन कर दिखा दिया है।

श्री हरि विष्णु कामत : पहले वाले खण्ड विकास अधिकारी की गलत तरीके से प्रयोग में लाई गई जीप तथा अन्य वस्तुओं का क्या होगा ?

श्री सु० कु० डे : यह प्रश्न खण्ड विकास अधिकारी के गुणदोषों के बारे में है। यदि वर्तमान विकास खण्ड अधिकारी उपयुक्त नहीं हैं, तो उनके स्थान पर ऐसे व्यक्ति रखे जाने चाहिये जो उपयुक्त हों।

इस विषय पर मुख्य मंत्री जी से मेरी कल ही बातचीत हुई थी और उन्होंने इस तर्क के महत्व को माना भी था कि खण्ड स्तर पर कोई न कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य होना चाहिये जो इन कामों का समन्वय करे। मैंने उन्हें सुझाव दिया था कि यदि वर्तमान खंड विकास अधिकारी राजस्व मिजाजी हों तो उन्हें उनका अपने अपने विभाग को वापिस भेज देना चाहिये और कृषि अथवा अन्य विभागों के लोगों को इन कामों को समन्वित करने के लिये रखने चाहिये।

Shri Prakash Vir Shastri : Before the setting up of Development Blocks the District Education Officer used to attend to education problem, the District Executive Engineer to irrigation problems and the Agriculture Officer to agricultural problems. Tehsildars used to work under them. With the setting up of Development Blocks, Government have just doubled the work which has resulted in deficiency. Keeping in view the wise decision taken by the Government of Madhya Pradesh which has helped save rupees eighteen lakhs and also in view of other factors and the views of the Prime Minister which he had expressed some time in this House and had also expressed dissatisfaction regarding Block Development Programmes, do Central Government propose to create incentive for other States also to take similar decisions ?

श्री सु० कु० डे : जो कुछ भी निर्णय किया गया है मैं ने पहलेही बता दिया है। इन कामों को समन्वित करने के लिये खण्ड स्तर पर कोई न कोई व्यक्ति अवश्य होना चाहिये। जैसा सभा को विदित ही है ये विभिन्न विभाग आजादी के दिनों में भी स्वतंत्र रूप से काम करते थे। अधिक अन्न उपजाओं समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया था और सुझाव दिया था कि समन्वयी व्यवस्था स्थापित की जाये जिसमें विभिन्न विकास विभागों के अधिकारी ग्राम्य स्तर पर श्रमिक की तरह बहुत काम करने वाले व्यक्ति के जरिये खण्ड स्तर पर काम करें। यदि कोई विशिष्ट व्यक्ति ठीक प्रकार से काम न करें तो इस के लिये सारी संस्था को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

श्री भागवत झा आजाद : यह अकेले व्यक्ति की बात नहीं है, यह सारे कार्यालय की बात है।

अध्यक्ष महोदय : जब तक माननीय सदस्य चुप नहीं करते मैं अन्य सदस्यों को नहीं बुलाऊंगा। जब मंत्री महोदय उत्तर देते होते हैं तो सदस्य अपनी बातें कहते रहते हैं। यह कार्यवाही चलाने का ठीक ढंग नहीं है।

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, Please convey the congratulations of the whole House to the Government of Madhya Pradesh.

Mr. Speaker : But why don't you convey yourself. Who has prevented you from doing so. You put up a resolution and that can be passed. Merely by saying it here it cannot reach there.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I understand that Community Development Blocks, were set up by National Development Council. If it is so, may I know whether Government have talked with or expressed their reaction to the National Development Council regarding the abolition of Community Development Blocks in the whole country ?

श्री सु० कु० डे : यदि राष्ट्रीय विकास परिषद यह अनुभव करता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को समाप्त किया जाना चाहिये, तो सामुदायिक विकास खण्डों को भी अवश्य ही समाप्त कर दिया जाना चाहिये और ऐसा करने में उनके रास्ते में कोई बाधा नहीं आयेगी।

Shri R. S. Tiwary : Is the hon. Minister aware that the Government of Madhya Pradesh is facing financial crisis on account of drought conditions and is it also a fact that this step has been taken to solve that problem ?

श्री सु० कु० डे : चाहे कठिनाईयां हों परन्तु बचत के और भी बहुत से तरीके हैं।

Shri Rameshwar Tantia : May I know whether the Government of Madhya Pradesh have abolished the post of Block Development Officer and transferred other officers to their parent departments in order to step up production in agriculture and effect economy ?

श्री सु० कु० डे : मैं समझता हूं कि उद्देश्य बचत करना तथा कृषि कार्यक्रमों को अधिक तीव्रता से से क्रियान्वित करना था। परन्तु जैसा कि मैं कह चुका हूं यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कार्यों मे समन्वय स्थापित करने के लिये कोई व्यक्ति अवश्य होना चाहिये। जैसा कि सदन को ज्ञात है कि सघन खती कार्यक्रम के नये प्रयत्नों में जिसका खाद्य तथा कृषि मंत्री पक्ष कर रहे हैं, वह आशातीत है कि जिला स्तर पर विभिन्न कार्यों मे समन्वय स्थापित करने के लिये कलेक्टर साहब बहुत महत्वपूर्ण योग देंगे और इसे कार्यरूप देना असंभव होगा जब तक कि नीचे के सब स्तरों पर ऐसे ही समन्वय के प्रबन्ध न किये जाय।

श्री बीरेन्द्र बहादूर सिंह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

डा० चन्द्रभान सिंह : समूचे देश में स्थानीय निकायों के असंतोषजनक कार्य को देखते हुए क्या सरकार हमें यह बतायेगी कि क्या वह विकास खण्डों को स्थानीय पंचायतों को देना चाहती है, जो कि गुटबन्दी तथा भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुये हैं।

श्री सु० कु० डे : मैं इसे बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं क्योंकि पंचायती राज संस्थायें बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। **(अन्तर्बाधायें)** मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करुंगा कि वे स्थिति को जा कर देखें खास तौर पर मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या माननीय मंत्री को यह नहीं बताया गया कि आगे से खण्ड का कृषि विस्तार अधिकारी समन्वय स्थापित करने का सब कार्य करेंगे क्योंकि खण्ड के इन सब अभिकरणों का मुख्यत: किसानो से सम्बन्ध होता है और यदि हां, तो सरकार के विचार में क्या इस से वर्तमान पद्धति में सुधार नहीं होगा ?

श्री सु० कु० डे : इस प्रयोजन के लिये डा० राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में जो समिति नियुक्त की गई थी और जिस में राज्योंके कृषि मंत्री भी सम्मिलित थे, उसने इस प्रश्न का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। वे इस निर्णय पर पहुंचे है कि राज्य स्तर पर कृषि तथा अन्य सम्बन्धित विषय एक बहुत उच्च स्तरीय अधिकारी के आधीन होने चाहिये तथा ऐसे ही प्रबन्ध जिला स्तर पर भी किये जाने चाहिये। जहां तक संभव हो कृषि सम्बन्धी अनुभव वाले व्यक्ति को खण्ड विकास अधिकारी नियुक्त किया जाये। यह सिफारिश थी। वास्तव में हम आरम्भ से ही इस बात पर जोर देते रहे हैं कि खण्ड विकास अधिकारियों की नियुक्ति राजस्व अधिकारियों की बजाये विकास विभागों से की जाये।

श्री बीरेन्द्र बहादूर सिंह : कृषि तथा सिंचाई के कार्यों का समन्वय केवल विकास खण्ड अधिकारी ही कर सकते है, इस विचार को माननीय सदस्यों के सामने रख कर, क्या माननीय मंत्री मध्य प्रदेश द्वारा पेश की गई योजना को समाप्त करना चाहते हैं ?

श्री सु० कु० डे : मैं नहीं जानता यह प्रश्न कैसे पैदा हुआ।

श्री बीरेन्द्र बहादूर सिंह : क्योंकि माननीय मंत्री जी इस बारे में लम्बे लम्बे भाषण दे रहे हैं।

श्री सु० कु० डे : माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था और स्थिति स्पष्ट करने के लिये मुझे उसका उत्तर देना था। मैं और कर भी क्या सकता था। क्या जो प्रश्न पूछा गया था मैं उस का उत्तर देने से इन्कार करता ?

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या माननीय मंत्री. . . . . .

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

अध्यक्ष महोदय : पहले नियम बताना पड़ेगा और बाद में व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है।

श्री भानु प्रकाश सिंह : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश सरकार के इस विवेकपूर्ण निर्णय से मध्य प्रदेश के किसानों में राहत और प्रसन्नता का एक आम लक्षण दिखाई पड़ता है? इस सरकार के लोकतंत्रवादी तथा उत्तरदायित्वपूर्ण रूप को देखते हुए तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वे किसानों तथा इस सभा की भावनाओं को शीघ्र ही समझ लेते हैं, क्या सरकार इस प्रस्ताव के प्रति अपना विरोध हटा लेगी ? इस विषय पर मैं माननीय मंत्री के विचार जानना चाहता हूं।

श्री सु० कु० डे : मध्य प्रदेश के किसानों की प्रतिक्रिया क्या मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यही तो सारी दिक्कत है **(अन्तर्बाधायें)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न को पूछने कि अनुमति इस लिए दे रहा हूं क्योंकि इस के बारे में बहुत उत्तेजना है। परन्तु यदि ऐसे ही चलता रहा, तो मुझे इसे यहीं छोड़ कर अलग प्रश्न उठाना होगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : आम राय यह जांच पडती है कि इस विभाग को ही भंग कर दिया जाये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हम एक या दो स्पष्टीकरण के प्रश्न भी पूछना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हर माननीय सदस्य अपने अपने दृष्टिकोण के लिये तर्क पेश कर रहा है।

श्री भानु प्रकाश सिंह : श्रीमान्, मुझे आप का संरक्षण चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्य के संरक्षण की आवश्यकता है। वह बैठ जायें।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार की खण्ड विकास अधिकारी के पद को खत्म करने की विशेष सिफारिश के अतिरिक्त सारे देश में यह भावना उत्पन्न हो रही है कि सामुदायिक विकास विभाग को पूर्णत: भंग कर दिया जाये क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से लोगों का कोई विकास नहीं हुआ है, बल्कि केवल विभाग का ही विकास हुआ है ?

Shri Madhu Limaye : Whether Government are aware that 50 to 60 per cent of the expenditure is being incurred on officers, houses, jeeps, and allowances etc. May I know whether the Prime Minister will consider that the Department right from the Ministry at the top to the Block Development Officers and Gram Sevaks at the bottom should be abolished and whether Government will take any positive steps in this regard ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही करने के लिये एक सुझाव है।

Shri M. L. Dwivedi : What would be the effects and results of the decision taken by the Government of Madhya Pradesh on Panchayati Raj ?

श्री सु० कु० डे : यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि वर्तमान खण्ड प्रशासन में फेरबदल किया गया तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज समाप्त हो जायेगा।

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी : मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा केन्द्रीय सामुदायिक विकास मंत्री के बीच हुई बातचीत का क्या आशय था ? क्या मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री इस बात पर सहमत हो गये है कि खण्ड स्तर पर कोई समन्वय अभिकरण होना चाहिए? क्या इस बारे में कोई सुझाव भी रखा गया था ?

श्री सु० कु० डे : जैसा कि पहले कहा जा चुका है मैंने कल सुबह ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस प्रश्न पर चर्चा की थी। वह इस तर्क की उपयोगिता को समझते है कि खण्ड स्तर पर विभिन्न सम्बन्धित अभिकरणों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिये कोई अधिकारी अवश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वह इस बार में भूपाल जा कर अपने सहयोगियों के साथ विचार करेंगे और मुझे लगभग एक सप्ताह में सूचित कर देंगे।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : खण्ड स्तर पर कुछ और भी काम किये जाते है, जैसा कि थाना स्वास्थ्य केन्द्रों में तथा सामाजिक शिक्षा केन्द्रों में किये जाने वाले काम। क्या मध्य प्रदेश सरकार नई योजना के अन्तर्गत जिस में कृषि अधिकारी कृषि कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करेंगे, इन्हें सामुदायिक विकास से निकाल कर स्वास्थ निदेशालय और शिक्षा निदेशालय को सौंपने पर विचार कर रही है ?

श्री सु० कु० डे : इस की हमें कोई जानकारी नहीं है। यदि समन्वय स्थापित करने का कोई प्रबन्ध नहीं हुआ तो स्पष्ट है हम यही चाहेंगे कि बिल्कुल वही प्रबन्ध किये जाये तो स्वतन्त्रता के तुरन्त बाद लागू थे।

Shri U. M. Trivedi : Whether the Central Government have thought in the same terms as the Government of Madhya Pradesh have done and for which retrenchment is being made there ? The Government of Madhya Pradesh have come to the conclusion that they have no work except accusing Congress and that is why they are being removed.

श्री राधेलाल व्यास : क्या मध्य प्रदेश सरकार के निर्णय को तथा अन्य राज्यों की भी प्रतिक्रिया को देखते हुये राष्ट्रीय विकास परिषद् जिस ने सामुदायिक विकास के काम को मंजूरी दी थी, इस पर पुनर्विचार करेगी क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद् में सब राज्यों के मुख्य मंत्री तथा हमारे प्रधान मंत्री सम्मलित होते है और दूसरे केन्द्रीय मंत्री भी वहां उपस्थित होते हैं ? कोई निर्णय करने से पहले क्या ऐसा किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : इतने तर्क पेश नहीं किये जाने चाहिएं।

श्री सु० कु० डे : पीछले इतने वर्षों में इस कार्यक्रम पर लगाई गई पूंजी को दृष्टि मे रखते हुए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि इस बारे में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया तो वह केवल राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा ही लिया जायेगा, क्योंकि कार्यक्रम को पहले अवस्था में मंजूर वही कर सकती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कोसी नदी पर बान्ध

*747. **श्री श्रीनारायण दास :**

श्री योगेन्द्र झा :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में कोसी नदी के बहाव की ओर एक और बांध बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्ताव का ठीक-ठीक स्वरूप क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) तथा (ख) : हनुमाननगर स्थित वर्तमान कोसी बराज के लगभग 26 किलोमीटर प्रतिस्त्रोत डगमारा के निकट दूसरे बराज के निर्माण का एक प्राथमिक प्रस्ताव विचाराधीन है। अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है।

युद्ध जोखिम बीमा

*748. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :**

श्री कर्णी सिंहजी :

श्रीमती मैमुना सुल्तान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्धग्रस्त सम्पत्ति का भी आग और क्षति सम्बन्धी बीमा करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : इमारतों, माल ढोने वाली गाड़ियों और लोक-उपयोगी गाड़ियों का युद्ध सम्बन्धी खतरों का ऐच्छिक बीमा कराने की एक योजना लागू करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

हुगली नदी पर पुल

*750. **श्री विभूती मिश्र :**

श्री न० प्र० यादव :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग कलकत्ता को हावड़ा से मिलाने के लिए हुगली नदी पर एक नये पुल का निर्माण करने के पक्ष में है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह रेल अथवा सड़क अथवा रेल-एवं-सड़क का पुल होगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) यह सड़क पुल होगा।

बर्ड एण्ड कम्पनी

*754. **डा० रानेन सेन :** क्या **वित्त** मंत्री 9 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 528 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बर्ड एण्ड कम्पनी तथा उसके कुछ उच्चाधिकारियों पर किये गये जुर्माने वसूल कर लिये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : बर्ड एन्ड कम्पनी और इस मामले से सम्बन्धित उनकी सहायक कम्पनियों तथा व्यक्तियों पर लगाये गये दण्ड की कुल 1,65,35,000 रुपये की रकम में से अबतक 47,65,000 रुपये की रकम वसूल हुई है।

इंडियन आक्सीजन लिमिटेड, कलकत्ता

*756. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या वित्त मंत्री 25 अप्रैल, 1960 के तारांकित प्रश्न संख्या 1669 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन आक्सीजन, लिमिटेड, कलकत्ता का विचार 10-10 रुपये के 9,80,000 नये सामान्य शेयर जारी करने का है जिनमें से 5,88,000 शेयर ब्रिटिश आक्सीजन कम्पनी लिमिटेड, लन्दन को दिये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन शर्तों पर पूंजी प्राप्त करने के लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इससे सरकार के पहले के इस आश्वासन का उल्लंघन नहीं होता है कि आगे से इस कम्पनी में भारतीय भागीदारों को अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) जी, नहीं। इस निगम में ब्रिटिश आक्सीजन लिमिटेड का हिस्सा 60 प्रतिशत है पर इससे ब्रिटिश कम्पनी की कुल पूंजी का प्रतिशत कम हो गया है, यद्यपि यह कमी बहुत थोड़ी है।

प्रमुख परियोजनाओं का स्थान

*757. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने प्रमुख परियोजनाओं के स्थान के बारे में निर्णय करने के लिए मार्ग-दर्शन के लिए आर्थिक और तकनीकी पहलुओं पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से अपने विचार बताने को कहा है ताकि आर्थिक विकास में क्षेत्रीय सन्तुलन को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को दूर-दूर फैलाने पर जोर देने की अपेक्षा देशीय संसाधनों का अधिकाधिक इस्तेमाल किया जा सके ; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : प्रमुख औद्योगिक संस्थानों के स्थान की नीति के बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद् की उद्योग, बिजली और परिवहन समिति में विचार किया गया था। समिति ने सिफारिश की है कि सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत कच्चे माल पर आधारित भारी और आधारभूत परियोजनाएं इत्यादि का जहां तक सम्बन्ध है उनके स्थान का निर्णय आर्थिक आधार पर किया जाये और अन्य परियोजनाओं के लिए उचित विकल्पों की जांच की जाये तथा जो पिछड़े क्षेत्रों के विकास में सहायता प्रदान करते हैं एवं विकास के असंतुलन की पूर्ति करते हैं उन्हें तरजीह दी जाये। राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति ने जो विचार प्रकट किए हैं योजना आयोग उनसे सहमत है।

मद्रास नगर के लिये पेय जल व्यवस्था

*758. **डा० श्रीनिवासन :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी नदी से मद्रास नगर को पेय जल पहुंचाने की व्यवस्था का विस्तार करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) यदि नहीं, तो परियोजना को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राज्य सरकार इस योजना पर चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में काम शुरू करना चाहती है । इस योजना को अन्तिम रूप कब दिया जायगा यह बतलाना संभव नही है क्योंकि विस्तृत नक्शे और प्राक्कलन अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

***759. श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री बागडी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों में मूल्यों में असाधारण वृद्धि के परिणामस्वरूप, औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो नवीनतम उपलब्ध औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने मूल्य-वृद्धि को निष्प्रभाव (न्यूट्रलाइज़) करने के लिय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने का निश्चय कर लिया है ;

(घ) यदि हां, तो वेतन के किस खण्ड (स्लैब) तक यह वृद्धि करने का विचार किया गया है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि मूल्यों में असाधारण वृद्धि हो जाने के कारण कम वेतन पाने वाले कमचारियों में असन्तोष तथा नराश्य है ; और

(च) यदि हां, तो उनकी यथार्थ वित्तीय कठिनाइयों को किस प्रकार दुर करने का सरकार का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) अक्टूबर 1965 के अन्त में बारह महीने का औसत 164.92 था ।

(ग) वेतन आयोग के सूत्र (फार्मूला) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते की दरों पर फिर से तभी विचार किया जाना है जब बारह महीने का औसत 165 तक पहुंच जाय ।

(घ) अभी यह सवाल पैदा नहीं होता ।

(ङ) और (च) : कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से उनके लिए समय-समय पर महंगाई भत्ता मंजूर किया जाता रहा है । 1964 में महंगाई भत्ते की दरें दो बार--1 फरवरी और 1 अक्टूबर से--बढ़ायी गयीं थीं जब 12 महीने का औसत बिन्दु क्रमशः 135 और 145.9 हो गया था । इस वर्ष मार्च से, जब औसत 155.8 तक हो गया था, दरें फिर बढ़ा दी गयीं थीं ।

ग्रामीण विद्युत् सहकारी समितियां

***760. श्री हिम्मत सिंहका ।**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण विद्युत् संभरण सहकारी समितियों द्वारा गांवों में बिजली लगाने के कार्यों का विस्तार करने की एक योजना सरकार के विचाराधीना है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसके कबतक लागू हो जाने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु०ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड के अधीन एक या दो ग्राम विद्युतन सहकारी संस्थाएं प्रायोगिक योजना के रुप में बनाई जा रही हैं। यदि इस तजरबे में सफलता मिल गई तो स्कीम में और विस्तार किया जाएगा। जब ग्राम विद्युतन सहकारी संस्थाए बन जाएंगी तो इनका ग्राम औद्योगिक माल तैयार करने वाली सहकारी संस्थाओं के साथ निकट संपर्क रखा जाएगा। ग्राम बिजली सहकारी संस्थाओं के कार्यक्रम से ग्राम विद्युतन क्षेत्र में राज्य बिजली बोर्डों के क्रिया-कलापों की अनुपूर्ति होगी।

Foreign Exchange

***761. Shri Bade :**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of clubs like Indian Rotary Club and Lions Club and other Institutions which have their Head Offices in foreign countries;

(b) the amount sent by these Clubs to foreign ccuntries every year; and

(c) whether Government are aware that it results in the loss of foreign exchange ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) and (b). Under the current Regulations, Banks authorised to deal in foreign exchange are allowed to permit, without prior approval of the Reserve Bank, remittances, in payment of subscriptions or membership fees to bona fide Clubs, scientific, techn and educational institutions upto Rs. 200/- for any applicant in any one calendar year. Only two applications from the Rotary Club and the Lions Club were referred to Government for release of exchange for remittances to their respective Headquarters. The Rotary Club has been permitted two remittances of Rs. 1 lakh each in December, 1954 and June, 1956 respectively. The Lions International has been allwoed a remittance of $ 4000 in 1962.

(c) The total remittances and the consequent expenditure in foreign exchange cannot be considered excessive.

आय-कर पदाधिकारियों की भर्ती

***762. श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह :**

श्री हिम्मतसिंहका :

श्री प० ह० भील :

क्या **वित्त** मंत्री 18 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 891 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सभी आयकर निरीक्षकों (इन्सपैक्टरों) को, जिन्होंने विभागीय परीक्षा पास कर ली है और जो अन्यथा यथोचित अर्हताप्राप्त है और जो आयकर पदाधिकारी (श्रेणी 2) के पदों के लिए पदोन्नति की प्रतीक्षा में हैं, आयकर पदाधिकारी (श्रेणी 2) के वर्तमान रिक्त स्थानों में नियुक्त कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उनके मामलों पर विचार न करने तथा इतने बड़े पैमाने पर तदर्थ भर्ती करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) जी, नहीं।

(ख) नये व्यक्तियों को आयकर-सेवा में लाना; अधिक विस्तृत क्षेत्र से लोगों को चुनना तथा सेवा की क्षमता और स्तर को उन्नत बनाना ही इस विशेष भरती के सामान्य कारण हैं।

दिल्ली में "लकी ड्रा" योजनायें

***763. श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी कम्पनियों ने "लकी ड्रा" योजनाएं चला रखी हैं;

(ख) क्या इन योजनाओं का संचालन किसी कानून द्वारा विनियमित है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन व्यक्तियों के हितों का संरक्षण करने के लिये, जिन्होंने इन योजनाओं में बड़ी धनराशि लगा रखी है, सरकार ने क्या उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) समझा जाता है कि इस समय 39 कम्पनियां ऐसी योजनाएं चला रही हैं।

(ख) ये योजनाएं लाटरियों के ढंग की हैं और भारतीय दण्ड-संहिता की धारा 294-क के उपबन्धों के अनुसार गैर-कानूनी हैं।

(ग) जनता को इन योजनाओं से सावधान कर दिया गया है। हाल ही में ऐसी लॉटरियां चलाने वाली छः कम्पनियों के बही-खाते और कागजपत्र जब्त कर लिये गये हैं और अब इन योजनाओं के संचालकों में से कुछ पर मुकदमा चलाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली में खाद्य के विषाक्त होने की घटनायें

***764. श्री बाल्मिकी :**
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या स्वास्थ्य मंत्री 11 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 169 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सदर बाजार के हलवाई तथा राजधानी के अन्य हलवाइयों की दुकानों से इकट्ठे किये गये मिठाइयों के नमूने पुलिस की सील में पटियाला जांच के लिए भेजे गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) पुलिस ने सदर बाजार के इस हलवाई की दुकान से मिठाइयों के नमूने लिये और उन्हें रासायनिक परीक्षा के लिये पटियाला भेज दिया। किसी दूसरे हलवाई से मिठाइयों के ऐसे नमूने नहीं लिये गये।

(ख) जी, हां।

(ग) रासायन परीक्षक, पटियाला की रिपोर्ट से मालूम होता है कि इन नमूनों में कोई जहर नहीं था।

बचत आन्दोलन

*765. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र के विभिन्न मंत्रालयों के योजना तथा गैर-योजना व्यय में बचत आन्दोलन की योजना के परिणामस्वरूप जो उनके मंत्रालय ने बनाई थी, कितनी सफलता प्राप्त हुई है ; और

(ख) दस प्रतिशत कटौती के उनके सुझाव को विभिन्न मंत्रालयों ने किस हद तक क्रियान्वित किया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श करने और छोड़े जा सकने वाले कार्यों में कटौती करने या उन्हें उठा रखने के बारे में कदम उठाने के लिए, मंत्रिमंडल के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गयी है। समिति का लक्ष्य 1966-67 में मंत्रालयों के आयोजना से भिन्न बजटों में चालू वर्ष की व्यवस्था की तुलना में 10 से 15 प्रतिशत तक की कमी करना है। समिति अब तक सरकार के 22 विभागों की जांच कर चुकी है और उसने मितव्ययता तथा बजट को सीमित करने के बारे में निश्चित सुझाव दिये हैं। कुछ अन्य सुझाव सामने आये हैं जिन पर अभी अमल किया जा रहा है। अगले दो महीनों में ठीक स्थिति का पता चलेगा। आम तौर पर यह फैसला किया गया है कि खाली पदों, यात्रा भत्तों, अन्य व्यय और इमारतों के लिए व्यवस्था को दृढ़ता से सीमित किया जाय। आयोजना से भिन्न व्यय को कम करने और साधन उपलब्ध कराने के बारे में अब तक जो प्रयत्न किये गये हैं उनके आशाजनक परिणाम निकलने का पता चला है। इनका प्रभाव 1966 के शुरू में पेश किये जाने वाले बजट अनुमानों पर दिखायी पड़ेगा।

खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना

*766. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री 9 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 515 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, 1954, जो 1964 में संशोधित किया गया था को प्रभावी ढंग से चालू करने के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठी करने के हेतु स्थापित किये गये दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई में काले धन का पता लगाने के लिये मारे गये छापे

*767. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में आय-कर अधिकारियों ने पिछले कुछ दिनों में काले धन का पता लगाने के लिये बड़े पैमाने पर छापे मार कर लेखा बहियों तथा अन्य छिपाए हुए दस्तावेजों तिजोरियों तथा लाकरों पर कब्जा किया;

(ख) क्या सरकार ने इन सब मामलों में करापवंचन की राशि का अनुमान लगाया है; और

(ग) करापवंचन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) जी, हां।

(ख) पकड़े गये सामान व कागजों की छानबीन पूरी होने पर ही कर की चोरी की मात्रा का पता चल सकता है ।

(ग) अभी प्रश्न नहीं उठता ।

चौथी योजना के लिये विदेशी सहायता

***768. श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री लिंग रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना की विदेशी सहायता की आवश्यकताओं के बारे में बातचीत करने के लिये विश्व बैंक का एक दल आया है ; और

(ख) विश्व बैंक से सहायता किन प्रयोजनों के लिये मांगी गयी है और कुल कितनी वित्तीय सहायता मांगी गयी है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) चूंकि चौथी पंचवर्षीय आयोजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए भारत सरकार ने चौथी आयोजना की प्रायोजनाओं के लिए सहायता के सम्बन्ध में विश्व बैंक से] अभी तक अनरोध नहीं किया है ।

नई दिल्ली के इन्द्रप्रस्थ बिजली घर में आग लगना

***769. श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री इन्द्रप्रस्थ बिजली घर, नई दिल्ली, में आग लगने की घटना के बारे में 16 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2287 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच पुलिस जांच की रिपोर्ट मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां तथा निष्कर्ष क्या है;

(ग) दिल्ली विद्युत् उपक्रम संभरण के महाप्रबन्धक ने जिन 13 सरकारी कर्मचारियों को दोषी पाया था उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : अधिकारियों में प्राप्त स्पष्टिकरण इस समय विचाराधीन हैं ।

रेडियो आइसोटोप्स का प्रयोग

***770. श्री श्रीनारायण दास :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में रेडियों आइसोटोप्स के प्रयोग के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है और रोगों के निदान तथा इलाज के लिये उन्हें किस सीमा तक काम में लाया जा रहा है ;

(ख) क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है अथवा लगाये जाने का विचार है कि यदि देश में चिकित्सा कार्य करने वाले सभी अस्पताल रेडियों आइसोटोप्स का प्रयोग करना चाहें, तो रेडियों आइसोटोप्स के समुचित प्रयोग के लिये कितने उपयुक्त उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क), (ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कृषि उत्पादन कार्यक्रम

*771. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिये योजना आयोग द्वारा नियुक्त कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया; और

(ख) यदि हां, तो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये उनकी मुख्य सिफारिशें क्या ? हैं

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : सामुदायिक विकास कार्यक्रम और सधन क्षेत्र विकास योजनाओं के मूल्यांकन के लिये 1952 में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन का गठन किया गया था। 1960-61 से यह संगठन विशिष्ट योजना कार्यक्रमों की समस्याओं के बारे में अध्ययन कर रहा है। प्रत्येक मूल्यांकन अध्ययन के प्रतिफल प्रतिवेदनों के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं। कृषि के क्षेत्र में इसने उन्नत बीज, उर्वरक, सिंचाई आदि कतिपय कृषि उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमों का अध्ययन किया है, और प्रशासनिक समन्वय की समस्यायों पर भी विचार किया है। परन्तु इसने कृषि उत्पादन के नाम से कोई ब्यौरेवार अध्ययन नहीं किया है। संगठन द्वारा जिन कृषि कार्यक्रम के विशेष पहलुओं का अध्ययन किया गया उनकी सूची नीचे दी जा रही है :—

(1) उन्नत बीज का संवर्धन और वितरण कार्यक्रम।

(2) छोटी सिंचाई की समस्याएं।

(3) कृषि भूमि के लिये भूमि संरक्षण कार्यक्रम।

(4) कृषि कार्यक्रमों में समन्वय की समस्याएं।

ये प्रतिवेदन संसद् को उसके पुस्तकालय के लिये पहले ही उपलब्ध किये जा चुके हैं। प्रत्येक प्रतिवेदन के अन्तिम अध्ययन में सारांश और सुझाव दिये गये हैं।

नहरी पानी की सप्लाई के लिये पाकिस्तान की मांग

*772. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माधोपुर के पास मध्य बड़ी दोआब की नहरों से अस्थायी रुप से सिन्धुजल देने की पाकिस्तान की मांग के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : पाकिस्तान की सरकार का यह सुझाव कि सेन्ट्रल बारी दोआब चैनल्स के पानी का उन का हिस्सा उन्हें माधोपुर के नीचे रावी नदी में अस्थाई रुप से दिया जाए, सिन्धु जल सन्धि 1960 के अन्तर्गत नहीं आता।

पूर्वी क्षेत्र में परिवहन सर्वेक्षण

2133. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पुर्वी क्षेत्र में सभी प्रकार के परिवहन का सर्वेक्षण, जिस का खर्च भारत सरकार तथा विश्व बैंक द्वारा दिया जाना था, इस बीच आरम्भ कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

योजना आयोग तथा रेलवे परिवहन और नागरिक उड्डयन मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से गठित संगठन परिवहन आयोजन संबंधी संयुक्त तकनीकल दल ने क्षेत्रीय परिवहन सर्वेक्षण का सूत्रपात किया है। इस क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और इन राज्यों से मिले हुए मध्य प्रदेश एवं आन्ध्र प्रदेश के जिले हैं। यह सर्वेक्षण कलकत्ता में स्थापित एक विशेष संगठन द्वारा किया जा रहा है, जिसमें योजना आयोग, रेलवे तथा परिवहन मंत्रालयों ने कर्मचारी उपलब्ध किये हैं। विश्व बैंक द्वारा जो पांच विशेषज्ञों का दल उपलब्ध किया गया है और वह परिवहन आयोजन संबंधी संयुक्त तकनीकल दल के संरक्षत्व में संगठनात्मक गठन के अंग के रूप में सर्वेक्षण कार्य में भाग ले रहा है। विश्व बैंक इन विशेषज्ञों का खर्चा वहन कर रहा है और स्थानीय खर्चे की व्यवस्था भारत सरकार कर रही है।

सर्वेक्षण के उद्देश्य निम्न प्रकार है :—

(1) विभिन्न प्रकार की परिवहन सम्बन्धी उपलब्ध सुविधाओं और तीसरी योजना के अन्त में क्षेत्र की परिवहन आवश्यकताओं का अनुमान लगाना;

(2) समस्त परिवहन व्यवस्था सम्बन्धी वर्तमान यातायात अड़चनों का पता लगाना, इन अड़चनों को दूर करने के लिये जिन उपायों की आवश्यकता है, उनपर विचार करना; और

(3) दस से पन्द्रह वर्षों की अवधि में सम्भाव्य आर्थिक विकास को और उस विकास को बनाये रखने के लिये अपेक्षित परिवहन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र की भावी परिवहन आवश्यकताओं का अनुमान करना।

18 प्रमुख जिनसों के लिये प्रवाह नक्शे, 60 नाभीय बिन्दओं के लिये, राजमार्ग यातायात सर्वेक्षण और क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं वगैरा के बारे में आधारभूत आंकडे इकट्ठे करने सहित कार्य का प्रथम चरण पूरा करने में काफी प्रगति हो गई है।

राज्यवार प्रति व्यक्ति आय

2134. श्री मधु लिमये : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राज्यवार प्रति व्यक्ति आय के बारे में आंकड़े इकट्ठे करने का कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) क्या सरकारी आंकडों से राज्यों के बीच आय के असमान वितरण के बारे में व्यवहारिक आर्थिक अनुसन्धान की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा की गई पूछताछ के परिणामों की पुष्टि होती है; और

(ग) क्या सरकार ने चौथी योजना अवधि में इस सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही करने की योजना बनाई है।

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अध्ययन अभी जारी हैं।

(ख) व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् ने जो अनुमान दिये हैं उनकी प्रामाणिकता की तब तक जांच करनी सम्भव नहीं जबतक केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अध्ययन पूरे नहीं हो जाते।

(ग) क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, सरकार की स्वीकृत नीति है।

रेत सिंचाई परियोजना (उड़ीसा)

2135. **श्री प्र० के० देव :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार के जल विद्युत् विभाग ने कालाहांडी जिले में रेत सिंचाई परियोजना की रुपरेखा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस पर कितना खर्च होगा और इसकी सिंचाई क्षमता क्या होगी;

(घ) क्या यह एक लाभप्रद परियोजना है;

(ङ) यह सम्भवत: कब आरम्भ की जायेगी और कब तक पूरी होगी; और

(च) इस परियोजना की कार्यान्विति के परिणाम स्वरुप अनाज का कितना उत्पादन होगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) उड़ीसा सरकार ने कालाहाण्डी मास्टर 'प्लैन' नामक एक प्राथमिक रिपोर्ट तैयार की है जिसके अन्तर्गत रेत सिंचाई परियोजना भी आती है :—

(ख) (1) **बांध**—

किस्म : वेल्लित मिट्टी बांध
लम्बाई : 2750 फुट
ऊंचाई : नदी तल से 97 फुट ऊंचा

(2) **जलाशय**—

कुल संचय : 21900 लाख घन फुट
सक्रिय संचय : 21300 लाख घन फुट

(ग) (1) **अनुमित लागत**—

181,64 लाख रुपये

(2) **सिंचाई लाभ**—

खरीफ : 22,000 एकड़
रब्बी : 11,000 एकड़

(घ) इस का तभी पता चलेगा चब कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जाएगी।

(ङ) राज्य सरकार ने अभी परियोजना के कार्यान्वय के लिये कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया है।

(च) चूंकि यह केवल प्राथमिक रिपोर्ट है इसलिये राज्य सरकार ने इस का आंकन नहीं किया है।

उदन्ती सिंचाई परियोजना (उड़ीसा)

2136. श्री प्र० के० देव : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार के जल विद्युत् प्रभाग ने कालाहांडी जिले में उदन्ती सिंचाई परियोजना की रूपरेखा तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस पर कितना खर्च होगा तथा इसकी सिंचाई क्षमता क्या होगी ;

(घ) क्या यह एक लाभप्रद परियोजना है ;

(ङ) यह कब आरम्भ की जायगी, और कब तक पूरी होगी ; और

(च) इस परियोजना की कार्यान्विति के परिणामस्वरूप अनाज के उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) उड़ीसा सरकार ने 'कालाहन्डी मास्टर प्लैन' नामक एक प्राथमिक रिपोर्ट तैयार की है जिस के अन्तर्गत उदन्ती सिंचाई परियोजना भी आती है ।

(ख) (1) **बांध—**

किस्म : वेल्लित मिट्टी बांध (रोल्ड अर्थ फिल)
लम्बाई : 1435 फुट
ऊंचाई : नदी तल से 164 फुट ऊंचा

(2) **जलाशय—**

कुल संचय : 95130 लाख घन फुट
सक्रिय संचय : 3550 लाख घन फुट

(ग) (1) **अनुमित लागत—**

672.57 लाख रुपये

(2) **सिंचाई लाभ—**

खरीफ : 78,600 एकड़
रबी : 39,300 एकड़

(घ) इसका तभी पता चलेगा जब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जाएगी ।

(ङ) राज्य सरकार ने परियोजना के कार्यान्वन के लिये अभी कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया है ।

(च) चूंकि रिपोर्ट केवल प्राथमिक रुप में है राज्य सरकार ने इसका आंकन नहीं किया है ।

इन्द्र सिंचाई परियोजना (उड़ीसा)

2137. श्री प्र० के० देव : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार के जल विद्युत् प्रभाग ने कालाहांडी जिले में इन्द्र सिंचाई परियोजना की रूप रेखा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ;

(ग) इस पर कितना खर्च होगा और इसकी सिंचाई क्षमता क्या होगी ;

(घ) क्या यह एक लाभप्रद परियोजना है ;

(ङ) यह कब आरम्भ की जायेगी और कब तक पूरी होगी ; और

(च) इस परियोजना की कार्यान्विति के परिणामस्वरूप अनाज के उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) उड़ीसा सरकार ने 'कालाहन्डी मास्टर प्लैन' नामक एक प्राथमिक रिपोर्ट तैयार की है जिस के अन्तर्गत इन्द्रा सिंचाई परियोजना भी आती है ।

(ख) (1) **इन्द्रा बांध—**

किस्म : वेल्लित मिट्टी बांध (रोल्ड अर्थ फिल)

लम्बाई : 1920 फुट

ऊंचाई : नदी तल से 90 फुट ऊंचा

(2) **जलाशय—**

कुल संचय : 49,220 लाख घन फुट

सक्रिय संचय : 45,000 लाख घन फुट

(3) **सुन्दर वीयर—**

लम्बाई : 400 फुट

ऊंचाई : नदी तल से 10 फुट ऊंचा

(ग) (1) **अनुमित लागत—**

255.60 लाख रुपये

(2) **सिंचाई लाभ—**

खरीफ : 46,700 एकड़

रबी : 23,350 एकड़

(घ) इसका तभी पता लगेगा जब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जाएगी ।

(ङ) राज्य सरकार ने परियोजना के कार्यान्वन के लिये कोई कार्यक्रम अभी नहीं बनाया है।

(च) चूंकि रिपोर्ट केवल प्राथमिक रुप में ही है इसलिये राज्य सरकार ने इसे नहीं आंका है ।

जोंक सिंचाई परियोजना (उड़ीसा)

2138. **श्री प्र० के० देव :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार के जल विद्युत् प्रभाग ने कालाहांडी जिस में जोंक सिंचाई परियोजना की रूपरेखा तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस पर कितना खर्च होगा और इसकी सिंचाई क्षमता क्या होगी ;

(घ) क्या यह एक लाभप्रद परियोजना है ;

(ङ) यह परियोजना कब आरम्भ की जायेगी और कब तक पूरी होगी ; और

(च) इस परियोजना की कार्यान्विति के परिणामस्वरूप अनाज के उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) उड़ीसा सरकार ने 'कालाइंडी मास्टर प्लैन' नामक एक प्राथमिक रिपोर्ट तैयार की है जिस के अन्तर्गत जोंक सिंचाई परियोजना भी आ जाती है।

(ख) (1) **बांध**—

किस्म : वेल्लित मिट्टी बांध (रोल्ड अर्थ फिल)

लम्बाई : 2085 फुट

ऊंचाई : नदी तल से 70 फुट ऊंचा।

(2) **जलाशय**—

कुल संचय : 28,740 लाख घन फुट

कार्यशील संचय : 25,500 लाख घन फुट

(ग) (1) **अनुमित लागत**—

176.08 लाख रुपये

(2) **सिंचाई लाभ**—

खरीफ : 26,400 एकड़

रबी : 13,200 एकड़

(घ) इसका तभी पता चलेगा जब कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जाएगी।

(ङ) परियोजना के कार्यान्वन के लिये राज्य सरकार ने अभी कोई कार्यक्रम नहीं बनाया है।

(च) चूंकि रिपोर्ट केवल प्राथमिक रुप में ही है राज्य सरकार ने इसका आंकन नहीं किया है।

सागदा सिंचाई परियोजना (उड़ीसा)

2139. श्री प्र० के० देव : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार के जल विद्युत् विभाग ने कालाहांडी जिले में सागदा सिंचाई परियोजना की रूपरेखा तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस पर कितना खर्च होगा तथा इसकी सिंचाई क्षमता क्या होगी ;

(घ) क्या यह एक लाभप्रद परियोजना है ;

(ङ) यह कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा और कब पूरा होगा ; और

(च) इस परियोजना की कार्यान्विति के परिणामस्वरूप अनाज के उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) से (च) : सगदा परियोजना के अधीन संकल्पित आयाकट को अब प्रस्तावित अपर इन्द्रावती पन बिजली स्कीम का विस्तृत अनुसन्धान हो रहा है की जल निस्सार नाली से पानी देने का विचार है। इस लिये राज्य सरकार ने सगदा घाटी के अनुसन्धान को अस्थायी रुप से स्थगित कर दिया है।

दिल्ली में यमुना तल से पानी

2140. श्री लखमू भवानी : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में पानी की व्यवस्था का विस्तार करने के लिये यमुना नदी के तल के नीचे से पानी प्राप्त करने के बारे में अन्वेषण कार्य ने अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) यह कार्य कब तक पूरा होगा ; और

(ग) इस परियोजना पर कुल कितना खर्च होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) स्तरों की अतिवध्यता को जानन के लिये पर्म्पिग सेट के अलावा यमुना नदी के तल के नीचे से पानी प्राप्त करने के अन्वेषण वाले शेष सभी कार्य पूरे हो चुके हैं।

(ख) इस काम के लगभग एक महीने में पूरे हो जाने की आशा है।

(ग) इस परियोजना पर कितना खर्च आयेगा यह बतलाना इस अवस्था में सम्भव नहीं है। अन्वेषण कार्यों पर लगभग 82 हज़ार रुपये खर्च होने की सम्भावना ।

नई दिल्ली में कई मंजिला गैरेज

2141. श्री वाडिया :
श्री लखमू भवानी :
श्रीमती श्यामकुमारी देवी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाट प्लेस नई दिल्ली में एक कई मंजिला गैरेज बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां ।

(ख) वास्तुकार द्वारा तैयार किये गये प्रारम्भिक नक्शे तथा प्राक्कलन नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं। विस्तृत नक्शों तथा प्राक्कलनों की जांच की जा रही है।

कैलाश कालोनी, नई दिल्ली के लिए केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा औषधालय

2142. श्री जं० ब० सिं० बिष्ट : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली की कैलाश कालोनी तथा ग्रेटर कैलाश कालोनी मे रहने वाले सरकारी कर्मचारियों तथा उनके परिवारों की कोई जनगणना की गई ;

(ख) क्या कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार के बहुत से कर्मचारी रहते हैं वहां पर एक केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा औषधालय होना चाहिये अथवा कम से कम एक चलता फिरता औषधालय वहां पर नियमित रूप से जाना चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो उन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, नहीं। तथापि इस समय एन्डरुज़ गंज डिस्पेंसरी से केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना का लाभ प्राप्त करने वाले नई दिल्ली की कैलाश और ग्रेटर कैलाश बस्तियों में रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के परिवारों की संख्या लगभग 200 है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इन बस्तियों में रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के परिवारों की संख्या थोड़ी है और उनकी आवश्यकता पूर्ति केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना डिस्पेंसरी, एन्डरुज़ गंज में हो रही है जो वहां से लगभग दो मील दूर है तथा वहां के लिए यातायात के अच्छे साधन हैं। इसलिए वहां के लिए अलग से एक अचल औषधालय खोलना या एक सचल गाड़ी की व्यवस्था करना फिलहाल युक्तियुक्त नहीं है।

बडागरा केरल में जल सम्भरण

2143. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में बडागरा नगरपालिका के लिए जल संभरण की व्यवस्था करने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस समय किस प्रकार का काम हो रहा है ;

(ग) इस योजना की अनुमाबित लागत कितनी है ;

(घ) अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है ; और

(ङ) योजना की शीघ्र क्रियान्विति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) वडागरा नगरपालिका सीमा के अन्दर पड़ने वाले अत्यधिक कठिन क्षेत्रों को तुरन्त राहत देने के विचार से नल कूप खोदने की एक अन्तरिम योजना शुरू की गई है।

(ख) ऊपरी टेंक तथा अस्थायी पम्प हाउस तैयार हो चुके हैं। अन्य सभी काम चल रहे हैं।

(ग) 3,55,400 रुपये।

(घ) 1,64,100 रुपये।

(ङ) इन काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक अनुदेश दिये गये हैं।

बडागरा, केरल में बिजली की सप्लाई

2144. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की बडागरा नगर-पालिका में कोट्टकूल पक्काइल तथा पुछुपन्नम को बिजली देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कब तक क्रियान्वित होगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) तथा (ख) : अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

माहे में भूमि सुधार

2145. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि योजना आयोग के कार्यक्रम के अनुसार माहे में भमि सुधार करने में क्या प्रगति हुई है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : माह की केरल के साथ भौगोलिक समीपता होने के कारण 1 जुलाई, 1958 से वहां मालाबार काश्तकारी अधिनियम, 1929 लागू कर दिया गया था। केरल भूमि सुधार अधिनियम के आधार पर व्यापक कानून बनाने के बारे में पाण्डुचेरी सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। फिलहाल, माहे (बेदखल की कार्रवाई को रोकना) नियम, 1963 के अन्तर्गत सब काश्तकारों और बटाईदारों की बेदखली रोक ली गई है और अधिनियम की अवधि दिसम्बर, 1966 तक बढ़ाई जा रही है।

नई दिल्ली के गोल मार्केट क्षेत्र में दुमंजिले क्वार्टर

2146. श्री यशपाल सिंह : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि ;

(क) क्या सरकार गोल मार्केट क्षेत्र में वर्तमान एक मंजिले क्वाटरों को गिरा कर वहां दुमंजिले तथा बहुमंजिल सरकारी क्वार्टर बनाने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो यह काम संभवतः कब पूरा होगा ; और

(ग) इस पर कितना खर्चा होगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) से (ग) : उक्त क्षेत्र में वर्तमान एक मंजिल (सिंगल स्टोरी) क्वार्टरों को तोड़ कर बहुमंजिले फ्लैट बनाने का निर्णय किया गया है। यह निर्णय सुविधाजनक प्रक्रमों म कार्यान्वित किया जायेगा। प्रथम प्रक्रम में पंच कुईयां रोड पर दो मंजिले टाइप 1 के 720 क्वार्टर बनाये जा चुके हैं। अगले प्रक्रम की आयोजना तयार हो चुकी है तथा वह विचाराधीन है। यदि निधि उपलब्ध हुई तो अगले वर्ष कार्य शुरू किया जायेगा।

खाली भूखण्डों पर मकानों का निर्माण

2147. श्री यशपाल सिंह : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में खाली भूखंडों पर मकान बनाने के लिये अन्तिम तिथि बढ़ा दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : निर्माण तथा आवास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नजूल भूमि, जिसमें पुनर्वास-बस्तियों की भूमि भी शामिल है, की पट्टे की शर्तों में यह व्यवस्था है कि प्लाटों पर निर्धारित अवधि में सामान्यतः दो वर्ष की अवधि में निर्माण पूरा हो जाये। पुनर्वास बस्तियों के मामले में 5 नवम्बर, 1963 को एक प्रेस नोट जारी किया गया था जिसमें पुनर्वास बस्तियों के पट्टेदारों को अनुमति दी गई थी कि वे 31 दिसम्बर, 1964 तक मकान बना लें, ऐसा न करने पर सरकार यह अधिकार सुरक्षित रखती है कि पट्टे की शर्तों के अनुसार प्लाट पुनर्ग्रहण कर लें।

फिर भी सीमेंट तथा अन्य आवश्यक भवन-सामग्री की कमी को दृष्टि म रखते हुए भूमि तथा विकास कार्यालय को यह अधिकार दे दिया गया है कि यदि वह संतुष्ट हो जाये कि पट्टेदार इमारत बनाने के लिए इच्छुक है किन्तु समुचित कारणों की वजह से वह ऐसा न कर सका तो प्लाट के स्वामियों को इमारत पूरी करने के लिए एक बार में एक वर्षकी वृद्धि दी जाये।

जहां तक दिल्ली प्रशासन के नियंत्रण में भूमि का संबंध है वे भी बगैर बने प्लाटों को पुनर्ग्रहण करने के अधिकार को कार्यान्वित करने से पूर्व प्लाट के स्वामियों की वास्तविक कठिनाईयों पर विचार करते हैं।

नेशनल रायफल एसोसिएशन आफ इंडिया के लिये चांदमारी के लिये स्थान

2148. श्री कर्णी सिंहजी :
श्री हेम बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भानु प्रकाश सिंह :

क्या **निर्माण** और **आवास** मन्त्री 12 दिसम्बर, 1963 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1530 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में वर्तमान संकटकालीन स्थिति को देखते हुए नेशनल राइफल एसोसियशन आफ इण्डिया को चांदमारी के लिये मेहरोली (दिल्ली) के निकट स्थान देने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का नेशनल राइफल एसोसियशन आफ इण्डिया को चांदमारी का कार्यक्रम पूरा करने के लिये ऋण देने का भी प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) वर्तमान संकट काल से पूर्व भूमि अर्जन के खर्चे को पूरा करने के लिए 13 लाख रुपये की अदायगी करने पर दिल्ली प्रशासन के ारा नेशनल राइफिल एसोसियेशन आफ इन्डिया को चांदमारी बनाने के लिए पालम महरौ ी रोड पर 90 एकड़ भूमि का प्रस्ताव था। एसोसियेशन ने यह अनुरोध किया कि उन्हें बगैर ।कसी कीमत के भूमि अलाट की जाये। दिल्ली में "बड़े पैमाने पर भूमि के अर्जन, विकास तथा निपटान" की योजना के अंतर्गत किसी भी संस्था को बगैर अदायगी के भूमि अलाट करने की व्यवस्था नहीं है।

(ख) 95 एकड़ भूमि जो कि अपर रिज रोड के दक्षिण की ओर इस मंत्रालय के द्वारा एसोसियेशन को अलाट की गयी थी, उसका प्रीमियम तथा भूमि किराया अदा करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 72,000 तथा 3,000 रुपये का 1959-60 में एसोसियशन को अनुदान मंजूर किया। बाद में एसोसियेशन ने उपर्युक्त राशि वापस कर दी क्योंकि अलाटमेंट रद्द कर देना पड़ा यह इसलिये कि वह क्षत्र "ग्रीन बैल्ट" में था तथा उस पर कोई इमारत नहीं बन सकती। फिलहाल चांदमारी बनाने के लिए ऋण की पेशगी का एसोसियशन का कोई भी अनुरोध सरकार के पास नहीं पड़ा है।

व्यय-कर

2149. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि व्यय-कर फिर से लागू किये जाने के समय से 31 मार्च, 1965 तक व्यय-कर की कुल कितनी रकम वसूल ी गई ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : 42,11,000 रु०।

कोयना परियोजना

2150. **श्री मधु लिमये :**
श्री रामसेवक यादव :
श्री बागड़ी :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयना परियोजना के दूसरे चरण को पूरा करने के सम्बन्ध में अब तक की प्रगति क्या है ;

(ख) इस समय कोयना परियोजना में कितनी बिजली पैदा की जाती है ;

(ग) क्या कोयना परियोजना से गोआ को बिजली दी जाती है ; और

(घ) कोयना परियोजना में पैदा की गई बिजली का (एक) कृषि सम्बन्धी विकास तथा लघु उद्योगों और (दो) पूना-बम्बई क्षेत्र में बड़े उद्योगों के लिये कितना-कितना उपयोग किया जाता है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) कोयना परियोजना चरण 2 पर अब तक की कार्य-प्रगति निम्नलिखित है :—

सिविल इन्जीनियरी कार्य :

अन्तिम ऊंचाई और परिणाम तक बांध का कंक्रीट कार्य पूर्ण हो गया है ; हाएस्ट टावर्स का कंक्रीट कार्य प्रगति कर रहा है ; दबाव दण्डों पर कार्य लगभग पूर्ण हो गया है ; टर्बाइन खड्डों और स्विचयार्ड का कंक्रीट कार्य पूर्ण हो गया है।

विद्युतीय तथा यान्त्रिकीय कार्य :

टर्बाइनों और जनरेटरों को स्थापित करने का कार्य प्रगति कर रहा है ; दबाव दण्डों के लिये तितलीनुमा कपाटिकाओं का निर्माण पूर्ण हो गया है, स्विचगीयर, ट्रांस्फार्मर संरचना, 220 के० वी० केबल प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

चाल होने की प्रत्याशित तिथि :

प्रथम उत्पादन यूनिट (75 मैगावाट) के जनवरी, 1966 के अन्त तक चालू होने की सम्भावना है।

(ख) इस समय केवल कोयना चरण 1 से ही बिजली पैदा की जाती है, जिसकी प्रतिष्ठापित क्षमता 240 मैगावाट है। अगस्त-अक्तूबर, 1965 के दौरान 4150 लाख यूनिट बिजली का वास्तविक उत्पादन हुआ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) कोयना परियोजना से उत्पन्न हुई बिजली महाराष्ट्र ग्रिड प्रणाली जिसका चालन महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड कर रहा है, को दी जाती है। इस ग्रिड से 1964-65 के दौरान बोर्ड द्वारा बची गई कुल बिजली में से 258 लाख यूनिट (6.15 प्रतिशत) सिंचाई को दी गई थी, 945 लाख यूनिट (22.40 प्रतिशत) छोटे उद्योगों को दी गई थी और 1117 लाख यूनिट (27.75 प्रतिशत) बड़ उद्योगों को दी गई थी।

Sharda Ganga Grid

2151. Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Sharda-Ganga Grid of U. P. will be linked with Delhi; and

(b) if so the prospects of increase in the electric supply position in Delhi due to this ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri S. D. Misra): (a) Yes.

(b) No Power is proposed to be supplied from the Sharda-Ganga Grid of U.P. to Delhi on a regular basis. With the completion of Delhi-Ghaziabad link shortly and Delhi-Moradnagar link in the latter half of 1966, power supply to the extent of 10 MW through the former and 100 MW through the latter can be effected in times of emergencies.

Research in Birth Control

2152. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a flower known as "Plasu" grown in Kerala could be effectively used for birth control; and

(b) if so, whether research has been conducted in this regard ?

Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) The Government of Kerala have reported that the flower called "Plasu" has a reputation of being an

effective drug for birth control. But this claim has not yet been systematically investigated and established.

(b) The State Government are considering a proposal to start a Pilot Project in the Ayurvedic Hospital, Trivandrum to conduct research on the efficacy of this drug. The drug is also being referred to the I.C.M.R.

Seizure of Sealed Boxes for Pakistan at Bombay Port

2153. Shri Gulshan :
Shri Buta Singh :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 200 sealed boxes sent by Britain to Pakistan were seized at Bombay port during October, 1965;

(b) if so, the contents there of ; and

(c) the value of the goods ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) and (b). A cargo of 200 drums (not sealed boxes) manifested to contain hydrogen peroxide was consigned from Liverpool to Pakistan by an Indian vessel "S. S. Uttar Pradesh". As the Indian vessel could not proceed to Pakistan on account of the hostilities, the cargo was off-loaded at Bombay and is lying there. It has not been seized.

(c) Not known.

पंजाब में नलकूप

2154. श्री यशपाल सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि राज्य में नलकूप लगाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाये और ;

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) जी, हां। पंजाब सरकार ने स्कीम अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की है।

(ख) 128 ट्यूबवैल बनाने की योजना स्वीकार हो गई है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का आयुर्वेदिक औषधालय

2155. श्री यशपाल सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री 29 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2769 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जिस आयुर्वेदिक औषधालय को खोलने का प्रस्ताव था क्या वह इस बीच खोल दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : उचित स्थान न मिलने के कारण सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में अभी तक केन्द्रीय स्वास्थ योजना आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी खोलना सम्भव नहीं हो सका है।

हुसैनीवाला हेडवर्क्स पर बम-बारी

2156. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **सिंचाई औ विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हुसैनीवाला हैडवर्क्स तथा अनेक स्थानों पर पाकिस्तान द्वारा बम-बारी करने के प्रयासों की ओर दिलाया गया है, जहां से पाकिस्तान को पानी की सप्लाई विनियमित की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अन्तर्राष्ट्रीय संधि का खुला उल्लंघन है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या पग उठाय गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) : पाकिस्तान ने हुसैनीवाला हैडवर्क्स पर गोलाबारी की थी जिस के कारण हैडवर्क्स के संरचना कार्यों को कुछ हानि पहुंची। सिन्धु जल संधी में बमबारी अथवा गोलाबारी से उत्पन्न होने वाली स्थितियों को कोई चर्चा नहीं की गई है। सन्धि के अधीन हुसनीवाला हैडवर्क्स को चालू रखने के लिये वर्ष में हुए व्यय को यथाभाग पाकिस्तान से वसूल किया जाता है और गोलाबारी से क्षतिग्रस्त हुए भागों की मरम्मत की लागत को इस व्यय में शामिल किया जाएगा।

मकानों की कमी

2157. **श्री कोल्ला वैंकैया** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिये आर्थिक आयोग के क्षेत्र में मकानों की कमी के सम्बन्ध में एक पत्र तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो पत्र की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) पत्र में सुझाये गये कदमों को ध्यान में रखते हुए भारत में मकानों की कमी को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही का है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखने का है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (घ) : एशिया तथा सुदूर पूर्व के आर्थिक आयोग के देशों में चालू आवास नीतियों तथा कार्यक्रमों पर एशिया तथा सुदूर पूर्व के आर्थिक आयोग के परामर्शदाता के रूप में राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के निदेशक के द्वारा तयार किये गये पत्र की एक प्रति संसद के पुस्तकालय में रख दी गयी है। भारत में मकानों की कमी दूर करने के लिए पत्र में दिये गये सुझावों का जहां तक संबंध है वे आवश्यक कार्रवाई के लिए सरकार के विचाराधीन हैं।

ब्रिटेन से ऋण भुगतान शेष

2158. **डा० सरोजिनी महिषी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन से प्राप्त 13.3 करोड़ रुपये का "ऋण भुगतान शेष" का लचीली आयात नीति बनाये रखने के लिये किस प्रकार उपयोग किया जाता है ; और

(ख) 1964-65 में इस कार्य के लिये कितना ऋण मिला था और उसका उपयोग किस प्रकार किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) यह ऋण किसी प्रायोजना से सम्बन्ध रखने वाले आयातों या सामान की किसी सीमित सूची में उल्लिखित वस्तुओं के आयात के लिए ही नहीं है। इसका उपयोग हम उन अदायगियों की प्रतिपूर्ति के लिए कर सकते हैं जो हमने अपने आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के लिए ब्रिटेन से किये गये किसी प्रकार के सामान या सेवाओं के आयात के लिए 2 अगस्त, 1965 के बाद की हों। इस प्रकार, जिन साधनों के आधार पर आयात-नीति निर्धारित की जाती है उनके एक भाग के रूप में इस ऋण का उपयोग करने में हमें काफी लचीलेपन से काम लेने में सहायता मिलती है।

(ख) इस प्रयोजन के लिए 1964-65 में 150 लाख पौंड (20 करोड़ रुपये) का ऋण मिला था और उसका उपयोग हमारे आर्थिक विकास के, सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के कार्यक्रमों के लिए विभिन्न प्रकार के सामान और सेवाओं का आयात करने के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए किया गया था, और इस ऋण का उपयोग भी इसी प्रकार किया जायगा। चालू वर्ष में भी शोधन-सन्तुलनकारी ऋण (बैलेंस आफ पेमेण्ट्स लोन) की रकम 150 लाख पौंड है जिसमें से 50 लाख पौंड की रकम जून में सुलभ कर दी गयी थी और वह सारी ही ले ली गयी है। आयोजना के पहले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में ब्रिटेन से शोधन-सन्तुलनकारी सहायता के रूप में 150 लाख पौंड की रकम मिली।

भवन निर्माण समितियों का सम्मेलन

2159. श्री दे० द० पुरी : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 अक्तूबर, 1965 को लन्दन में हुए 29 राष्ट्रों की भवन निर्माण समितियों के सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) क्या भारत में मकानों की सुविधायें बढ़ाने के लिये भारत को कोई सहायता मिलने की संभावना है?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : सम्मेलन की कार्यवाही अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

Setting up of a factory abroad by an Indian

2160. Shri Kapur Singh :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Finance** by pleased to state :

(a) whether Government have recently permitted an Indian to set up a Vegetable Oil factory in a foreign country ; and

(b) if so, the amount which would be taken abroad?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) Yes, Sir.

(b) No cash remittance has been allowed.

जब्त किये गये माल की बिक्री

2161. श्री कोल्ला वैंकैया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जब्त किये गए माल की बिक्री के लिए, जो चोरी छिपे लाया जाता है, विदेशों में डिपो खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो किन देशों में ;

(ग) उन पर कितना व्यय होगा ;

(घ) क्या ऐसे माल की बिक्री के लिए भारत में भी कोई डिपो खोले गए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो भारत में विभिन्न डिपुओं में कितने मूल्य के सामान की बिक्री हुई ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारत में विभिन्न डिपुओं पर बेचे गये ऐसे माल के मूल्य का विवरण साथ में नत्थी है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5352/65।]**

गुलाबी बाग, दिल्ली में अस्पताल

2162. श्री शिवचरण गुप्त : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अंधा मुगल के समीप गुलाबी बाग में एक अस्पताल बनाने का उपबन्ध तीसरी पंचवर्षीय योजना में था ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना खर्च हुआ ;

(ग) परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) देरी होने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) 20 लाख रुपये जिनमें से 14 लाख रुपये पूंजीगत कार्यों के लिए थे।

(ग) और (घ) : इस कार्य के लिए अपेक्षित भूमि का स्वामित्व 9-6-64 को ले लिया गया था किन्तु इस भूमि पर बहुत से लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है। उन्हें हटाने के कदम उठाए जा रहे हैं।

दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी योजना

2163. श्री शिव चरण गुप्त : क्या **निर्माण** और **आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में दिल्ली के लिए झुग्गी-झोंपड़ी योजना के लिए कितनी राशि नियत की गई थी ;

(ख) 31 मार्च, 1965 तक कितनी राशि का (एक) भूमि का अजन करने और (दो) विकास कार्यों के लिए उपयोग किया गया ;

(ग) 25 वर्ग गज और 80 वर्ग गज के कितने प्लाटों को विकसित और अलाट किया गया ;

(घ) 31 मार्च, 1965 तक कितने-कितने क्वार्टरों का निर्माण किया गया ; और

(ङ) 31 मार्च, 1966 तक कितने प्लाटों के विकसित किये जाने और क्वार्टरों का निर्माण किये जाने की संभावना है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) 9.00 करोड़ रुपये।

(ख) (1) भूमि अर्जन के लिए 348.90 लाख रुपये।

(2) विकास कार्यों के लिए 198.50 लाख रुपये।

(ग)

	प्लाटों की संख्या	
	विकसित	आवंटित
	(31 मार्च 1965 तक)	
25 वर्ग गज	15,637	10,312
08 वर्ग गज	3,803	3,565

(घ) और (ङ) : अभी तक कोई टैनेमेंट तैयार नहीं हुआ है। तथापि, 3872 टनमेंट बनाये जा रहे हैं और आशा है कि जुलाई-अगस्त 1966 तक वे तैयार हो जायेंगे। आशा है कि 31 मार्च 1966 तक 25 वर्ग गज के लगभग 15,000 और अतिरिक्त प्लाटों को भी विकसित कर लिया जायेगा।

दिल्ली वृहत् योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय योजनायें

2164. श्री शिव चरणगुप्त : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की वृहत योजना के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा कितनी क्षेत्रीय योजनायें बनाई जानी हैं ;

(ख) किन क्षेत्रों के लिए और कितनी योजनाओं को अब तक अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ग) कितनी योजनायें अभी बनाई जा रही हैं ; और

(घ) इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) 136 क्षेत्रों में से जिनमें दिल्ली को सारा नगरीकरण योग्य क्षत्र (1981) तक बांटा गया है। दिल्ली विकास प्राधिकार ने 123 क्षत्रों के लिए क्षेत्रीय विकास योजनाएं तैयार करनी हैं। शेष 13 क्षेत्रीय योजनाएं अन्य प्राधिकारों द्वारा तैयार की जानी हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकार ने अब तक निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए 21 क्षेत्रीय विकास योजनाओं को अन्तिम रूप द दिया है :—

(1) डी-1 (कनाट प्लेस और उसका विस्तृत भाग)
(2) डी-4 (पार्लियामैण्ट स्ट्रीट क्षेत्र)
(3) डी-5 (डी० आई० ज़ैड० क्षेत्र-गोल मार्किट क्षेत्र)
(4) सी-1 (कश्मीरी गेट)
(5) सी-2 (कुदसिया बाग)
(6) सी-3 (सिविल लाइन्स क्षेत्र)
(7) सी-11 (नादर्न रिज़)
(8) सी-12 (ओल्ड सेक्रेटेरिएट)
(9) डी-17 (निजाम्मुदीन और जंगपुरा)
(10) डी-18 (किलोकड़ी)
(11) डी-19 (लाजपत नगर)
(12) डी-20 (मुबारकपुर कोटला)
(13) एफ-2 (कैलाश, श्रीनिवासपुर और लाजपत नगर, चौथा क्षेत्र)
(14) एफ-3 (सीरी क्षेत्र)

(15) एफ-1 (फ्रेंड्स कालोनी)

(16) एफ-7 (ओखला)

(17) एफ-4 (सफदरजंग)

(18) एफ-6 (मोती बाग)

(19) और (20) एफ-10 तथा एफ-16 (मालवीय नगर) और

(21) ई-7 (झिलमिल)

(ग) 52 ।

(घ) इस काम के मार्च 1967 तक पूरा हो जाने की आशा है।

दिल्ली में गैर-सरकारी बस्तियां

2165. **श्री शिव चरण गुप्त :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन गैर-सरकारी बस्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें भूतपूर्व दिल्ली सुधार न्यास तथा दिल्ली विकास अस्थायी प्राधिकरण ने मंजूर किया था तथा उनमें कितने कितने रिहायशी प्लाट हैं ; और

(ख) उन गैर-सरकारी बस्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम ने 31 अक्तूबर, 1965 तक मंजूर किया है और उनमें कितने कितने रिहायशी प्लाट हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इंजीनियर और भूतत्ववेत्ता

2166. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री बृजराज सिंह :

श्री गोकरन प्रसाद :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंजीनियरों और भूतत्ववेत्ताओं के बीच अधिक समन्वय स्थापित करने तथा इंजीनियरी भूतत्वविद्या में विशेषज्ञता का विकास करने के उद्देश्य से सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : इंजीनियरों और भू-वैज्ञानिकों में निकट संपर्क है। भू-वैज्ञानिक बृहतपरियोजनाओं के साथ उनकी अनुसंधान अवस्था से ले कर उन के पूर्ण होने तक अपना सम्बन्ध जोड़े रखते हैं। भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने इन्जीनियरी भू-विज्ञान के तीन क्षेत्रीय यूनिट खोले हैं जो संबद्ध क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं की सहायता करेंगे। भू-विज्ञान संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिये कुछ बृहत इन्जीनियरी परियोजनाओं पर रिहायशी भू-वैज्ञानिक नियुक्त किये गये हैं।

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था में एक इन्जीनियरी भूविज्ञान प्रभाग है जिसमें इन्जीनियरी भूविज्ञान की समस्याओं के विशेषज्ञ अधिकारी सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में विशेषज्ञता के और विकास के लिये भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था इस प्रकार के कार्य में रुचि रखने वाले भूवैज्ञानिकों का उन के केडर से चयन करती है और उन्हें कार्य प्रभार में ही इस विषय में प्रशिक्षण देती है।

कानपुर में आयकर अधिकारियों द्वारा छापें

2167. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बडे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 नवम्बर 1965 को कानपुर नगर पुलिस की सहायता से आयकर अधिकारियों ने कानपुर नगर में कई व्यापार संस्थाओं में छापे मारे और लगभग 20 लाख रुपये का लेखा बाह्य नकदी तथा आभूषण पकड़े ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) छापे मारे गये परन्तु पकड़े गये जवाहरात तथा खातों से बाहर रखी गई नकदी का मूल्य केवल 4.4 लाख रुपये था।

(ख) जांच पड़ताल चल रही है।

उड़ीसा में पंचायत समिति उद्योग

2168. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **योजना** मंत्री 6 मई, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3167 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को 1965-66 में राज्य में पंचायत समिति उद्योग स्थापित करने के लिए कितनी राशि नियत की गई ; और

(ख) उस का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : 1965-66 में लघु उद्योगों से सम्बन्धित सभी योजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा उड़ीसा राज्य सरकार को 27 लाख रुपये (16.6 लाख रुपये ऋण तथा 10.4 लाख रुपये अनुदान) की राशि दी गई। इसमें पंचायत समिति उद्योगों की स्थापना के लिए सहायता भी शामिल है।

महालेखापाल, उड़ीसा, के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण

2169. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भुवनेश्वर में महालेखापाल, उड़ीसा के कर्मचारियों के रहने के लिए क्वार्टर बनाने के बारे में अब तक स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : पिछले अगस्त में विभिन्न वर्गों के 256 रिहायशी क्वार्टर बनाने का काम दिया गया था। अब तक लगभग 25 प्रतिशत काम किया जा चुका है।

उड़ीसा को अनुदान

2170. श्री रामचन्द्र उलाका ।

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिये 1965-66 में कोई एक मुश्त अनुदान दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा के महालेखापाल के कार्यालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

2171. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर (उड़ीसा) में महालेखापाल के कार्यालय में इस समय कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ; और

(ख) उन में से कितने अलग अलग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) 1826 ।

(ख) अनुसूचित जातियों के 114, अनुसूचित आदिम जातियों के 26 ।

नागार्जुनसागर परियोजना

2172. श्री लक्ष्मी दास : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1966 में सिंचाई प्रयोजनाओं के लिये नागार्जुनसागर परियोजना से पानी दिया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उस पानी से कितनी भूमि की सिंचाई होगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग 3.8 लाख एकड़ ।

मुद्रा का पकड़ा जाना

2173. श्री किन्दर लाल :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय ।

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने नवम्बर 1965 के पहले सप्ताह में मध्य बम्बई में एक व्यापारी के कार्यालय से 1,50,000 रुपये की भारतीय मुद्रा तथा अपराध सिद्ध करने वाले अनेक कागजात पकड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) प्रवर्तन निदेशालय के बम्बई और मद्रास के अफसरों ने 5-11-65 को एक साथ बम्बई तथा मद्रास में कुछ स्थानों की तलाशियां लीं और 1,64,350 रु० की भारतीय मुद्रा और विभिन्न कागज़ पकड़े।

(ख) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आगे जांच पड़ताल चालू है और वह पूरी हो जाने पर विदेशी विनियम अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

मैसूर में सिंचाई और विद्युत परियोजनायें

2174. श्री लिंग रेड्डी : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में केन्द्रीय सहायता से मैसूर राज्य में कितनी तथा कौन कौन सी बड़ी विद्युत् तथा सिंचाई परियोजनायें आरम्भ की गई थीं ;

(ख) इन परियोजनाओं के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ;

(ग) इन में से कितनी पूरी हो गई है ; और

(घ) चौथी योजना में पूरी करने के लिए कितनी योजनायें आरम्भ की जायेंगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) से (घ) : अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-5353(11)65।]**

(ख) मैसूर सरकार को किसी खास एक सिंचाई अथवा बिजली परियोजना के लिये कोई निश्चित सहायता नहीं दी गई है। किन्तु राज्य सरकार को उन की योजना में शामिल परियोजनाओं के कार्यान्वय के लिये, जिन में संलग्न विवरण में दी गई सिंचाई व बिजली परियोजनाएं शामिल हैं, विविध ऋण सहायता हर वर्ष दी जाती है।

मच्छर-नाशक के रूप में अखबारी कागज़

2175. श्री ब्रजेश्वर प्रसाद : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 नवम्बर, 1965 के स्टेट्समैन में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि हार्वर्ड अनुसन्धान कार्यक्रम के अन्तर्गत यह पता चला है कि न्यूयार्क टाइम्स द्वारा प्रयुक्त अखबारी कागज में एक नया हारमोन होता है जो कुछ कीड़ों में यौन-पक्वता रोकता है और मच्छरों को मारने के लिये सफलता से काम में लाया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार परीक्षण के लिए उचित मात्रा में इस अखबारी कागज का आयात करने वाली है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां। हारमोन तथा उनके प्रयोगों के परिणामों के बारे में ब्यौरा प्राप्त करने के लिये हर्वर्ड विश्वविद्यालय से सम्पर्क किया जा रहा है।

(ख) इस अवस्था में यह प्रश्न नहीं उठता।

Technical Training Centre at Kotah

2176. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Technical Training Centre at Kotah (Rajasthan) is being closed down ;

(b) if so, the reasons therefor?

(c) the place to which it is being shifted ; and

(d) the reasons therefor?

Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri S. D. Mishra) : (a) and (b). Yes, temporarily, as a measure of economy.

(c) and (d). Do not arise.

Arrests for Possession of Foreign Exchange

2177. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that three persons were arrested in Delhi around the 9th November, 1965 for being in possession of foreign exchange ; and

(b) if so, the amount of foreign exchange seized from each and the particulars of those persons?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) and (b). 300 U. S. dollars were seized on 4th November, 1965, by the officers of the Enforcement Directorate from one Shri Jagdish Mitter of New Delhi. Shri Mitter and two other persons who were also suspected to be involved were arrested. The case against Shri Jagdish Mitter has since been adjudicated by the Director of Enforcement. The two others who were arrested were subsequently discharged.

Conference of Ministers of Power of States

2178. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Warior :
Shri Vasudevan Nair :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a meeting of Ministers of Power of States was held in Delhi in November, 1965 to consider emergency irrigation and power schemes; and

(b) if so, the decisions taken thereat ?

Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri S. D. Misra) : (a) and (b). A Conference of State Ministers of Irrigation and Power was held at Delhi, on the 26th and 27th November, 1965. Among the subjects discussed was acceleration of execution of those irrigation and power projects which were in an advance stage of construction so that maximum benefits could be obtained from such projects in the next two to three years. The need to accord high priority for double cropping or multiple cropping where that is possible and stepping up the pace of rural electrification for energising pumpsets was also stressed.

रणजीत होटल, दिल्ली

2179. श्री मुहम्मद कोया : क्या **निर्माण** और **आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रणजीत होस्टेल, दिल्ली मूल रूप से महिलाओं के लिये बनाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसे होटल में बदलने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : 1962 में दिल्ली में सरकारी मकानों के आवंटन के नियमों में यह व्यवस्था थी कि अकेले पुरुष तथा महिला अधिकारी आवंटन के लिए पात्र नहीं थे। उस समय 1427 अकेले पुरुषों तथा 215 अकेली महिला अधिकारियों के लिए होस्टेल वास की मांग थी। इस मांग को पूरा करने के लिए लोदी रोड पर पुरुषों के लिए तथा महाराजा रणजीत सिंह रोड पर महिलाओं के लिए एक होस्टेल बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था। महाराजा रणजीत सिंह रोड पर 280 कमरों का एक होस्टेल बनाने की मंजूरी मार्च 1963 में दी गयी थी। बाद में उस वर्ष केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय किया कि अकेले तथा परिवार वाले अधिकारियों में सरकारी वास के आवंटन के लिए अंतर समाप्त किया जाय तथा विवाहित अधिकारियों के समान अकेले अधिकारी भी सामान्य पूल से सरकारी वास के लिए पात्र बनाये जाये। इसके बाद निर्माण तथा आवास मन्त्रालय ने कर्जन रोड स्थित वर्किंग गर्ल्स होस्टेल को जिसमें लगभग 258 महिलाओं के लिए स्थान था अपने अधिकार में ले लिया। भारत सरकार की महिला अधिकारियों की आवासीय समस्या को कम करने के लिए महिलाओं का एक वास पूल अलग से बना दिया गया। इन विकासों के आधार पर यह अनुभव किया गया कि अकेले पुरुषों तथा महिलाओं के लिए होस्टेल की और कोई आवश्यकता नहीं। बाद में यह निर्णय किया गया कि क्योंकि दिल्ली में होटल वास की बड़ी कमी है जिससे एक बहुत बड़ी संख्या में मामूली साधनों वाले विदेशी पर्यटक भारत भ्रमण नहीं कर पाते तथा इस प्रकार मूल्यवान विदेशी मुद्रा की हानि हो रही थी अतएव लोदी तथा रणजीत होस्टलों को सरकारी होटलों में बदल दिया जाये।

नये कार्यालय भवन

2180. श्री लखमू भवानी : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन प्लाटों पर जिन पर पहले "एस्टेट आफिस" तथा रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय थे, कुछ नये कार्यालय भवन बनाये जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : जिस स्थान पर पहले संपदा निदेशालय द्वारा अधिकृत हटमैन्ट थे उस स्थान पर कोई भी इमारत नहीं बनायी जायेगी। दिल्ली के मास्टर प्लान के अधीन यह क्षेत्र खाली छोड़ा जाने वाला है। रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के द्वारा अधिकृत हटमेंटों का स्थान कुछ तो कार्यालय की इमारत तथा कुछ संसद कार्य की इमारतों के लिए उपयोग में लाया जायेगा। कार्यालय की इमारत में लगभग 1.62 लाख वर्ग फुट स्थान होगा तथा इसकी लागत बगैर डिपार्टमैंटल चार्जेज के अनुमानत: 69.24 लाख रुपये होगी। संसद कार्य की इमारतों का ब्यौरा अभी तक तैयार नहीं हुआ है।

अुत्तर प्रदेश में सोने का तस्कर व्यापार

2181. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री किन्दर लाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14 नवम्बर, 1965 को केन्द्रीय सीमा शुल्क अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में सुनारों के पास कथित रूप से चोरी छिपे लाया गया छप्पन तोला सोना पकड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अफसरों ने 14 नवम्बर 1965 को बहराइच के एक सोने के व्यापारी को लखनऊ में पकड़ा और अंतर्राष्ट्रीय दर पर 3,483 रुपये के मूल्य का विदेशी मार्का का 650.040 ग्राम (55.73 तोले) सोना उसके पास से पकड़ा।

(ख) उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। जांच-पड़ताल चल रही है।

राज्यों में विद्युत उत्पादन

2182. **श्री रेड्डियार** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में इस समय बिजली का कितना उत्पादन होता है ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में उद्योग तथा उठाऊ सिंचाई के लिए कितनी बिजली सप्लाई की गई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) तथा (ख) : अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-5354/65।]**

जीवन बीमा निगम की पालिसियां

2183. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालिसी होल्डर्स की डाक्टरी जांच के लिए जीवन बीमा निगम ने आयुर्वेद चिकित्सकों को रजिस्टर किया है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में यूनानी चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सकों की क्या स्थिति है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : देशी चिकित्सा-प्रणाली के चिकित्सकों को निगम के अधिकृत स्वास्थ्य-परीक्षकों के रूप में उन इलाकों में नियुक्त किया जा सकता है जहां ऐलोपैथिक चिकित्सक मुनासिब दूरी के अन्दर मिलते न हों, बशर्ते कि उन्हें एकीकृत (इण्टिग्रटेड) चिकित्सा की उपाधि प्राप्त हो और रोगनिदान की प्रणालियों का प्रशिक्षण मिला हो तथा पर्याप्त अनुभव हो।

यूनानी सलाहकार समिति

2184. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनानी सलाहकार समिति के कार्य क्या हैं ;

(ख) पिछले पांच वर्षों में समिति ने क्या सिफारिशें की ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) यूनानी सलाहकार समिति के कार्यकलाप इस प्रकार हैं :—

(1) यूनानी की अनुसंधान योजनाओं की जांच तथा मूल्यांकन करना

(2) कितनी वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये यह बतलाना

(ख) और (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

यूनानी सलाहकार समिति की शिफारिशें	की गई कार्यवाही
1. एकरूप पाठ्यचर्या का निर्माण	एकरूप पाठ्यचर्या तैयार कर दी गई है।
2. स्नातकोत्तर प्रशिक्षण सह-अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना	आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बि कालेज दिल्ली में एक केन्द्र खोलने के प्रश्न की जांच की जा रही है।
3. फार्मकापिया कमेटी की रचना	यह कमेटी बना दी गई है।
4. मंत्रालय में तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति .	यह सिफारिश कार्यान्वित कर दी गई।
5. यूनानी दवाइयों के महत्वपूर्ण ग्रन्थों का अनुवाद	यह विचाराधीन है।

यूनानी चिकित्सा प्रणाली

2185. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनानी चिकित्सा प्रणाली के प्रचुर साधनों का लाभपूर्ण उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है, जिस के परिणामस्वरूप औषधियों के आयात को कम करके विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके; और

(ख) क्या सरकार ने यूनानी चिकित्सा प्रणाली में अनुसंधान करने की संभावनाओं पर विचार किया है जिन का प्रतिरक्षा कार्यों में उपयोग हो सके ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना परियोजनाओं के स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों के कार्यकारी वर्ग ने यूनानी के लिये बहुत सी योजनाएं बतलाई हैं जिन्हें चौथी योजना में सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया है। सम्भव है कि आगे चल कर जब ये योजनाएं कार्यान्वित की जायेंगी तो दवाइयों के आयात में कमी करने से हो सकता है कुछ विदेशी मुद्रा की बचत हो।

(ख) इसकी जांच की जा रही है।

यूनानी चिकित्सा प्रणाली के स्नातक

2186. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) अब तक यूनानी चिकित्सा प्रणाली के कितने स्नातकों को परिवार नियोजन का प्रशिक्षण दिया गया है तथा कितने स्नातकों को परिवार नियोजन योजनाओं में रख लिया गया है; और

(ख) यदि कोई न हो, तो सरकार का इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे स्वदेशी चिकित्सा पद्धति की डिग्री और डिप्लोमा वाले व्यक्तियों को उनके परिवार नियोजन कार्यक्रमों में नियुक्त होने से पहले परिवार नियोजन विधियों का प्रशिक्षण दें।

Thermal Power Plant at Palana (Rajasthan)

***2187. Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 372 on the 25th February, 1965 and state :

(a) whether the proposal to set up a thermal power station at Palana has since been received from the Rajasthan Government ; and

(b) if so, the reaction of Government thereon?

Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri S. D. Misra) : (a) No.

(b) Does not arise.

स्थायी कर्मचारियों के आवश्यकता की जांच करने के लिये समिति

2188. श्री वारियर :

श्री ईश्वर रेड्डी :

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे वेतन आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन के छियालीसवें अध्याय की कंडिका 12 में की गई सिफारिश के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों की स्थायी आवश्यकताओं की जांच करने के लिये कोई समिति नियुक्त की थी; और

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) आयोग की सिफारिश पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया था। यह अनुभव किया गया कि यदि एक या दो समितियां सरकार के सभी विभागों की स्थायी कर्मचारियों सम्बन्धी आवश्यकताओं की जांच करें, तो बहुत समय लगेगा और संशोधित आदेश जारी करने में अनावश्यक देर होगी। अत: ऐसे अस्थायी पदों के 80 प्रतिशत पदों की स्थायी पदों में बदलने का अधिकार देने के लिये मार्च 1960 में हिदायतें जारी की गयी थी जो कम से कम 3 साल से बराबर चले आ रहे हैं और जिनकी आवश्यकता स्थायी किस्म के काम के लिये है।

Maternity Home

2189. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the inhabitants of the village Khadia, Kaya, Batiarpur, Monghyr have sent an application to her Ministry for building a 'Maternity Home' in their village ;

(b) whether it is also a fact that at the instance of the Central Government, the Director of Health Services, Bihar asked the Civil Surgeon, Monghyr, on the 18th January, 1965, for a complete report ;

(c) whether this report has been received and if so, the salient points thereof; and

(d) whether any aid can be provided by the Centre under any Central Scheme for building such Maternity Homes.

Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) and (b). No.

(c) Does not arise.

(d) It is not possible to give an answer without knowing the details of the proposal.

पिछड़े प्रान्त

2190. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा दिये गये संकेतों के आधार पर, पिछड़े हुए माने गये राज्यों ने, जिन मे प्रान्त भी शामिल है, उन प्रान्तों के विकास के लिये अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त वित्तीय उपबन्ध किये है ; और

(ख) यदि हां, तो इस आवंटन के राज्य-वार आंकड़े क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : यद्यपि इस प्रकार के क्षेत्रों के लिये कोई खास अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था नहीं की गई थी, परन्तु इस प्रकार के क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य योजनाओं के अंगके रूप में धन उपलब्ध किया गया था । कतिपय क्षेत्रों जैसे जम्मू तथा काश्मीर में लदाख, उत्तर प्रदेश के कतिपय पूर्वी जिलों और आसम, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया था ।

हिमीकरण द्वारा सुखाया गया प्लाज्मा

2191. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमीकरण द्वारा सुखाये गये मानव प्लाज्मा के परिष्करण तथा उत्पादन केंद्रों के क्या नाम हैं और उनमें से कितने केन्द्रों में उत्पादन आरम्भ हो गया है;

(ख) 15 अक्तूबर, 1965 तक कितनी बोतलें सुखाया गया प्लाज्मा तैयार किया गया ; और

(ग) द्रव प्लाज्मा के लिये क्या व्यवस्था की गई है और यह कितने समय तक अच्छी तरह सुरक्षित रखा जा सकता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) से (ग) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिय संख्या एल० टी०-5355/65।]**

चीनी उद्योग को सहायता

2192. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी उद्योग ने आने वाले चीनी के सीजन में 35 लाख मीट्रिक टन चीनी के तीसरी योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिये सरकार से नकद ऋण-सीमा को काफी बढ़ाने तथा बैंकों को मिलने वाले लाभ (बैंक मार्जिन) को कम करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) कामकाज के चालू मौसम के लिए ऋण-नीति निर्धारित करते समय चीनी उद्योग की आवश्यकताओं का विचार कर लिया गया है ।

बम्बई में तस्कर व्यापार

2193. श्री हिम्मतसिंहका :

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 नवम्बर, 1965 को बम्बई में 17 लाख रुपये का सोना तथा विलास की उपभोक्ता वस्तुएं पकड़ी गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि चौरी-छिपे लाये गये सोने पर विदेशी निशान थे ;

(ग) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) कौन कौन सी उपभोक्ता वस्तुएं पकड़ी गई थीं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : 18 नवम्बर, 1965 को बम्बई में अलग-अलग स्थानों पर अन्तर्राष्ट्रीय दर पर 51,875 रुपये मूल्य का विदेशी मार्का का 830 तोला सोना, 10,532 घड़ियां, 40,000 रुपये की भारतीय मुद्रा तथा 3,04,350 रुपये मूल्य की अन्य उपभोक्ता वस्तुयें पकड़ी गई ।

(ग) दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । इन मामलों की जांच पड़ताल हो रही है ।

(घ) घड़ियों के अलावा, उपभोक्ता वस्तुओं में कपड़े, रिकार्ड-प्लेअर, ट्रान्सिस्टर, ताश, ब्लेडें और फाउन्टन-पैन शामिल थे ।

सरकारी कर्मचारियों को शिक्षा भत्ता

2194. **श्री जेधे :**

श्री वि० तु० पाटिल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ सरकारी कर्मचारियों को शिक्षा संस्थानों से एक शिक्षा वर्ष में केवल एक बार एक प्रमाण पत्र देने पर ही मासिक शिक्षा भत्ता दिया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकारी कर्मचारियों को वास्तविक शिक्षा शुल्क (फीस) केवल त्रैमासिक आधार पर ही वापस किया जाता है और वह भी पिछले तीनों महीनों के लिये फीस की रसीदें देने के बाद ;

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार वास्तविक शिक्षा शुल्क को भी प्रतिमास उसी आधार पर देना चाहती है जैसा कि शिक्षा भत्ते के मामले में किया जाता है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं । सरकारी कर्मचारियों द्वारा वर्ष में दो बार प्रमाण-पत्र देने के आधार पर प्रति मास नियत दरों के अनुसार शिक्षा भत्ता दिया जाता है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) बाल शिक्षा भत्ते के नियत दरों पर मासिक भुगतान के प्रतिकुल, शिक्षा शुल्क वापसी योजना में केवल वास्तविक शुल्क की वापसी की व्यवस्था है । इसके लिए भगतान करने से पहले उचित जांच की आवश्यकता है। सब जगह अनावश्यक काम को कम करने के लिए मासिक की अपेक्षा त्रैमासिक भुगतान किया जाता है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) यदि शिक्षा शुल्क की वापसी मासिक आधार पर की जायें तो इससे सभी प्रशासनिक कार्यालयों मे काम अत्यधिक बढ़ जायेगा ।

रूसी सहायता से बनाई गई औद्योगिक परियोजनायें

2195. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवम्बर, 1965 तक रूसी संयोग से भारत मे कुल कितनी औद्योगिक परियोजनाओं का निर्माण किया गया है ; और

(ख) रूस द्वारा किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ की सरकार ने भारत की कई विकास-प्रायोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कुल 484.31 करोड़ रुपये के सात ऋण दिये है । जिन प्रायोजनाओं के लिए सोवियत ऋणों से वित्त-व्यवस्था की गयी है उनका विवरण इसी के साथ लगा है ।

विवरण

1. भिलाई का इस्पात कारखाना और उसका विस्तार
2. बोकारो का इस्पात कारखाना
3. भिलाई का गरमी सहने वाली वस्तुओं (रिफ्रैक्टरीज) का कारखाना
4. नैनी, इलाहाबाद का रेलवे के लिए इस्पात ढलाई घर
5. रांची का भारी मशीनें बनाने का कारखाना और उसका विस्तार
6. खानों से कोयला निकालने की मशीनों का दुर्गापुर का कारखाना और उसका विस्तार
7. खानों से कोयला निकालने की कोरबा की प्रायोजनाएं
8. कटहरा का कोयला साफ करने का कारखाना
9. नेवेली का तापीय बिजली घर और उसका विस्तार
10. सिंगरौली का तापीय बिजली घर
11. कोरबा के तापीय बिजली घर का विस्तार
12. भाखड़ा के दाहिने किनारे पर का पन-बिजली घर
13. ह्रषीकेश की प्रतिजीवाणु (एण्टीबायोटिक्स) प्रायोजना
14. मद्रास की शल्य चिकित्सा सम्बन्धी उपकरणों की प्रायोजना
15. हैदराबाद की कृत्रिम (सिंथेटिक) औषध प्रायोजना
16. कोटा का सूक्ष्म उपकरणों का कारखाना
17. पालघाट का सूक्ष्म उपकरणों का कारखाना
18. रानीपुर का बिजली के भारी सामान का कारखाना
19. नैनी, इलाहाबाद की सम्पीडक (कम्प्रेसर) और पम्प प्रायोजना
20. बरौनी का तेल साफ करने का कारखाना और उसका विस्तार
21. कोयली का तेल साफ करने का कारखाना और उसका विस्तार
22. तेल और गैस की खोज, विकास और उत्पादन

आनन्दपुर बांध योजना

2196. श्री गोकुलानन्द महन्ती : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की हदगढ़ बांध परियोजना के लिये पानी की सप्लाई बढ़ाने के हेतु आनन्द-पुर बांध योजना की छानबीन अब पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो काम के चालू मौसम में योजना पर व्यय करने के लिये कितनी राशि नियत करने का सरकार का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा तयार की जा रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा स्वर्ण बौंड तथा प्रतिरक्षा ऋण योजनाये

2197. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री कोल्ला वैंकैया :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बूटा सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री कृष्णपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवम्बर, 1965 तक राष्ट्रीय प्रतिरक्षा स्वर्ण बौंड योजना में कुल कितना चन्दा प्राप्त हुआ ; और

(ख) 30 नवम्बर, 1965 तक दोनों राष्ट्रीय प्रतिरक्षा ऋण योजनाओं में कुल कितना चन्दा प्राप्त हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) और (ख) : 30 नवम्बर, 1965 तक प्राप्त धन का ब्यौरा इस प्रकार है :—

राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980 . . .	2520 किलोग्राम।
$4\frac{1}{4}$ प्रतिशत व्याज वाला राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1968 .	7.15 करोड़ रुपया
$4\frac{3}{4}$ प्रतिशत व्याज वाला राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1972 .	6.59 करोड़ रुपया।

राज्य विद्युत् बोर्डों के अध्यक्षों का सम्मेलन

2198. **श्री मुथिया :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डों के अध्यक्षों का एक सम्मेलन 24 नवम्बर, 1965 को नइ दिल्ली में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई थी ; और

(ग) सिफारिशों पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) जी, हां । यह सम्मेलन दो दिनों अर्थात 24 और 25 नवम्बर, 1965 के लिये रहा ।

(ख) तथा (ग) : 24 और 25 नवम्बर, 1965 को हुए राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों के सम्मेलन मे हुए निर्णयों का एक सारांश सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5356/65 ।]**

उर्वरता औषध

2199. **श्री वजेश्वर प्रसाद** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "लाइफ" के वाल्यूम 39 नं० 4 मे दिनांक 23 अगस्त, 1965 को प्रकाशित इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि दो उर्वरता औषध 'पर्नाल' तथा 'गोनाडोट्रोफिक्स' का एक्सट्रैक्शन्स (सत) के इसतमाल के बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रयोग के तौर पर इन औषधिओं का आयात करने का है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां । इन उर्वरता औषधों के बारे में समाचार सरकार के ध्यान में आया है ।

(ख) बतलाया जाता है कि अन्य देशों में इन औषधों का अभी परीक्षण किया जा रहा है और इनके बारे में जानकारी भी बहुत सीमित है । प्रयोग के लिए इने आयात करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

ब्रिटेन से ऋण

2200. श्री राम हरख यादव :
श्री रामानन्द शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक करोड़ पौंड के एक ऋण के लिये हाल ही में किये करार के आंशिक पालन के रूप मे ब्रिटेन की सरकार ने भारत को 25 लाख पौंड दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो करार के अंशिक पालन में ऋण का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : 1 करोड़ पौंड के सामान्य-प्रयोजन ऋण के लिए हाल में जो समझौता किया गया है उस में इस बात की व्यवस्था है कि भारत सरकार, आर्थिक विकास के अपने कार्यक्रमों के लिए ब्रिटेन से मंगाये गये आवश्यक सामान और सेवाओं के लिए 2 अगस्त, 1965 के बाद स्टर्लिंग में अदा की गयी रकमों की पूर्ति के लिए इस ऋण में से रकम निकाल सकती है । तदनुसार, इस ऋण में से 25 नवम्बर, 1965 तक 28.7 लाख पौंड (3.83 करोड़ रूपये) की रकम निकाली गयी थी । भारत सरकार को जब भी आवश्यकता हो, वह आवश्यक कागजपत्र पेश करके ऋण में से रकमें निकाल सकती है, इसलिए ब्रिटन की सरकार द्वारा ऋण का आंशिक पालन किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । अनुमान है कि ऋण की सारी रकम इसकी अन्तिम तिथि अर्थात् 30 जून, 1966 तक निकाल ली जायेगी ।

Irrigation of Barmer and Jaisalmer Areas of Rajasthan

2201. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether Government are considering a scheme to carry water to Barmer and Jaisalmer areas of Rajasthan through pipelines ;

(b) if so, the estimated cost of the project, and

(c) when a final decision is likely to be taken thereon ?

Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri S. D. Misra) : (a) The Government of Rajasthan have intimated that no such scheme for carrying water to Barmer and Jaisalmer areas is under consideration with them,

(b) and (c). Do not arise .

Public Hydrants in Delhi

2202. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether in view of the difficulty to be experienced by people as a result of the decision taken by Delhi Municipal Corporation to remove most of the public hydrants in Delhi, the Central Government have issued any order to the Corporation not to do so ;

(b) whether the Central Government have also issued any order to the Corporation to maximise the supply of water ; and

(c) if so, the details thereof

Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) No.

(b) Central Government is in touch with D.M.C. and necessary action is already being taken by the Delhi Municipal Corporation to augment the water supply of Delhi to meet the growing demands of the increased population of Delhi.

(c) No.

इलाहाबाद में यात्रियों से पकड़ा गया सोना

2203. श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 नवम्बर, 1965 को केन्द्रीय सीमा-शुल्क तथा उत्पादन शुल्क कर्मचारियों द्वारा इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर दो यात्रियों से 1 लाख 50 हजार रुपये का लगभग 660 तोला सोना पकड़ा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अफसरों ने 24 नवम्बर, 1965 को बड़े तड़के इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर दो मुसाफिर से अन्तर्राष्ट्रीय दर पर 41,250 रुपये मूल्य का विदेशी मार्का का 660 तोला सोना पकड़ा ।

(ख) दोनों मुसाफिरों को गिरफदार कर लिया गया था और बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है ।

एल्लेपी में सोने का पकड़ा जाना

2204. श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 नवम्बर, 1965 को एल्लेपी (केरल) में भुल्लखाई में कोचीन के केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, स्वर्ण नियंत्रण पदाधिकारी ने जवाहिरात की एक दुकान से 600 ग्राम सोना पकड़ा था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) 23 नवम्बर 1965 को एल्लेपी में एक लाइसेन्सदार व्यापारी की दुकान से स्वर्ण नियंत्रण नियमों के उल्लंघन के आरोप में जेवर सहित 430.300 ग्राम सोना पकड़ा गया ।

(ख) मामले का न्याय निर्णय करने के लिए विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

अर्थशास्त्रियों की समिति

2205. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकाल के दौरान कुछ विशेष राजकोषीय मामलों पर विचार करने के लिए अर्थशास्त्रियों की एक समिति स्थापित करने के बारे में किसी सुझाव पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

सरकारी बस्तियों में दूकानों और क्वार्टरों का खाली कराया जाना

2206. **श्री वाल्वी :**

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **निर्माण** और **आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे मामलों की क्या संख्या है जिनमें नई दिल्ली में 'सामान्य पूल आवास' के अन्तर्गत सरकारी बस्तियों में दुकानों और क्वार्टरों के अलाटियों को इस वर्ष सितम्बर तक दुकानों और क्वार्टरों को, आगे किराये पर उठाने के आरोप में, खाली करने के आदेश के नोटिस दिये गये हैं ;

(ख) इनमें से कितने अलाटियों ने निर्धारित अवधि में अपीलें दायर कीं और उनमें से कितनी अपीलें सूचना-अवधि के दौरान निबटाई गयीं ;

(ग) इन अपीलों को निबटाने के लिये नियमों के अन्तर्गत यदि कोई समय दिया जाना निर्धारित है, तो वह कितना है, यदि हां, तो क्या इनको निर्धारित नोटिस अवधि में निबटाया जाना चाहिए ; और

(घ) नोटिस की अवधि के भीतर खाली न करने पर कितने व्यक्तियों पर दण्डरूप किराया लागू किया गया और उनमें से कितनों को निर्धारित अवधि के भीतर दायर की गयी अपीलों के निबटाये जाने की प्रतीक्षा करने तक बाजारदर पर दण्डरूप-किराया देना पड़ा ?

निर्माण और आवास मंत्री (मेहेरचन्द खन्ना) : (क) ऐसे 28 मामले थे जिन में सरकारी बस्तियों की दुकानों के अलाटियो को अनधिकृत दखल से हटाने के नोटिस जारी किये गये थे क्योंकि उनके नाम का अलाटमेंट दर किरायेदारी (सबलैटिंग) के आधार पर रद्द कर दिया गया था ।

(ख) 26 मामलों में अदालत में अपील की गयी थी । उनमें से सात अपीलें निबटा दी गयी हैं ।

(ग) इन अपीलों को अदालत के द्वारा निबटाने के लिए पब्लिक प्रेमिसेज़ (एविक्शन आफ अनआथराइज्ड औक्यूपैन्टस) एक्ट 1958 के अधीन अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है ।

(घ) सभी 28 मामलों में अलाटमेंट रद्द होने के फलस्वरूप बढ़ा हुआ किराया अधिरोपित किया गया था । केवल पांच मामलों में बढ़े हुए किराये के आधार पर निर्धारित किराया अदा किया गया है ।

नई दिल्ली में सरकारी आवास के लिये देय किराया

2207. **श्री काशी राम गुप्त :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में टाइप II और III के क्वार्टरों के लिये वित्तीय नियम 45–B के अन्तर्गत कितना स्टेण्डर्ड-किराया देय है तथा नियम 45-A अन्तर्गत कितना पूल्ड स्टैण्डर्ड किराया देय है; और

(ख) उपर्युक्त दोनों प्रकार के क्वार्टरों के मामले में बाजार दरों के आधार पर कितना किराया लिया जाता है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : इस प्रकार के वास के लिए कुछ चुनी हुई बस्तियों में किराया निम्न प्रकार है :

	मूल नियम 45-A के अंतर्गत पूल्ड स्टैंडर्ड किराया	मूल नियम 45-B के अंतर्गत स्टेंडर्ड किराया (बिना विभागीय प्रभार)	बाजार दर
1	2	3	4
टाईप II			
सरोजनी नगर	39.00	57.50	123.75
लक्ष्मीबाई नगर . . .	33.00	57.50	123.75
नौरोजी नगर . . .	29.00	57.50	123.75
नेताजी नगर (a) . . .	33.00	57.50	123.75
(b) . . .	29.00	83.00	179.00
किदवई नगर (a) . .	27.00	57.50	123.75
(b) .	29.00	83.00	178.00
मोती बाग	33.00	57.50	123.75
नानक पुर . . .	32.00	57.50	123.75
श्रीनिवासपुरी (a) . .	28.00	57.50	123.75
(b) . . .	30.00	83.00	179.00
रामकृष्णपुरम .	30.00	69.00	149.00
टाईप III			
आराम बाग एरिया में E टाइप क्वार्टर .	44.00	68.85	148.20

नोट : (a) पुराने निर्माण कार्य का प्रतिनिधित्व करती है, और

(b) नये निर्माण कार्य का प्रतिनिधित्व करती है ।

1	2	3	4
चित्र गुप्त रोड फ्लैटस			
(I) X ब्लाक .	56.00	212.25	456.85
(II) Y ब्लाक .	27.00	106.15	228.45
(III) Z ब्लाक . . .	38.00	176.90	380.70
DIZ एरिया में 'E' टाईप क्वार्टरस् . .	44.00	68.85	148.20
देवनगर में 'B' टाईप क्वार्टरस् . .	57.00	137.15	295.20
करौल बाग में 'E' टाईप क्वार्टरस् . .	42.00	68.85	148.20
लोधी रोड में 'B' टाईप क्वार्टरस् . .	52.00	202.95	436.80
मिंटो रोड एरिया में 'E' टाईप क्वार्टरस् .	44.00	68.85	148.20
सरोजनी नगर	40.00	72.65	156.40
नेताजी नगर	42.00	72.65	156.40
लक्ष्मीबाई नगर	38.00	72.65	156.40
नौरोजी नगर	35.00	72.65	156.40
एन्ड्रज़ गंज	40.00	72.65	156.40
नानकपुर	38.00	72.65	156.40
रामकृष्णपुरम	38.00	85.00	183.00
श्रीनिवासपुरी	36.00	85.00	183.00

तावा परियोजना

2208. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में तावा बहुप्रयोजनीय परियोजना, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश को, राज्य योजना में नियत किये गये धन से अधिक, अतिरिक्त केन्द्रीय साहायता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) तथा (ख) : केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष के दौरान तवा परियोजना पर धन लगाने के लिये एक करोड़ रुपये के अतिरिक्त सहायता को स्वीकृति दे दी है जो कि राज्य की योजना के आवंटन के इलावा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बैंक आफ चाइना के भूतपूर्व कर्मचारी

2209. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वित्त** मंत्री बैंक आफ चाइना के भूतपूर्व कर्मचारियों के बारे में 16 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2298 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छंटनी प्रतिकर दावे सहित देय बकाया धन राशिका भुगतान कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और भुगतान कब तक किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णम्माचारी) : (क) से (ग) : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 29 नवम्बर 1965 को एक आदेश जारी करके सरकारी परिसमापक को बम्बई शाखा की कर्मचारी कल्याण निधि और भविष्य निधि का एकमात्र न्यासी (ट्रस्टी) नियुक्त किया है और उन भूतपूर्व कर्मचारियों को रकमों की अदायगी करने का निदेश दिया है जो इसके हकदार हों। सरकारी परिसमापक द्वारा, जल्दी अदायगी करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। जहां तक छटनी सम्बन्धी मुआवजे के रूप में दी जाने वाली रकमों का सम्बन्ध है, अभी तक भूतपूर्व कर्मचारियों ने निर्धारित फार्म में अपने दावे पेश नहीं किये है।

शहरों का विकास

2210. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नगर तथा ग्राम योजना संगठन ने सुझाव दिया है कि शहरों के विकास के लिये बृहत योजनाओं की क्रियान्विति के लिये सभी नगर निगमों को अपने अधीन नगर योजना विभाग अथवा एकक स्थापित करने चाहियें ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) हाल ही में वाराणसी में हुए नगर निगमों के सम्मेलन में इस सुझाव पर विचार विमर्श किया गया तथा इसका समर्थन किया गया। सम्मेलन में पारित प्रस्ताव को उचित कार्यवाही के लिये निगमों तथा राज्य सरकारों के ध्यान में ला दिया जायेगा।

जालोन तथा कानपुर में व्यापारिक संस्थाओं पर छापे

2211. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री बडे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर अधिकारियों ने 26 और 24 नवम्बर, 1965 को अथवा इसके लगभग तीन व्यापारिक संस्थाओं पर, दो जालोन में और एक कानपुर में, छापे मारे और अभिशंसी कागजात पकडे ; और

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला और इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) जांच की जा रही है ।

मैसूर ग्रामीण जल सम्भरण योजनायें

2212. **श्री अ० शं० आल्वा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) राज्य सरकार को गांवों में पीने का पानी सप्लाई करने की योजनाओं के लिये वित्त व्यवस्था करने के लिये कितनी प्रतिशत सहायता दी गई है ;

(ख) क्या मैसूर सरकार ने चालू वर्ष के दौरान कोई ऐसी योजना भेजी है, और, यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) ऐसी सभी योजनाओं के लिये सरकार ने कितनी सहायता दी है ; और कुल कितनी धनराशि मंजूर की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) राष्ट्रीय जल पूर्ती एवं सफाई कार्यक्रम के अधीन भारत सरकार द्वारा मंजूर योजनाओं की लागत का 50 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान के रूप में दिया जाता है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मैसूर सरकार से 36 ग्राम जल पूर्ति योजनायें मिली हैं।

(ग) ग्राम जल पूर्ति योजनाओं सहित स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्त केन्द्र सहाय्यत योजनाओं के लिये मैसूर सरकार को 1961–62 से 1964–65 की अवधी में कुल मिलाकर 270.79 लाख रुपये की पूंजी सहाय्यानुदान के रुप में दी जा चुकी है। ग्राम जल पूर्ति योजनाओं के लियेहि अलग से कितनी रकम दी गई है, यह बताना सम्भव नहीं है क्योंकि राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने की वर्तमान प्रणाली के अनुसार यह सहायता योजनावार न देकर योजनाओं के व्यापक वर्गों अथवा श्रेणियों के लिये दी जाती है ।

भूमिगत-जल निकास योजना, मंगलौर

2213. **श्री अ० शं० आल्वा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने मैसूर सरकार को मैसूर राज्य में मंगलौर नगर पालिका की भूमिगत जल निकास योजना को वित्तपोषित करने के लिये सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो अनुदान के रुप में और/अथवा ऋण के रुप में कितनी धन राशि मंजूर की गई है ;

(ग) योजना का कुल अनुमानित खर्च क्या है और कितनी धनराशि अब तक खर्च की जा चुकी है ;

(घ) क्या यह निर्माणकार्य धन की कमी अथवा अन्य किसी कारण से रुका पड़ा है, और

(ङ) इन कार्य के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ङ) : भारत सरकार ने मंगलौर भूमिगत नाली योजना, जिस प्रकार अनुमानत: 143 लाख रुपये खर्च होंगे, मंजूर करली है। इस योजना के लिये केन्द्रीय सहायता बतौर कर्ज दी जाती है।

राज्य सरकार द्वारा प्राप्त कर्ज की राशि तथा अन्य विवरण राज्य सरकार से मंगाये गये हैं और सूचना प्राप्त होते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

दिल्ली में विषाक्त खाद्य सम्बन्धी घटनायें

2214. **श्री अब्दुल गनी गोनी :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री वाल्मीकी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री 11 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 169 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) महामारी अधिनियम के अधीन नष्ट किये गये 20,209 किलोग्राम खाद्य पदार्थ में सदर बाजार के हलवाई का माल कितना था तथा अन्य हलवाईयों का यदि कुछ था तो (अलग अलग) कितना था;

(ख) क्या सदर बाजार के हलवाई के अतिरिक्त अन्य हलवाईयों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो, उस का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) नष्ट किये गये खाद्यान्नों का विवरण इस प्रकार है :—

(1) सदर बाजार हलवाई . .	2611	कि० ग्राम
(2) शहर के उत्तरी क्षेत्र के हलवाई	67	कि० ग्राम
(3) शहर के दक्षिणी क्षेत्र के हलवाई . . .	1149	कि० ग्राम
(4) सदर बाजार के हलवाई के अलावा सदर पहाड़गंज क्षेत्र .	14,682	कि० ग्राम
(5) सिविल लाइन क्षेत्र . . .	889	कि० ग्राम
(6) पश्चिमी क्षेत्र (रजोरी गार्डन क्षेत्र) . .	380	कि० ग्राम
(7) शाहदरा क्षेत्र	431	कि० ग्राम
कुल .	20,209	कि० ग्राम

(ख) जी हां ।

(ग) की गई कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है ।

क्षेत्र का नाम	निरीक्षित दुकानों की संख्या	दिये गये नोटिसों की संख्या	बन्द की गई दुकानों की संख्या
1. शहर का उत्तरी क्षेत्र . . .	149	7	3
2. शहर का दक्षिण क्षेत्र . . .	65	22	1
3. सदर बाजार हलवाई के अलावा सदर पहाड़ गंज क्षेत्र . . .	250	260	2
4. करोल बाग क्षेत्र .	81	17	4
5. सिविल लाइन क्षेत्र .	245	69	
6. नई दिल्ली दक्षिणी क्षेत्र .	81	18	
7. पश्चिमी क्षेत्र . .	155	145	
8. शाहदरा क्षेत्र . . .	303	13	. .
कुल .	1329	551	10

Jakam Dam (Rajasthan)

2215. Shri Dhuleshwar Meena :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) the progress made in respect of Jakam River Dam in District Udaipur, Rajasthan ;

(b) the total expenditure likely to be incurred on that Dam, and

(c) the acreage of land that would be irrigated and the wattage of power that would be generated on the completion of the said Dam ?

Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri S. D. Misra) : (a) to (c). The Jakam Project is being executed in two stages. Stage-I, consisting of a pick-up weir and canal system, has been practically completed. An expenditure of Rs. 23 lakhs is expected to be incurred on it up to the end of March, 1966. A potential of 4,000 acres has been created but the actual utilisation has been about 600 acres only due to heavy seepage in the canals. It is proposed to line the canal and a provision of Rs. 2 crores has been made for this purpose during 1966-67 when the work is expected to be completed giving the full utilisation of 4,000 acres.

Stage-II of the project includes the construction of a storage dam 6 miles upstream of the pick-up weir and further extension of its canals. The total schemes is estimated to cost Rs. 233 lakhs and will give irrigation for 32,000 acres. The scheme does not contemplate generation of power.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर

2216. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सरकार द्वारा स्वीकार की गई गोबिन्दा रेड्डी समिति की सिफारिशों के अनुसार कितने सहायक इंजिनिअर (सिविल इलैक्ट्रिकल तथा बागबानी के) स्थायीकरण के लिये पात्र है; और

(ख) उन में से अब तक कितनों का स्थायीकरण किया गया है और शेष का स्थायीकरण कब किया जायेगा?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मंगलौर जल सम्भरण योजना

2217. **श्री अ० शं० आल्वा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने पांच लाख जनसंख्या को आवश्यकता के अनुसार वर्तमान क्षमता में वृद्धि करने के लिये मंगलौर जल संभरण योजना के विस्तार के सम्बन्ध में केन्द्र को व्यय का अनुमान भेजा है और ऐसी योजना के लिये अनुदान और । अथवा ऋण देने के लिए भी अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां ।

(ख) स्थान के निरीक्षण के पश्चात् केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन (स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशालय) द्वारा दी गई कतिपय टिप्पणियों के आधार पर इस योजना में संतुलन करने के लिये इसे राज्य सरकार को वापस कर दिया गया है । राज्य सरकार से संशोधित योजना की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

चिट फण्ड कम्पनियों पर छापा

2218. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने, चिट फण्ड कम्पनियों के रजिस्ट्रार को प्राप्त हुई धोखा-पड़ी की शिकायतों के फलस्वरूप, कई ऐसी चिट फण्ड कम्पनियों के कार्यालयों

पर छापे मारे जो "लकी ड्रा" को बढ़ावा देती थीं और उन की लेखा पुस्तकें अपने कब्जे में ले लीं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई जांच-पड़ताल का क्या परिणाम रहा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां। गैर कानूनी लाटरियां चलाने वाली छः कम्पनियों के बही-खाते और कागजपत्र जब्त कर लिये गये है।

(ख) इन छः कम्पनियों में से चार पर मुकदमा चलाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। दूसरी दो कम्पनियों के मामलें में जांच-पड़ताल हो रही है।

सोन बान्ध व सड़क पुल

2218-क. श्री० राम हरख यादव : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरी-ओन-सोन के निकट इन्द्रपुरी में सोन बांध व सड़क पुल हाल में यातायात के लिये खोल दिया गया है;

(ख) योजना की विशेष बातें क्या हैं और इसका सामान्य रूप से कैसे उपयोग किया जायेगा ;

(ग) परियोजना पर कुल कितना खर्च किया गया है ; और

(घ) क्या सरकार उसका उपयोग करने वालों पर विशेष पथ कर लगाने के लिये विचार कर रही है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) पुल का उद्घाटन 21-11-1965 को हुआ था, बराज हर पथ से अभी पूर्ण नहीं हुआ है।

(ख) परियोजना के निम्नलिखित भाग है :—

(1) एक बराज (जिस के ऊपर एक सड़क का पुल होगा) यथा दो सम्पर्क नहरें,

(2) नई उप शाखाओं समेत वर्तमान नहर प्रणाली का पुनर्रुपण, और

(3) पश्चिमी तथा पूर्वी उच्च स्तर नहरें।

सोन बराज वर्तमान 90 वर्ष पुराने सोन एनीकट का पुर्नस्थापन कार्य है। इससे सोन की वर्तमान कमान की 7.34 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई पक्की हो जाएगी और इसके अतिरिक्त वर्तमान कमान में ही 3.07 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी।

(ग) मार्च, 1965 तक 1178 लाख रुपये। 1965–66 के दौरान 307 लाख रुपये व्यय होने की सम्भावना है।

(घ) बिहार सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। जब तक बराज पूर्ण नहीं हो जाता, उस समय तक केवल नियमित यातायात की ही इजाजत दी जाएगी ताकि कार्य में कोई गड़बड़ी न हो।

समयोपरि भत्ता

2218-ख. श्री लखमू भवानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब दुसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो समयोपरि भत्ता सम्बन्धी नई पद्धति का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि प्रतिमास समयोपरि भत्ता लेने की कोई सीमा है तो क्या ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) समयोपरि भत्ते की सीमा मासिक उपलब्धियों का एक तिहाई भाग है। यह सीमा व्यक्तिक कर्मचारियों के मामले में, विशेष परिस्थितियों में, मासिक उपलब्धियों के 50 प्रतिशत भाग तक बढ़ाई जा सकती है।

जापान से उधार माल

2218-ग. श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के समय जापान ने भारत को उधार माल भेजना बन्द कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या जापान ने अब उधार माल भेजने के सम्बन्ध में भारत के साथ साधारण व्यापार सम्बन्ध फिर स्थापित कर लिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो पहली बार भारत पहुंचने वाले ऐसे माल का ब्यौरा क्या है तथा उसकी भारत पहुंचने की तारीख क्या है?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) : जी, हां। जापान सरकार ने बिलकुल नये येन ऋण के अन्तर्गत किये गये कुछ करारों को स्वीकृति देना अस्थायी रूप से बन्द कर दिया था, लेकिन दूसरे येन ऋणों के अन्तर्गत किये गये करारों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन उसके बाद से सामान्य रूप से माल का भेजा जाना फिर शुरू हो गया है। 7 दिसम्बर 1965 को जहाज से पहला चालान भेजा जाने वाला था और अनुमान है कि माल जल्दी ही भारत पहुंच जायेगा।

अभाव वाले तथा पिछड़े हुए क्षेत्र

2218-घ. श्री लिंग रेड्डी : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल देश के अभावग्रस्त तथा पिछड़े क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) किन सिद्धान्तों के आधार पर उन्हें इस प्रकार सीमांकित किया जाता है अथवा उनके सम्बन्ध में निर्णय दिया जाता है ; और

(ग) उन क्षेत्रों के सुधार के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) : **अभावग्रस्त क्षेत्रों** में सघन खण्डों के समेकित विकास के लिये मार्गदर्शी परियोजनायें चालू करने की सम्भावनाओं का संबंधित राज्य सरकारों से सलाह लेकर खाद्य तथा कृषि मंत्रालय पता लगा रहा है। राज्य सरकारों से अपेक्षित आंकड़े भेजने के लिये निवेदन किया गया है। क्षेत्रों का निर्धारण करने के बाद राज्य सरकारों को मार्गदर्शी परियोजनाएं तैयार करने में सहायता देने के लिए तकनीकल विशेषज्ञों का दल भेजने का प्रस्ताव है।

जहां तक **पिछड़े क्षेत्रों** का सम्बन्ध है योजना आयोग के दिनांक 5 जनवरी 1965 के पत्र, जिसके साथ विकास के विशिष्ट सूचकों की सूची संलग्न की गई थी, के उत्तर मद्रास को छोड़कर अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त हो गये हैं। आकड़ों के आधार पर पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण का प्रश्न विचाराधीन है। क्षेत्रों का निर्धारण करने के बाद राज्य योजनाओं में इन क्षेत्रों के यथासम्भव द्रुत विकास के लिये व्यवस्था की जायेगी।

केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों की हड़ताल सम्बन्धी ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में

RE : CALLING ATTENTION ON STRIKE OF CGHS DOCTORS

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Mr. Speaker, Sir.....

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas) : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister was to give a statement today regarding strike of CGHS Doctors. May I know when it would be given ?

Mr. Speaker : The hon. Minister was proposed to give a statement today but the hon. Member had requested me to postpone it for tomorrow as he will be out of station today. **(Interruptions)**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Not to give a statement in the absence of one Member only is not a good thing.

Mr. Speaker : Anyway I don't have any objection. If the hon. Members want and the hon. Minister is prepared, I can allow it now.

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : हम इस विषय पर वक्तव्य देना चाहेंगे ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Mr. Speaker.....

Mr. Speaker : The hon. Member should not start speaking till I call him.

श्री पू० शे० नास्कर : क्या हम इसे दोपहर के बाद दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, 4 बजे। वक्तव्य 4 बजे दिया जायेगा ।

व्यवस्था के प्रश्नों के बारे में

RE : POINTS OF ORDER

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं आप के कल के आदेशों के अनुसार ही आज व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । नियम 376(2) में कहा गया है कि सभा के कार्य के क्रम के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न किसी समय भी उठाया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु मेरी अनमति से ।

श्री हरि विष्णु कामत : निःसन्देह ।

अध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें मेरी अनुमति लेनी चाहिये तब बाद में मैं उन्हें समय दूंगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : परन्तुक में तो कहा गया है कि प्रश्न उठाया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : हां मुझे पता है, मैंने उसे पढ़ा है । कुछ दिन हुए मैंने उस नियम का उल्लेख किया था ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Mr. Speaker, Sir, I want to raise a point of order under Rule 376(1) which is in regard to the conduct of Business of Lok Sabha. It reads as follows :—

"A point of Order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such Articles of the Constitution as regulate the business of the House....."

I would also like to mention Rules, 357 and 352. Under Rule 357 a member may, with the permission of the Speaker, make a personal explanation although there is no question before the House. If you want, Sir, I can read the Rule.

Mr. Speaker : I have understood it.

Dr. Ram Manohar Lohia : The second Rule is 352. According to it, while a member is speaking he cannot make a charge against another member.

"A member while speaking shall not .....

(ii) make a personal charge against a member ;"

In this connection I want to draw your attention that some Jan Sangh members had levelled charges against us that we take part in the proceedings just to gain cheap popularity.

We can see this point from two angles. One is about the motive *i.e.* with what motive we take a part in the proceedings. I would like to know from the hon. Members as to how they have came to know our motive. In case we begin to find out their motives the matter would become more complicated.

The second point is about the results of the proceedings. I would like to know whether it is a fact that we are becoming popular and others are not gaining popularity, on account of taking part in the proceedings. The fact is that we don't find our names in the papers and the points we raise here. I would therefore like that our points should appear in the papers though our names may not be there, and this is the difference between us and the members opposite. They are anxious to get their names published while we are anxious to get our points publicised.

Mr. Speaker : The point of order should be very brief. I would like to know what is your point of order.

Dr. Ram Manohar Lohia : I would like you to appoint a committee which could find out whether these opposite Members who oppose Government directly or indirectly, gain popularity. In this way a true picture would come before you.

I think that a Committee should also be appointed which could know the motives of the Members for taking part in the proceedings.

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur) : I want to raise a point of Order under Rule 41 .

Shri Hari Vishnu Kamath : Insinuation.

Shri U. M. Trivedi : I have great regard for Shri Lohia. But sometimes he goes out of the point.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : (Dewas) It is his old habit.

Shri U. M. Trivedi : I am pained to know that he has charged you with getting the names published. We never know it that you ever get the names of the members published. Such an imputation should not be there. They can level charges against us. We have no objection to that. We can face them. **(Interruptions).**

Dr. Ram Manohar Lohia : With the help of Shastriji.

Shri U. M. Trivedi : Without anybody's help.

All hon. Members : Both of them should be sent out so that they may get their difference solved there.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Just as they take help from pro-chinese. So they think that others are also the same.

Mr. Speaker : It is correct that when our Member levels charges against the other he should do so with full responsibility.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : Mr. Speaker, Sir.....

Mr. Speaker : You should not interrupt in that way. When I speak the hon. Members should not interrupt.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : He speaks so that his name may be published in the papers.

Mr. Speaker : Dr. Ram Manohar Lohia has said that I should get his subject published though his name might not be published. So I want to tell him that I am neither Director of Publicity nor an Information officer. He could go in the Central Hall and request the correspondents. I don't get any opportunity to see them.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : When they start speaking they see towards the press gallery.

Mr. Speaker : It is not proper to address this thing to me; I don't have any hand in getting anybody's name published.

I too had said something about correspondents yesterday. The press here has full liberty and freedom. Neither I nor Government interfere in their affairs. But this thing pains me very much that whenever the speaker is disobeyed it is reported in the papers in the headlines but whenever a good speech is delivered, it is then remarked that "he also spoke".

We could only appeal to the press to fare with a sense of responsibility: They should feel that it is general complaint and it should be removed: Now they are the masters and can fare in any way they like.

The hon. Member had said that a charge was levelled that he takes part in the proceeding to gain cheap popularity. It can be anybody's opinion and how this thing could be checked. All that I can say is that such charges should be levelled after a good deal of consideration. This thing cannot be banned under Rules.

Dr. Ram Manohar Lohia : Why it has been expunged ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : This thing has been published in the first page of "Hindustan" (Hindi Edition).

Dr. Ram Manohar Lohia : Why was the cheap popularity expunged from the proceedings ? I would like to say again that we want our work to be published and not name.

Mr. Speaker : Kindly tell this thing to the correspondent and not to me.

Dr. Ram Manohar Lohia : They are afraid of you.

Mr. Speaker : Very strange.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : सत्र समाप्त होने जा रहा है और आप ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं और अल्प सूचना प्रश्नों के लिए उदारता से अनुमति दिये जा रहे हैं। इसलिये कुछ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए अनुमति नहीं दे सके। अतः मैं प्रार्थना करूं कि कल कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा कि प्रश्न कैसे हैं और उन पर विचार करूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आपकी अनुमति से नियम 376 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह प्रश्न सदस्यों के अधिकार के बारे में है। आप ने पी० टी० आई० की हड़ताल के बारे में ध्यान दिलाने वाले सूचना की अनुमति नहीं दी है।

अध्यक्ष महोदय : जिसके बारे में मैंने अनुमति नहीं दी है उसपर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने मेरा ध्यान आकर्षित कर दिया है और मैं उसपर विचार करूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं नियमों के विवेचन के बारे में निवदन करना चाहता हूँ। क्या मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता हूं। हड़ताल सारे देश में हो रही है। (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : जिस ध्यान दिलाने वाली सूचना की अनुमति नहीं दी गई है उसके बारे में चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री भागवत झा आजाद : यदि हमें अस्वीकृति के बारे में पहले पता लग जाये तो हम आप के पास आकर उस के बारे में चर्चा कर सकते हैं। हमने कल सूचना दे दी थी परन्तु इस समय हमें कहा जा रहा है कि उसके बारे में अनमति नहीं दी जा सकती। अब हम आप से कैसे बातचीत कर सकते हैं। हड़ताल शुरू हो चुकी है और हम ने कल सूचना दी थी... (**अन्तर्बाधायें**)

Shri Bagri (Hissar) : Some times Calling Attention Notices on the same subject are given in Lok Sabha as well as in Rajaya Sabha and sometimes it so happens that the notice is accepted in Rajya Sabha but is rejected in Lok Sabha. I want to submit that Lok Sabha has been more important than Rajya Sabha because such discussion should first take place in this House.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : कल के समाचार पत्र में मैंने पढ़ा है कि कपड़ा मिलों के बन्द होने के बारे में राज्य सभा ने प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई है। मैंने कुछ और सदस्यों के साथ उसी के बारे में सूचना दी थी अतः मैं जानना चाहता हूं कि उस के लिए अनुमति क्यों नहीं दी गई?

अध्यक्ष महोदय : श्री कामत ने कहा था कि उसकी जानकारी छप चुकी है इसीलिये मैंने उसे अस्वीकार किया। मैं एक बात और बताना चाहता हूं। मान लीजिये एक ही दिन राज्य सभा और लोक सभा में सूचना दी जाती है तो मैं और वहां के पीठासीन अधिकारी इकट्ठे बैठ कर यह निर्णय नहीं कर सकते कि किस को स्वीकार किया जाये और किस को अस्वीकार। माननीय सदस्यों को यह भी देखना चाहिये कि वहां के सदस्यों की संख्या यहां से आधी है इसलिये उनके पास जितना समय होता है उसके हिसाब से उनके पास काम होना चाहिये। उनकी अन्य प्रक्रियायें हमारे समान ही बनी हुई हैं।

श्री भागवत झा आजाद : परन्तु सामान्य नीति एक सी होनी चाहिये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : प्रधान मंत्री इस सदन के लिये उत्तरदायी हैं न कि दूसरे सदन के लिये। वह यहां उत्तर न देकर वहां कैसे दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि वहां सूचना स्वीकार की जाये तो वह उत्तर देने को कैसे मना कर सकते हैं।

श्री हो० ना० मुकर्जी : यदि कोई माननीय मंत्री किसी अल्प सूचना प्रश्न को राज्य सभा में स्वीकार कर लेता है और उसी तरह के प्रश्न को लोक सभा में स्वीकार नहीं करता है तो इस पर विचार किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : वह दूसरी बात है।

श्री हो० ना० मुकर्जी : यह वही है।

अध्यक्ष महोदय : यदि अल्प सूचना प्रश्न होगा, तो मैं अवश्य देखूँगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मान लीजिये पी०टी०आई० की हड़ताल जैसे अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर राज्य सभा में चर्चा हो तो हमारी क्या स्थिति है। कर्मचारी संस्था के सभापति लोकसभा के सदस्य श्री अमरनाथ विद्यालंकार हैं। हम हड़ताल रोकना चाहते थे परन्तु वह फिर भी हो गई है।

श्री हरि विष्णु कामत : इससे 1000 से अधिक लोगों पर प्रभाव पडेगा।

श्री भागवत झा आजाद : आप ऐसे अवसरों पर प्राय: यह कह दिया करते हैं कि हम आप को मिलें। अब स्थिति यह है कि मैं आपको नहीं मिल सकता। हम ने कल सूचना दी थी। परन्तु प्रश्न काल में आप ने मुझे सूचित किया कि उसे स्वीकृति नहीं दी गई है। अब मैं आप के पास कैसे आकर आपको और जानकारी दे सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य की ध्यान दिलाने वाली सूचना कल दोपहर को मिली थी। परन्तु जैसे जैसे सूचना मिलती जाये वैसे वैसे मैं उसपर विचार नहीं कर सकता। इसलिये उन्हें ऐसा समझना चाहिये कि वह सूचना मुझे आज 10 बजे मिली क्योंकि मैं 10 बजे सूचनाओं पर निर्णय करना आरम्भ करता हूं और 11 बजे तक निर्णय कर लेता हूं। उसके बाद मैं यहां आ जाता हूं। इस प्रकार मैं माननीय सदस्यों के अपने निर्णय के बारे में कैसे सूचना भेज सकता हूँ। इस के अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। यदि माननीय सदस्य कोई सुझाव दे तो उस पर विचार किया जा सकता है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : You kindly listen to me also.

Mr. Speaker : Fifty minutes have been wasted in this way.

Shri Madhu Limaye : But, Sir, I always speak with your permission and would speak with your permission. You have told us Sir, to give Short Notice Questions regarding this matter and you will look into it. I want to submit that my two Calling Attention Notices were accepted but I was told yesterday that out of these two only, one will be selected. Then how a fresh Calling Attention Notice will be accepted tomorrow is the last day of the session. There is the P.T.I. case, that there are cases of sale of children in Orissa. I would, therefore, request you to kindly accept one or two Calling Attention Notices.

Mr. Speaker : After all how many Short Notice Questions can I accept ? It is not possible to accept more than two. All that I can do is to ask the Minister to lay the reply on the Table of the House if I think that its reply must come.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

केरल सरकारी भूमि अधिन्यास अधिनियम, केरल भूमि अर्जन नियम सम्बन्धी संशोधन और केरल वन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

खाद्य तथा कृषि मंत्राल में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं श्री चि० सुब्रम्हण्यम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल सरकारी भूमि अधिन्यास अधिनियम, 1960, की धारा 7 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) केरल भमि अधिन्यास नियम, 1964, जो दिनांक 25 मार्च, 1964 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 71/64 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सरकारी परती भूमि पर भूमिहीन कृषि श्रमिकों को बसाने की केन्द्र द्वारा आरम्भ की गई योजना के क्रियान्वयन के लिए नियम, जो दिनांक 22 अक्तूबर, 1963 के केरल राजपत्र में अधिसूचना संख्या 50513/ए3/62/ आर० डी० में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भूमिहीन कृषि श्रमिकों को बसाने की केन्द्र द्वारा आरम्भ की गई योजना के अन्तर्गत ऐसे श्रमिकों को बसाने के प्रयोजन से सरकारी भूमि के अधिन्यास के लिए नियम जो दिनांक 22 अक्तूबर, 1963 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 715/1963 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) अधिसूचना संख्या 79182/ए3/63/ आर० डी०, दिनांक 9 जनवरी, 1964 जिसके द्वारा भूमिहीन कृषि श्रमिकों को बसाने की केन्द्र द्वारा आरम्भ की गई योजना के अन्तर्गत ऐसे श्रमिकों को बसाने के प्रयोजन से सरकारी भूमि के अधिन्यास के लिये नियमों में कतिपय संशोधन किये गये।

(पांच) एस० आर० ओ० संख्या 30/65 जो दिनांक 26 जनवरी, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सरकारी भूमि के अधिन्यास के लिए नियमों में एक संशोधन किया गया।

(छः) एस० आर० ओ० संख्या 117/65 जो दिनांक 23 मार्च, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(सात) औद्योगिक प्रयोजनों के लिए विकास क्षेत्रों में सरकारी भूमि के अधिन्यास के लिए नियम जो दिनांक 14 अप्रैल, 1964 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 97/64 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) एस० आर० ओ० संख्या 231/65 जो दिनांक 1 जून, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केरल भूमि अधिन्यास नियम, 1964 में एक संशोधन किया गया।

(नौ) एस० आर० ओ० संख्या 303/65 जो दिनांक 3 अगस्त, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तम्बाकू की खेती करने के लिये सरकारी भूमि को पट्टे पर देने के लिए विशेष नियमों में कतिपय संशोधन किये गये। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5331/65।]**

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल भूमि अर्जन अधिनियम, 1961 की धारा 61 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 219/64 की एक प्रति जो दिनांक 21 जुलाई, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल भूमि अर्जन नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5332/65।]**

(3) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल वन अधिनियम, 1961 की धारा 77 के अन्तर्गत वन बन्दोबस्त नियम, 1965, की एक प्रति जो दिनांक 11 मई, 1965 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 186/65 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5333/65।]**

कोचीन रिफाइनरीज का वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, एरनाकुलम, के वर्ष 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5334/65।]**

विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में विवरण

संचार तथा संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मैं तीसरी लोक सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) विवरण संख्या 1 तेरहवां अधिवेशन, 1965

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या 3 बारहवां अधिवेशन, 1965

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या 7 ग्यारहवां अधिवेशन, 1965

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या 10 दसवां अधिवेशन, 1964

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या 17 सातवां अधिवेशन, 1964

(छः) अनुपूरक विवरण संख्या 20 चौथा अधिवेशन, 1963

(सात) अनुपूरक विवरण संख्या 23 प्रथम अधिवेशन, 1962

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5335 से 5341/65।]

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 323 के अन्तर्गत आपने गत बुधवार अथवा बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री को आदेश दिया था कि वह उनके विभाग में जो गलतियां है उनके कारणों के बारे में वक्तव्य दें। क्या इस खबर में कोई सच्चाई है कि वित्त मंत्री अथवा वित्त मंत्रालय ने ऐसा विवरण संसद्कार्य मंत्री को तीन चार दिन पहले भेज दिया था, यदि हां तो उसे सभा को बताने में देरी क्यों हो रही है। आश्वासनों सम्बन्धी समिति को इन का विचार करने के लिये काफी समय मिला होगा फिर क्या कारण है कि अब जब कि सत्र समाप्ति पर है उसने अभी तक विचार नहीं किया है ?

लोक सभा सचिवालय ने अपने विश्लेषण में कहा है कि अप्रैल 1962 से अब तक जो आश्वासन दिये गये थे उनमें से 311 अभी तक पूरे नहीं किये गये हैं।

श्री सत्यनारायण सिंह : आज जो विवरण सभा पटल पर रखे गये हैं उनमें यह जानकारी दी गई है : मंत्रियों तथा अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर व्यय जिसमें विदेशी मुद्रा भी शामिल है, दिया गया है। ये आश्वासन अगस्त-सितम्बर, 1965 में दिये गये थे और इनको कोई अधिक समय नहीं हुआ है।

विदेशी तकनीशनों पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा संबंधी एक आश्वासन की क्रियान्विती के बारे में भी इस विवरण में जानकारी दी गई है। यह आश्वासन 1962 से पड़ा है। इसमें देरी के बारे में माननीय वित्त मंत्री ने कल ही स्पष्टीकरण दे दिया है।

वर्तमान लोक सभा की अवधि में अगस्त-सितम्बर, 1965 तक कुल 2,363 आश्वासन दिये गये थे। इनमें से 2,130 क्रियान्वित कर दिये गये हैं। 4 आश्वासन 1962 से बिना क्रियान्वित किये पड़े हैं और इनमें से एक को जो कोचीन मे दूसरा शिपयार्ड बनाने के लिये विदेशी मुद्रा के बारे में है हमने समिति से हटाने के बारे में कहा है क्योंकि जापानी फर्म से अभी तक परियोजना प्रतिवेदन नहीं आया है।

दूसरा आश्वासन किराये पर लिये गये जहाज़ों के बारे में है। आशा है कि यह जानकारी अगले सत्र में सभा पटल पर रख दी जायेगी। तीसरा आश्वासन दूसरी और योजनाओं में जहाज़ों के निर्माण तथा विदेशों से प्राप्त किये गये जहाज़ों पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा के संबंध में है। परिवहन मंत्री ने वायदा किया है कि इसकी जानकारी शीघ्र ही दे दी जायेगी। चौथा आश्वासन राजस्थान के लिये एक व्यापक जल संभरण योजना के बारे में है। राजस्थान सरकार को यह जानकारी भेजने के लिये कई बार लिखा है। वहां से जानकारी प्राप्त होने पर ही यह आश्वासन क्रियान्वित हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आश्वासन संबंधी समिति से इसकी जांच करने के लिये कहूंगा और फिर वह अगले सत्र तक प्रतिवेदन देगी।

अशोक होटल्स का वार्षिक प्रतिवेदन, तथा उस पर सरकार की टिप्पणियां
और
जनपथ होटल्स का वार्षिक प्रतिवेदन, तथा उस पर सरकार की टिप्पणियां

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० से० नास्कर) : श्री मेहरचन्द खन्ना की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरिक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5342/65।]**

(2) (एक) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत जनपथ होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5343/65।]**

केरल मोटर गाड़ी नियमों तथा सेन्ट्रल रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

श्री पू० से० नास्कर : श्री राजबहादुर की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति जिनके द्वारा केरल मोटर गाड़ी अधिनियम 1961 में कतिपय संशोधन किये गये :—

(एक) एस० आर० ओ० संख्या 394/65 जो दिनांक 2 नवम्बर 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 402/65 जो दिनांक 9 नवम्बर 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5344/65।]**

(2) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत सेन्ट्रल रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5345/65।]**

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स का वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : मैं निम्नलिलित पत्रों की एक एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :—

(एक) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य पर सरकार द्वारा समीक्षा। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5346/65 ।]**

सीमा शुल्क अधिनियम तथा केरल विक्रय कर (उद्ग्रहण तथा मान्यकरण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा नियम

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1696 जो दिनांक 20 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी० एस० आर० 1750 जो दिनांक 27 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) जी० एस० आर० 1751 जो दिनांक 27 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) जी० एस० आर० 1752 जो दिनांक 27 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) जी० एस० आर० 1753 जो दिनांक 27 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(छः) जी० एस० आर० 1754 जो दिनांक 27 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(सात) जी० एस० आर० 1790 जो दिनांक 30 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(आठ) जी० एस० आर० 1794 जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5347/65 ।]**

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण अधिनियम 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 83वां संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 27 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1740 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 84वां संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 27 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1741 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 85वां संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 27 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1742 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 86वां संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 27 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1743 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 87वां संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 27 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1744 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 88वां संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 27 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1745 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 89वां संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 27 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1746 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 90वां संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 27 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1747 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 91वां संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 27 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1748 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात-शुल्क-वापसी (सामान्य) 92वां संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 28 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1749 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5348/65।]**

(3) केरल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1965 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केरल विक्रय-कर (उद्ग्रहण तथा मान्यकरण) अधिनियम, 1965 (1965 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 4) की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5349/65।]**

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

कार्यवाही सारांश

Shri Yamuna Prasad Mandal (Jainagar) : Mr. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table the Minutes of the 15th Meeting of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House held during the current session.

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है :—

(एक) 'लोक-सभा द्वारा 30 नवम्बर, 1965 को पास किये गये केरल विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1965, के बारे में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।'

(दो) 'लोक सभा द्वारा 22 नवम्बर, 1965 को पास किये गये मेटल कारपोरेशन आफ इण्डिया (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, 1965, से राज्य सभा अपनी 7 दिसम्बर, 1965 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई।'

बोनस सदाय अधिनियम को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू करने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : APPLICABILITY OF PAYMENT OF BONUS ACT TO PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : श्रीमन्, बोनस की अदायगी के प्रश्न पर मैं निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं--

29 मई, 1965 को बोनस अध्यादेश, 1965 के जारी किये जाने से पूर्व सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को बोनस का अधिकार नहीं था । फिर भी कुछ उपक्रमों में प्रसादतः भुगतान दिया जाता था ।

बोनस आयोग की इस सिफारिश को कि गैर सरकारी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करने वाले उपक्रमों पर बोनस सत्र लागू किया जाना चाहिये, बोनस अधिनियम, 1965 में शामिल कर लिया गया है ।

2 दिसम्बर, 1965 को कैबिनेट ने निर्णय किया कि सरकारी क्षेत्र के प्रतिस्पर्धा न करने वाले सभी उपक्रमों को अपने कर्मचारियों को अनुग्रह भुगतान करना चाहिये । यदि कोई उपक्रम अधिक अनुग्रह भुगतान करते रहे हैं तो उन्हें वही करते रहना चाहिये । यह सिद्धान्त प्रतिस्पर्धा करने वाले उपक्रमों पर भी लागू होना चाहिये । ऐसा करना उपक्रमों के कार्य पर होगा ।

यह निर्णय बोनस अधिनियम 1965 की धारा 32 के अन्तर्गत विशिष्ट रूप से निकाले गये उपक्रमों तथा विभागीय रूप से चलाये जाने वाले उपक्रमों, जैसे रेलवे, प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों आदि पर लागू नहीं होगा ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या माननीय मंत्री को पता है कि प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया के 1000 कर्मचारियों ने इस विषय पर हड़ताल कर रखी है ?

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या इसके अन्तर्गत प्रतिरक्षा उत्पादन से संबंधित 3 लाख सिविल कर्मचारी भी आयेंगे ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Will this Bonus rule apply to the Public Sector industries in the Municipal Corporations ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण पश्चिम) : क्या जीवन बीमा निगम और वित्त निगम के कर्मचारियों को यह अनुग्रह भुगतान मिलेगा ?

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : क्या माननीय मंत्री को पता है कि डाकतार विभाग अपने कर्मचारियों का बोनस घटाने जा रहा है ? क्या इस विधेयक का आशय उन कर्मचारियों को दण्ड देना है ?

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : क्या राज्य परिवहन के कर्मचारी भी इसके अन्तर्गत आयेंगे ?

शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : क्या राज्यों द्वारा चलाये जाने वाले उद्योगों तथा कम्पनियों पर भी यह लागू होगा ?

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : भारत इलैक्ट्रानिक्स और प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये। इलैक्ट्रानिक्स में भारत इलैक्ट्रानिक्स का एकाधिकार है।

श्री काशीनाथ पांडे (हावड़ा) : क्या सरकारी बैंकों के कर्मचारियों को बोनस मिलेगा या नहीं ?

श्री मुहम्मद इलियास (हावड़ा) : अनग्रह भुगतान बोनस से कम होगा या ज्यादा ?

श्री संजीवय्या : प्रैस ट्रास्ट आफ इंडिया के कर्मचारियों की शिकायत है कि इस वर्ष उनको पिछले वर्ष की अपेक्षा कम बोनस दिया जा रहा है। प्रबन्धक यह कहते हैं कि इस वर्ष उनके पास गत वर्ष की अपेक्षा कम पैसा है। वे बोनस विधान के उपबन्धों का पालन करने के लिये तैयार हैं। वे इसके लिये भी तैयार हैं कि इस मामले को न्यायनिर्णयन के लिये दे दिये जाये। मैं चाहता हूं कि कर्मचारियों और नियोक्तों में समझौता हो जाये। हमने दिल्ली प्रशासन से मामले की जांच करने के लिये कहा है। यदि दिल्ली प्रशासन समझौता कराने में सफल हो जाता है तो ठीक है और यदि नहीं, तो फिर मामले को न्यायनिर्णयन के लिये दिया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त के प्रश्न का उत्तर यह है कि जिन संस्थाओं को धारा 32 से बाहर रखा गया है उनपर यह निर्णय लागू नहीं होगा।

प्रतिरक्षा के संबंध में मुझे यह कहना है कि यदि वे विभागीय तौर पर चलाये जाते हैं तो उनपर यह निर्णय लागू नहीं होगा।

रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प--(जारी)

RESOLUTION RE : REPORT OF RAILWAY CONVENTION COMMITTEE—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 8 दिसम्बर, 1965 को श्री स० का० पाटिल द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित संकल्प पर अग्रेतर विचार करेगी :--

> "कि यह सभा सामान्य वित्त की तुलना में रेलवे उपक्रम द्वारा इस समय सामान्य राजस्व में दिये जाने वाले लाभांश की दर और रेलवे वित्त से सम्बन्धित अन्य अनुषंगी मामलों का पुनर्विलोकन करने के लिए नियुक्त की गई समिति के प्रतिवेदन में, जो कि 29 नवम्बर, 1965 को संसद में प्रस्तुत किया गया था, की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

श्री अल्वारिस अपना भाषण जारी रखे।

श्री अल्वारिस (पंजिम) : श्रीमन, यह ठीक है कि रेलवे उपक्रम प्रभारी पूंजी पर अधिक लाभांश देने के लिये राजी है, फिर भी हमें यह महसूस करना चाहिये कि यह पर्याप्त नहीं है। यह बात बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही जाती है कि रेलवे लाभांश दे रही है। परन्तु मैं याद दिलाना चाहता हूं कि योजना आयोग के उपसभापतिने कुछ समय पहले कहा था कि सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को विनियोजित पूंजी पर 10 प्रतिशत लाभांश देना चाहिये अन्यथा उनका रहना बेकार है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या ब्याज की दरों को बढ़ाने का प्रश्न जिन पर पूंजी उधार ली गई है उसके अनुकूल है। इसमें से काफी पूंजी बहुत वर्ष पहले बहुत कम दर पर ली गई थी। सारी विनियोजित पूंजी पर ब्याज की वर्तमान दर से ब्याज दिया जाना चाहिये।

दूसरी बात मैं विकास निधि और सुरक्षा सुविधाओं के बारे में कहना चाहता हूं। विकास के लिये बहुत कम धनराशि की व्यवस्था की गयी है। हम देखते हैं कि यात्रियों को बहुत बुरी हालतों में यात्रा करनी पड़ती है।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं
SHRIMATI RENU CHAKRAWARTI *in the Chair*]

तीसरी श्रेणी के यात्रियों को चतुर्थ योजना के अन्त में भी गाड़ियों में बैठने का स्थान नहीं मिलेगा। रेलवे की आमदनी का सब से बड़ा भाग तीसरी श्रेणी के यात्रियों से आता है फिर भी विकास निधि से उनके लिये इतना कम उपबन्ध क्यों किया गया है।

तीसरी बात मैं परिशोधन के बारे में कहना चाहता हूं। कहा गया है कि रेलवे में बहुत अधिक पूंजी लगी हुई है। प्रतिशतता के हिसाब से यह पूंजी 5 प्रतिशत अधिक है। 119 करोड़ रु० की पूंजी बहुत अधिक है जो कि रेलवे में रुकी हुई है।

एक चीज़ मैं राज्य सरकारों को यात्री कर के बदले में दी गई राशियों के संबंध में कहना चाहता हूं। कल मैंने वित्त आयोग के प्रतिवेदन की ओर ध्यान दिलाया था कि कुछ राज्यों ने शिकायत की है कि उन मदों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है जिन पर कि वे लोगों पर कर लगा सकें।

भारत सरकार ने राज्यों से केन्द्र को यात्री कर देने के लिये कहा था और इसके बदले राज्यों को 12.5 करोड़ रु० मुआवज़े के रूप में दिया गया। यह शिकायत है कि यातायात से आमदनी में वृद्धि के कारण बढ़ा हुआ मुआवजा भी कम है यदि केन्द्रीय सरकार इस प्रकार करों की मदों को अपने हाथ में लती जायेगी तो राज्यों के पास उनकी विकास योजनाओं के लिये बहुत कम मदें रह जायेंगी। मेरा सुझाव है कि माननीय रेलवे मंत्री को राज्यों के वित्त मंत्रियों से मिलना चाहिये ताकि 16.25 करोड़ रु० की इस मद को और बढ़ाया जा सके।

दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये राज्यों को जो धन राशि दी जाती है उसे देते समय माननीय रेलवे मंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वह रकम केवल इसी प्रयोजन के लिये खर्च की जायेगी।

श्री व० ब० गांधी (बम्बई नगर-मध्य दक्षिण) : चौथी रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिशें बहुत अच्छी हैं। इन के अनुसार सामान्य लोगों को भी लाभ होगा। भविष्य में राज्यों को रेलवे की आय से अधिक लाभ होगा। रेलवे में अधिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये भी उपबन्ध कर दिया गया है। इसके लिये पहले 3 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष थे अब ये बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये कर दिये गये हैं।

रेलवे विभाग ने बहुत अच्छा कार्य किया है। ऐसी स्थिति में सभा को इन सिफारिशों का अनुमोदन कर देना चाहिये। अब राज्यों को अधिक लाभ होगा उन को लगभग 18 करोड़ रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। ऐसी स्थिति में हमें राज्यों के बारे में भी सोचना चाहिये। राज्य सरकारें सदैव अधिक मांग करती रहती है। इस बार उनकी मांग को पूरा किया गया है। अब राज्य सरकारों को भी अपना कार्य करना होगा। जहां तक सुविधायें उपलब्ध कराने का सम्बन्ध है राज्य सरकारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिये और सामान्य जनता को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करनी चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

डा० उ० मिश्र (जमशेदपूर) : हमें सिफारिशों के अनुसार सामान्य राजस्व में अधिक धन दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। रेलवे प्रशासन भी तो कर्ज लेता रहता है। रेलवे अपने कर्मचारियों को सभी सुविधायें उपलब्ध करनी चाहिये। केवल 60 प्रतिशत कर्मचारियों को आवास सुविधायें उपलब्ध हैं। इनमें से भी उनके बहुत से मकान खराब हालत में हैं। ये अंग्रेजों के समय में बनाये गये थे। उस समय किराया बहुत कम था। अब उसमें वृद्धि कर दी गई है। इन के लिये और धन निर्धारित करना चाहिये। रेलवे के ऐसे कर्मचारियों की संख्या बहुत है जो कि क्षयरोग के रोगी है। इस लिये रेलवे वालों को अधिक चिकित्सा सुविधायें मिलनी चाहिये।

डा० म० श्री० अणे (नागपुर) : इस समय हम रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिशों पर चर्चा कर रहे हैं। इस लिये अन्य बातों का उल्लेख नहीं होना चाहिये।

डा० उ० मिश्र : मैं समझता हूं कि रेलवे का धन सामान्य राजस्व में देने से पहले इन बातों के लिये आवश्यक धन देना चाहिये। रेलवे की सम्पत्ति की ठीक प्रकार से देखभाल नहीं होती है और बहुत सा सामान चोरी हो जाता है। यदि देखभाल का काम ठीक प्रकार से हो तो रेलवे को और अधिक लाभ हो सकता है।

रेलवे को मूल्य-ह्रास निधि (डेपरिसिएशन फंड) के बारे में ठीक हिसाब नहीं होता है। इस लिये मेरा अनुरोध है कि इस बारे में हिसाब ठीक प्रकार से होना चाहिये और रेलवे की सम्पदा के मूल्य का ठीक अनुमान होना चाहिये। राज्य सरकारों को अब अधिक धन-राशि मिलगी। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में कोई सुनिश्चित तरीका होना चाहिये जिस से पता चले को राज्य सरकारें उस धन का आवश्यक प्रयोजन के लिये प्रयोग कर रही हैं और उचित सुरक्षा उपाय कर रही हैं। राज्यों को लाइनों पर समपार (लेवल क्रासिंग) बनाने चाहियें। यात्रियों को सुविधायें देने के लिये केवल एक करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। यह अपर्याप्त है।

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : मैं रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिशों का स्वागत करता हूं और सरकार के इनको स्वीकार करने की सहायता करता हूं। अन्तिम सिफारिश यात्रियों के लिये सुविधायें बढ़ाने से सम्बन्ध रखती है। मैं आशा करता हूं कि इस धन को ठीक प्रकार से प्रयोग में लाया जायेगा और यात्रियों को वास्तविक सुविधायें मिलेंगी। मेरा सुझाव है कि रेलवे के लिये भी एक अनौपचारिक सलाहकार समिति बनाई जाये। यह उसी प्रकार होनी चाहिये जैसे अन्य मन्त्रालयों के बारे में ऐसी समितियां हैं। मैं इन सिफारिशों का समर्थन करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरे सुझाव पर विचार करे।

श्री शिंकरे (मरमागोवा) : मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि उन्हें रेलवे के कार्य में और अधिक कुशलता लानी चाहिये। मैं इस संकल्प का विरोध नहीं कर रहा। यदि हम अपने देश को एक कल्याणकारी राज्य कहना चाहते हैं तो हमें रेलवे को, जिसका संचालन वाणिज्यक आधार पर हो रहा है, एक सरकारी उपक्रम कहना बन्द कर देना चाहिये। हमारे जैसे एक अल्प विकसित देश में यदि रेलवे मंत्रालय रेलों का संचालन केवल वाणिज्य के आधार पर करना चाहता है तो हम कब और कैसे यह आशा कर सकते हैं कि यह देश के सामान्य लोगों के लिये है।

मेरे विचार में रेलवे प्रशासन को संसद के सामान्य पर्यवेक्षण के अधीन लाया जाना चाहिये । इस तरह पार्लियामेंट रेलवे के विस्तार कार्य को कार्यान्वित कर सकेगी । हमें रेलवे यातायत की सुविधा अधिकाधिक लोगों को उपलब्ध करनी चाहिये । इस बारे में हमें अभी बहुत कुछ करना है । मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि रेलवे को वाणिज्यक प्रयोग में लाया जाये । हां, कुछ समय के लिये ऐसा किया जा सकता है ।

एक साधारण व्यक्ति को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी से कोई लाभ नहीं है । वह इसके लिये इतना भाड़ा देने की स्थिति में नहीं है । इसका लाभ तो वही लोग उठाते हैं जो वैसे प्रथम दर्जे के यात्री होते हैं । इस प्रकार इस से साधारण जनता को कोई लाभ नहीं है हमें तीसरे दर्जे के यात्रियों को सुविधायें उपलब्ध करनी चाहिये । मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री इस पर विचार करेंगे । मुझे पता चला है कि मिरज और मार्मागोआ के बीच की प्रस्तावित बड़ी लाइन न बनाने का निर्णय हुआ है । यह उचित नहीं है । इसे अवश्य बनाया जाये ।

Shri A. S. Saigal (Janjgir) : I welcome the Report of the Railway Convention Committee. More funds are being given to state Governments. It will enable them to build over bridges and level crossings. I hope this money would be utilised in a proper way.

I think that increasing of depreciation fund is very essential. This is the recommendation of the Committee also. The rate of interest of borrowing by Central Government has been increasing. It was 4 percent in the 1961-62 and in 1965-66 it is 5 percent. The Railway administration has done very good job. As my hon. friend Shri Samanta has suggested an Informal Committee for Railways should also be set up. It will be in public interest. With these words I support the resolution.

श्री च० का० भट्टाचार्य (रानीगंज) : मैं समिति की सिफारिशों के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करता हूं । यात्री कर जो राज्यों को मिलेगा उस में वृद्धि कर दी गई है । मैं उसकी सराहना करता हूं । अब राज्य सरकारें अधिक पुल तथा समपार बनायेंगे । ये बहुत महत्व की चीजें हैं । इस बारे में राज्य सरकारों को आधा व्यय उठाना होता है । अब इस सहायता के फलस्वरुप उनके लिये आसान हो जायेगा और अधिक सुरक्षा उपाय किये जायेंगे । वर्षा के दौरान कलकत्ता में दो ऊपर के पुलों में पानी भर जाता है । उन पुलों को और ऊंचा करके नीचे की सड़क को ऊंचा किया जा सकता है ।

मूल्य ह्रास निधि में राशि का बढ़ाना भी हमारे हित में है । रेलवे में यात्रियों के लिये सुविधाओं के बढ़ाने की व्यवस्था का मैं स्वागत करता हूं । मेरा सुझाव है कि समूची उत्तर-पूर्वी सीमा लाइन को सामरिक महत्व की लाइन समझा जाये और उसका विस्तार पाकिस्तान की सीमा के साथ के विभिन्न स्थानों तक किया जाये । इन का प्रतिरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्व है ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Every one would appreciate the work done by the Railways. They have helped a lot in defence effort. The amount earmarked for amenities for passengers is inadequate. We should not have saloons and air conditioned compartments. If we want to establish socialism, we should think of providing more facilities to the passengers of third class. Our soldiers are facing all types of hardships. They are doing duty in the heavy odds. I want that our big officers should also not ask for such facilities as are superfluous. The Ministers and Members of Parliament should travel in third class.

[Shri Yashpal Singh]

I request that a retiring room should be provided at Dehara Dun. It is an important railway station. An over-bridge should be constructed at Roorkee.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : सरकार के विरोधी दलों ने भी रेलवे के काम की सराहना की है। इससे रेलवे की कार्य कुशलता सिद्ध होती है। पूँजी, राजस्व, मूल्य ह्रास, रक्षित निधि तथा विकास निधि के अन्तर्गत काम बहुत अच्छी प्रकार हुआ है। इस में कोई त्रुटि नहीं है। मेरे विचार में किसी और सलाहकार समिति की आवश्यकता नहीं है। यात्रियों को सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये निर्धारित की गई धनराशि बहुत कम है। माननीय मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

पहले विद्यार्थियों और अध्यापकों को रेलवे यात्रा के लिये रियायत दी जाती थी अब वह वापिस ले ली गई है। मैं चाहता हूं कि वह रियायत पुनः दी जाये।

सामरिक महत्व की लाइनों के बारे – फिर से विचार करने की आवश्यकता है। हमें उन लाइनों के बीच भेद करना चाहिये जिन का कभी कभी प्रयोग होता है और उन के बीच जो सदैव ही महत्वपूर्ण है। यात्री-कर से अब राज्यों को अधिक धन मिलेगा। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारें सदैव अधिक स्टेशन स्थापित करने और लाइनें बिछवाने की मांग करती रहती हैं परन्तु वे स्वयं सामान्य सुविधायें प्रदान नहीं करती हैं। रेलवे मन्त्रालय को ऊपर के पुल बनाने का काम अपने हाथ में ले लेना चाहिये। रेलवे मंत्री को सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाना चाहिये और इन विषयों पर निर्णय करना चाहिये। मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

Shri Sarjoo Pandey (Rasra) : Mr. Deputy Speaker, the passengers of the narrow gauge line have to face great difficulties. There are no over-bridges at important stations like Ballia and Barabanki in Eastern Uttar Pradesh but the State Government has not paid any attention towards this matter in spite of the fact that the Centre is ready to provide 50 percent of their cost. There is too much over crowding in third class compartments whereas the air-conditioned coaches are running without passengers, because the fare is so high that the passengers cannot afford to travel in them. Those who have enough money travel by aeroplanes, and therefore the air-conditioned coaches are not serving any purpose.

There is no need of first class, either it should be abolished or this facility should be extended to all. It is not reasonable that while some should be treated as gods and the others as animals. The profit earned by the Railways should be utilized for providing more and more bogies so that the people could travel conveniently.

The General Managers and other high officers of Railways are enjoying even more facilities than those enjoyed by the Members. They have got saloons, peons, servants and other facilities. I know about one officer at Gorakhpur who is very corrupt and incompetent but in spite of that he has been provided with maximum facilities.

I would like to impress upon the Minister that profit accruing from Railways should be utilised for providing more and more amenities to the passengers like construction of over-bridges & convertion of narrow gauge lines into broad gauge ones.

I am sure the Minister of Railways would keep in mind the above suggestions and see that difficulties of passengers travelling on narrow guage line are removed as soon as possible.

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : Mr. Deputy-Speaker, I welcome the recommendations made by the Railway Convention Committee, specially the amount allotted for providing passenger amenities. I would, however, suggest that since the number of passengers has increased, the amount for providing amenities should also be increased from Rs. 3 crores to Rs. 6 crores. It should also be seen that this amount is properly utilised. To-day we find that expenditure incurred on a number of other items such as raising the level of platforms etc. is being met out of this amount though such items do not comes under the category of passengers amenities. This should not be done.

A large number of railway coolies and labourers are engaged on private work of Railway officials though they are getting their pay out of the railway funds. This money should be saved and descipline maintained.

There should be proper co-ordination between the Ministry of Railways and the Ministry of Transport so that all the areas could be covered either by Railway line or road transport for the convenience of the people. In such backward areas, where it is not economical to construct railway lines, roads should be constructed. Parallel running of railway line and road transport is a national loss and this should be avoided and funds saved for expending services of public utility in other areas. To-day we find that a number of buses are being run between Delhi and Ghaziabad in addition to a number of Railway trains. If need be, the number of trains running on this section could be increased. But the buses should be spared for other areas where there is no Railway line. This cannot be done unless there is co-ordination between these two services of public utility.

All narrow gauge lines cannot be converted into broad gauge ones as suggested by some Members. This work should be done gradually so that the whole capital is not blocked in this way and also the people are not made to face any inconvenience.

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur) : Mr. Deputy Speaker, I wulud like to invite the attention of the Government and the Ministry of Railways to this fact that Railways constitute a gigantic business in which the largest capital has been invested by us. The capital at-charge at the end of 1965-66 was Rs. 2,675 crores. We have, Therefore, to consider the rate of dividend being paid by the Railway undertaking to the General Revenues in the context of this huge amount of capital which has been invested in this undertaking.

It may also be pointed out that we want to establish socialistic pattern of society in which more and more private enterprises are to be nationalised and brought under the public sector and in order to feed our economy and for extending the public services, we will have to make money through public sector and this increase our national income to meet the financial requirements. In China and Russia where they are pursuing socialism, 92 percent of the national income is earned through Government undertakings and rest of 8 percent by way of inocme-tax etc. Now the question arises as to how can we earn so much income from our public under-takings here ? It is surprising that while the private enterprises are making huge propfits and declaring

[Shri Sinhasan Singh]

15 per cent dividends even after paying so many taxes, most of the Government undertakings are running at loss. The rate of dividends being paid by the Railway undertaking is very low in comparison to the rate of dividend allowed by the private enterprises. When such is the state of affairs how are we going to establish socialistic pattern of society in our country. It is, therefore, necessary to see that our undertakings in public sector are properly seen so that maximum profits could be made. The Directors and Managers of such Government undertakings should see as to how expenditure can be reduced and income increased even after making available maximum facilities to the public. We should in this connection learn a lesson from Germany. Though it is a very small country but it has made a wonderful progress. We should follow the means which are being adopted by that country and see that Railways are managed so efficietly so as to earn more and more profits so that the rate of dividend payable by the Railways to the general revenues could be increased.

Shri Chandramani Lal Chaudhury (Mahua) : I heartily welcome the recommendations made by the Railway Convention Committee. The Ministry of Railways is doing excellent work and has made enough progress.

The construction of broad gauge line from Samastipur to Darbhanga in Muzaffarpur district of Bihar has greatly benefited the common people of that area. Similarly construction of a broad gauge railway line in the border areas near Champaran touching the border of Nepal, would give much relief to the people of that area. Therefore, both from the point of view of defence as well as people's convenience, it would be better if the line is extended upto the border.

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : श्रीमन्, कई माननीय सदस्य ने यह मत व्यक्त किया है कि रेलवे विभाग को मुनाफा नहीं कमाना चाहिये परन्तु जितना मुनाफा हो उसे यात्रियों को सुविधायें देने तथा दुर्गम क्षेत्रों में रेलवे लाइनें बिछाने पर व्यय कर दिया जाना चाहिये। रेलवे एक बहुत बड़ा उपक्रम है और यदि इस में हानि होती रही तो सामान्य राजस्व द्वारा इसे पूरा करना कठिन हो जायेगा। यह हमारे लिये गर्व की बात है कि भारत उन कुछ देशों में से एक है जो इस व्यवसाय में मुनाफा कमा रहे हैं। लगभग सभी देशों में रेलों के संचालन में हानि हो रही है। यही नहीं, सरकारी क्षेत्र में यह न केवल सब से बड़ा उपक्रम ही है परन्तु इसका प्रबन्ध भी बड़े सुचारु रूप से चलाया जा रहा है। इसीलिये यह उपक्रम अधिकाधिक उन्नति कर रहा है। यदि हम अपनी रेल व्यवस्था की तुलना दूसरे देशों के रेल व्यवस्था से करें तो हमें पता चलेगा कि हमारी रेल व्यवस्था बहुत ही अच्छी है जिसका न केवल हमें गर्व ही है परन्तु दूसरे देश भी इसकी सरहना करते हैं हालांकि मैं मानता हूं कि हमारी व्यवस्था में कई त्रुटियां तथा कमज़ोरियां हैं फिर भी हमें इन त्रुटियों को दूर करने के लिये निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिये जिससे अधिकाधिक लाभ हो। यदि हमें अधिक लाभ होगा तो हम इसका उपयोग सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार के लिये कर सकेंगे। अतः रेलवे मंत्रालय ने आरम्भ में ही जो यह निर्णय किया था कि यह एक लाभकारी व्यवसाय होना चाहिये वह नितान्त ही सही है। मितव्ययता और कार्यकुशलता द्वारा मुनाफे में और भी वृद्धि की जा सकती है।

मैं एक बात का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि इस वर्ष अभिसमय समिति में सभी दलों के सदस्य थे और यह एक संतोषजनक बात है कि इस के बावजूद भी समिति ने

सर्वसम्मति से अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इस प्रतिवेदन में जो सुझाव दिये गये हैं वे वैज्ञानिक आधार पर दिये गय हैं क्योंकि इस समिति में कुछ ऐसे सदस्य थे जो आर्थिक मामलों में बहुत प्रवीण हैं और उन्होंने इन सुझाओं को काफी छानबीन करने के पश्चात स्वीकार किया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि सामान्य राजस्व में कुछ अधिक राशि देने का सुझाव रेलवे प्रशासन द्वारा ही दिया गया था।

श्री अल्वारिस ने कहा कि हम लाभांश के रूप में अधिक राशि नहीं दे रहे हैं और हम अधिक दर पर ऋण लेकर इसे कम दर पर दे रहे हैं। यदि ऐसा है तो निश्चय ही हम सामान्य राजस्व में पर्याप्त हिस्सा नहीं दे रहे हैं। यह सही है कि सरकारी ऋणों पर ब्याज की दर में वर्षानुवर्ष वृद्धि होती जा रही है जब कि हम 31 मार्च, 1964 तक व्यवस्थित कुल पुंजी पर 5.5 प्रतिशत और उक्त तारीख के पश्चात् जुटायी गयी पुँजी पर 6 प्रतिशत ब्याज दे रहे हैं।

इसके अतिरिक्त सदस्यों द्वारा अन्य विभिन्न उपयोगी सुझाव भी दिये गये। परिशोधन का जो सुझाव दिया गया है वह बहुत उपयोगी है। इस पर अभिसमय समिति भी विचार करती रही है और जैसा कि मैंने कल बताया था, भूतपूर्व समिति ने इस सुझाव को मान लिया था परन्तु यह महसूस किया गया था कि इसकी क्रियान्विति कुछ समय के पश्चात किसी उपयुक्त समय पर की जानी चाहिये।

चीनी आक्रमण तथा इस के पश्चात् पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष में जिस कार्यकुशलता से रेलों का संचालन किया गया, यह इस बात का द्योतक है कि हमारी रेल व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है। यदि ऐसी बात न होती तो हम इस बात का स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी क्या स्थिति होती। रेलवे ने इस चुनौती का न केवल कार्यकुशलता से सामना ही किया परन्तु उक्त संघर्ष में वीर गति को प्राप्त हुए कर्मचारियों को प्रतिकर आदि देने के लिये सामान्य राजस्व से कुछ भी नहीं लिया और न ही हमने इसके लिये प्रतिरक्षा अथवा अन्य विभागों की ओर देखा। हम सब के लिये यह एक संतोषजनक बात है।

कई अन्य सुझाव भी दिये गये। इनमें से एक सुझाव, जो श्री सामन्त ने दिया वह यह था कि एक सलाहकार समिति बनाई जाये। इस सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहूंगा कि वास्तव में इस मंत्रालय में पहले ही आठ अनौपचारिक सलाहकार समितियां हैं। एक नया जोन बन जाने पर इन की संख्या में भी एक और समिति की वृद्धि हो जायेगी और इस प्रकार संख्या नौ हो जायेगी। फिर भी मैं इस सुझाव पर विचार करूंगा और यदि समझा गया कि ऐसी समिति की स्थापना से रेलवे को लाभ हो सकता है तो हम इसकी अवश्य स्थापना करेंगे।

हम सैलूनों को हटा सकते हैं जैसा कि श्री यशपाल ने सूझाव दिया है परन्तु इस सम्बन्ध में यह बात समझ ली जानी चाहिये कि इन पर अधिक खर्चा नहीं होता है जिस की बचत कर के समाज के किसी वर्ग विशेष को अधिक सुविधायें दी जा सकें। जहां तक वातानुकूलित डिब्बों का सम्बन्ध है, सभी क्षेत्रीय समितियां बराबर यह मांग करती हैं कि वातानुकूलित डिब्बों में वृद्धि की जाये क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने के लिये हमें विदेशी मुद्रा की भी आवश्यकता नहीं है। हमारा यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि सभी दर्जों में वातानुकूलित डिब्बे हों। हमें अपने स्तर को ऊंचा बनाने का प्रयत्न करना चाहिये न कि नीचा बनाने का। मैं श्री यशपाल सिंह द्वारा व्यक्त की गई चिंता से पूर्णतया अवगत हूं कि निर्धन लोगों को अधिकाधिक सुविधायें दी जायें और ऐसा ही हम कर रहे हैं। वास्तव में तीसरे दर्जे के एक सेक्शन में वातानुकूलित डिब्बों की व्यवस्था कर भी दी गई है और यात्री इसका लाभ उठा रहे हैं।

[श्री स० का० पाटिल]

श्री दी० चं० शर्मा द्वारा अध्यापकों, विद्यार्थियों तथा एच्छिक संगठनों के बारे में दिये गये सुझावों को भी ध्यान में रखा जायेगा।

श्रीमन्, मुझे और कुछ नहीं कहना है हम यात्री कर के स्थान पर जिस राशि का भुगतान कर रहे हैं उससे अन्ततोगत्वा राज्यों को ही लाभ होगा। अन्यथा यदि यह राज्यों पर ही छोड़ दिया जाये कि वे यात्री कर लगायें तो इससे राज्यों पर काफी बोझ बढ़ जायेगा और भिन्न भिन्न राज्यों द्वारा भिन्न भिन्न ढंग अपनाये जाने से इनके बीच कोई समन्वय नहीं होगा। ऐसा तो केवल एक जैसा ढंग अपनाने के लिये किया जाता है। राज्यों को सभपारों और पुलों के निर्माण के लिये अधिक धन की आवश्यकता होती है तो उस की भी व्यवस्था की जाती है। इस प्रयोजन के लिये पहले 12.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाती थी परन्तु अब इस राशि को बढ़ा कर 16.25 करोड़ रुपये कर दिया गया है। प्रत्येक पांचवे वर्ष में इसका पुनरीक्षण किया जाया करेगा और यदि इस प्रयोजन के लिये अधिक राशि की आवश्यकता होगी तो उसकी व्यवस्था की जाया करेगी।

यह शंका व्यक्त की गई है कि राज्य उक्त राशि को इस प्रयोजन पर खर्च नहीं करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य सरकारें हमें अपना पूरा सहयोग देती रही हैं।

इन शब्दों के साथ मैं यह सुझाव दूँगा कि अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में इस संकल्प को सर्वसम्मति से पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा सामान्य वित्त की तुलना में रेलवे उपक्रम द्वारा इस समय सामान्य राजस्व में दिये जाने वाले लाभांश की दर और रेलवे वित्त से सम्बन्धित अन्य अनुषंगी मामलों का पुनर्विलोकन करने के लिये नियुक्त की गई समिति के प्रतिवदन में, जो कि 29 नवम्बर, 1965 को संसद में प्रस्तुत किया गया था, की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*Motion was adopted.*

दिल्ली उच्च न्यायालय विधेयक
DELHI HIGH COURT BILL

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के लिये एक उच्च न्यायालय के गठन, हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र पर उस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तारण तथा उनसे संसक्त विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय"।

श्रीमन्, वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत दिल्ली में पंजाब उच्च न्यायालय का सर्किट बैंच बैठता है ताकि वह दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में उठने वाले मामलों को निपटा सके। सर्किट बैंच पर जो खर्चा होता है वह दिल्ली प्रशासन द्वारा जुटाया जाता है। वास्तव में यहां धन का प्रश्न नहीं है परन्तु प्रश्न इस बात का है कि दिल्ली का जैसे जैसे विस्तार होता जा रहा है उसी प्रकार मुकदमों की संख्या में भी वृद्धि होती जा रही है। अतः इस विधेयक को लाने

का आशय यह है कि दिल्ली में एक अलग उच्च न्यायालय स्थापित किया जाये ताकि यहां के लोग इस का लाभ उठा सकें। भारतीय विधिजीवी संघ की भी यही मांग है कि दिल्ली में एक पृथक उच्च-न्यायालय होना चाहिय। दूसरी बात जिससे प्रेरित होकर यह विधेयक लाया गया है वह यह है कि न्यायापालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाये। अतः यह विधेयक इस दिशा में पहला कदम होगा।

यद्यपि इस समय किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में उच्च-न्यायालय नहीं है, परन्तु संविधान के अनुच्छेद 241 के अन्तर्गत हम संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च न्यायालय स्थापित कर सकते हैं। परन्तु हमें ऐसा करने के लिये कुछ अनषंगिक परिवर्तन करने होंगे। उदाहरणार्थ दिल्ली में कोई राज्यपाल नहीं है और जहां तक उच्च-न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति अथवा न्यायधीशों की नियुक्ति का सम्बन्ध है, वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है अतः हमें "राज्यपाल" शद्व को वहां से हटाना होगा। इसी प्रकार इस विधेयक द्वारा अनुच्छेद 219, 225, 229 और 230 में कुछ रूपभेद किया जा रहा है।

चंकि अनुच्छेद 230 में पहले ही यह उपबन्ध है कि संसद विधि द्वारा किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का किसी संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तार अथवा किसी संघराज्य क्षेत्र को किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर निकाल सकती है, अतः अनुच्छेद 230 में किसी रुपभेद करने की वास्तव में कोई आवश्यकता ही नहीं थी। परन्तु चूंकि संविधान में केवल राज्यों के उच्च-न्यायालयों का उल्लेख है अतः हमने यह सोचा कि हो सकता है किसी समय यह तर्क दिया जाये कि अनुच्छेद 214 के अन्तर्गत ऐसा केवल किसी राज्य के उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में किया जा सकता है न कि किसी संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में। अतः इस सन्देह को दूर करने तथा इस बात को पूर्णतया स्पष्ट करने के लिये इस अनुच्छेद में भी रूपभेद किया जा रहा है।

खण्ड 5 में प्रस्ताविक उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की व्यवस्था की गई है। ऐसे प्रत्येक मुकदमें में, जिसकी मालियत 25,000 रुपये से अधिक हो, व्यवहार सम्बन्धी मूल क्षेत्राधिकार होगा। खण्ड 6 तथा 9 में प्रक्रिया सम्बन्धी उपबन्ध हैं। खण्ड 10 में एक विशेष प्रकार की व्यवस्था की जा रही है कि उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत यदि किसी मामले की सुनवाई किसी अकेले न्यायधीश द्वारा की जायेगी तो ऐसे मामले में डिविज़न बैंच से उसके निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकेगी।

खण्ड 17 एक बहुत ही महत्वपूर्ण खण्ड है। इस में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र इस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा। यह देखने के लिये कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिल्ली आने में कोई असुविधा न हो, हिमाचल प्रदेश के लिये एक सर्किट बैंच की भी व्यवस्था की जा सकती है। आशा है इस विधेयक का स्वागत किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप को याद होगा— मुझे इस बात का ध्यान नहीं है क्या उस समय आप सदन में थे अथवा अध्यक्ष महोदय पीठासीन थे— कि मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था तो उन्होंने उसे आस्थगित कर दिया था कि मैं इसे बाद में उठा सकूंगा।

मैं आपका ध्यान नियम 376, उपनियम (2) के परन्तुक की ओर दिलाता हूं। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि सभा के कार्यक्रम में एकदम परिवर्तन कर दिया गया है। दिल्ली

[श्री हरि विष्णु कामत]

उच्च न्यायालय विधेयक को बीज विधेयक आदि पर प्राथमिकता दी जा रही है। हम इस विधेयक पर इस समय संशोधन प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं हैं।

मुझे हर्ष है कि संघ राज्य क्षेत्रों में से दिल्ली प्रथम क्षेत्र है जहां कि उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की जा रही है।

मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि दिल्ली में उच्च न्यायालय की व्यवस्था करने वाले विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसमें कि 25 सदस्य हों। दिल्ली प्रशासन विधेयक पहले ही संयुक्त समिति को सौंपा जा चुका है।

हालांकि यह इतना महत्वपूर्ण विधेयक है परन्तु इसपर चर्चा के लिये बहुत कम समय रखा गया है। मेरा निवेदन है कि यह समय बढ़ाया जाये।

जिस समय सभा में न्यायाधीश (जांच) विधेयक पुरःस्थापित किया गया था उस समय मैंने यह सुझाव दिया था कि वह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये। सरकार ने मेरा सुझाव मानने से इनकार किया परन्तु जब उनपर सभा की ओर से काफी दबाव डाला गया तो सरकार के लिये कोई विकल्प नहीं रहा और उन्हें विवश होकर वह सुझाव मानना पड़ा। फिर उन्होंने वह विधेयक प्रवर समिति को सौंपने की बजाय और भी अधिक अच्छा कदम उठाया और उसे संयुक्त समिति को सौंपा। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली उच्च न्यायालय विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है जिसका उद्देश्य किसी संघ राज्य क्षेत्र में पहली बार एक महत्वपूर्ण संस्था स्थापित करना है। इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये। क्योंकि यह एक वित्त विधेयक है, इसे संयुक्त समिति को नहीं सौंपा जा सकता। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि वह ऐसी प्रक्रिया अपनाये कि सभी महत्वपूर्ण विधेयक प्रवर समिति अथवा संयुक्त समिति को अपने आप ही सौंपे जायें और इसके लिये किसी प्रस्ताव आदि की आवश्यकता न पड़े। यदि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया तो प्रवर समिति की बैठकों में उसपर ध्यानपूर्वक और शान्तिपूर्ण वातावरण में विचार हो सकता है और आगामी अधिवेशन में हम इस पर सभा में विचार कर सकते हैं।

यदि सरकार मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती तो इस विधेयक पर चर्चा के लिये जो समय नियत किया गया है उसे बढ़ा कर चार अथवा पांच घंटे कर दिया जाये। जो समय अब नियत किया गया है वह बिल्कुल ही अपर्याप्त है और यह सभा के साथ अत्याचार होगा।

इसलिये मैं यह प्रस्तुत करता हूं कि सभा मेरा प्रस्ताव स्वीकार करे।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के लिये कोई समय नियत नहीं किया गया है। क्या इसपर चर्चा के लिये दो घंटे काफी होंगे ? क्या सरकार माननीय सदस्य का प्रस्ताव स्वीकार करेगी ?

श्री हाथी : नहीं, श्रीमन्।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर हम इस विधेयक पर चर्चा के लिये दो घंटे का समय नियत करते हैं।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : यह विधेयक पुरःस्थापित करके माननीय मंत्री ने सराहनीय कार्य किया है। परन्तु मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली की बार कौंसिल में इस बात के प्रति बड़ा असंतोष है कि इस विधेयक के "उद्देश्य तथा कारणों" के विवरण में यह कहा गया है कि वर्तमान व्यवथा असंतोषजनक है। उच्च न्यायालय

की जो "सर्किट बैंच" दिल्ली में कार्य कर रही है वह किसी प्रकार भी भारत के किसी अन्य उच्च न्यायालय से कम नहीं है। भारत में उच्च न्यायालय से तीन ब्रिटिश राष्ट्रजनों का निकट सम्बन्ध रहा है और उन्होंने इस क्षेत्र में सराहनीय काम किया है। मुझे विश्वास है कि यहां "सर्किट बैंच" में कार्य करने वाले न्यायाधीशों आदि पर इस विधेयक में आक्षेप नहीं लगाया गया है।

श्री हाथी : तनिक भी नहीं।

श्री नि० चं० चटर्जी : मैं श्री कामत के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस प्रस्तावित उच्च न्यायालय को अधिकतम शक्ति दी जाये और इसका क्षेत्राधिकार बढ़ाया जाये।

इस सम्बन्ध में एक और महत्वपूर्ण बात है। पंजाब का भविष्य अनिश्चित है। दोनों ओर से तर्क दिये जा रहे हैं। यह मामला अभी तक हल नहीं हुआ है। यदि पंजाबी सूबा बन जाये तो हरियाना को भी इस प्रस्तावित उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाना पड़ेगा। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाये। इस बीच पंजाबी सुबे के बारे में भी निर्णय हो जायेगा और फिर हम इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में भी निर्णय कर सकते हैं। यह वांछनीय है कि हम अगले अधिवेशन तक प्रतीक्षा करें।

दिल्ली सर्किट बैंच का काम अब बढ़ गया है क्योंकि निर्वाचन के सम्बन्ध में यहां हज़ारों की संख्या में लेख याचिकायें दायर की गई हैं।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली में शीघ्र ही उच्च न्यायालय स्थापित किया जाये और न्यायाधीशों की नियुक्ति ईमानदारी से तथा योग्यता के आधार पर की जाये।

कपूर सिंह (लुधियाना) : आरम्भ में ही मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये।

श्री हाथी ने यह कहा है कि यह विधेयक प्रवर समिति को नहीं सौंपा जा रहा है क्योंकि यह अविवादास्पद है। यह धारणा गलत है। दिल्ली के लिये उच्च न्यायालय की व्यवस्था करने के लिये "उद्देश्य तथा कारणों" के विवरण में दिये गये तीनों कारण कोई ठोस कारण नहीं हैं। परन्तु एक चौथा कारण है जिससे प्रभावित होकर सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। वह कारण यह है कि यहां लेख याचिकायें भारी संख्या में दायर की जा रही हैं और यह एक राजनैतिक कारण है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बड़े शान्त वातावरण में विचार किया जाना चाहिये और इस पर इतनी जल्दी निर्णय नहीं किया जाना चाहिये। मैं श्री कामत द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : It is a welcome measure because the present Circuit Bench of the Punjab High Court was not so convenient for the people of Delhi. But I also support the motion moved by Shri Kamath that this Bill be referred to a Select Committee.

The hon. Minister has said that this measure will help in separating executive from judiciary. I would like to submit that this aim could not be achieved in the real sense so long as district magistrates continued to have both the administrative and the judicial powers even if they come under the control of High Courts. In order to separate executive from judiciary, the magistrates should be allotted only the judicial work and not the executive work.

[Shri Ram Sewak Yadav]

The Delhi Administration Bill has been referred to Select Committee. During the discussion on that Bill it was argued by some hon. Members that Delhi should be provided with responsible Government. But the Government did not accede to it. In this connection I would like to submit that the arguments given in the Statement of Objects and Reasons in favour of having a High Court in Delhi are equally valid for having a popular Government in Delhi. The plea that the population of Delhi has increased should be considered for providing a responsible Government for Delhi.

It is desirable that the Courts should deliver justice without fear or favour. But it can only be possible if we respect the courts. But executive steps such as the recent ordinance by the U. P. Government, validating the appointment of Vice-Chancellor, which was in fact directed against the decision of Allahabad High Court, was in the opposite direction; it was against law as there was no provision in law for this action by U. P. Government.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

I would like to submit that all these things should be kept in view while establishing a High Court in Delhi.

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : यह विधेयक एक अविवादास्पद विधेयक है और मेरे विचार में इसे प्रवर समिति को सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इस विधेयक पर विचार करते समय हमें इस ओर ध्यान देना चाहिये कि न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों में सुधार किया जाना चाहिये। इस समय योग्य व्यक्ति न्यायाधीश का पद अस्वीकार कर देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। जब उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी तो न्यायाधीशों का वेतन 4,000 रुपये निर्धारित किया गया था और उस पर आयकर नहीं लिया जाता था। बाद में 1939 तक आयकर बहुत कम रहा, परन्तु अब ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका वकालत का धंधा अच्छा चल रहा है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बनना चाहता। इसलिये मेरा विचार है कि न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों में सुधार किया जाये। तभी योग्य व्यक्ति ये पद स्वीकार करेंगे और इसी प्रकार उचित तरीके से न्याय हो सकता है। आजकल न्यायालयों में काम बहुत बढ़ गया है और न्यायालयों में मामले ले जाने के लिये काफी व्यय होता है। यदि न्याय का स्तर गिर गया तो देश के लिये बहुत खेद की बात होगी। अत: सरकार को उनके वेतन बढ़ाने चाहियें और उनकी पेंशन भी बढ़ानी चाहिये अथवा उन्हें अन्य सुविधायें दी जानी चाहियें ताकि योग्य व्यक्ति नियुक्त किये जा सकें।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : श्रीमान्, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। दिल्ली में, जो कि देश की राजधानी है, उच्च न्यायालय की स्थापना बहुत पहले होनी चाहिये थी।

यह समझ में नहीं आया कि इस विधेयक का मसौदा तैयार करते समय इस बात पर उचित ध्यान क्यों नहीं दिया गया। एक अकेले न्यायाधीश द्वारा अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग के बारे में संदिग्ध उपबन्ध किये गये हैं। इससे कठिनाई उत्पन्न होगी। इसके साथ साथ वसीयत सम्बन्धी क्षेत्राधिकार का भी कोई उपबन्ध नहीं रखा गया है, जो कि बहुत आवश्यक है। विशेष रूप से जब कि प्रारम्भिक व्यवहार क्षेत्राधिकार का प्रबन्ध किया गया है। जिला न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार में यह नहीं होना चाहिये था। जिला न्यायालयों में जमा हो जाने वाले मामलों को दूसरे न्यायालयों में भेजने के बारे में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये। यदि सरकार ने ऐसा न किया तो न्याय सम्बन्धी कठिनाईयां उत्पन्न होती रहेंगी।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिये कि प्रारंभिक सुनवाई के लिये नाममात्र शुल्क लिया जाये न कि पूरा न्यायालय शुल्क। मुकदमा दायर करने और उसकी रजिस्ट्री सम्बन्धी जो प्रक्रिया इंग्लैण्ड में प्रचलित है वह भारत में भी लागू की जानी चाहिये और न्यायालय-शुल्क को सरकार के आय का साधन नहीं समझा जाना चाहिये।

हाल ही के दिनों में राज्यों में यह प्रवृत्ति बढ़ रही है कि न्यायालय-शुल्क में अधिक वृद्धि की जाये जिसका परिणाम यह हुआ है कि जनसाधारण के लिये न्यायालय में मामले दायर करना बहुत ही कठिन हो गया है। नये नियमों के अनुसार बम्बई उच्च-न्यायालय में भी अधिक शुल्क लिया जा रहा है। इस विधेयक में न्यायालय-शुल्क में छूट दिये जाने का उपबन्ध किया जाना चाहिये था।

मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इस विधेयक के सभी उपबन्धों पर ध्यान पूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

इस विधेयक के उपबन्धों को हिमाचल प्रदेश राज्यक्षेत्र में कुछ संदिग्ध शब्दों के प्रयोग द्वारा लागू करना पर्याप्त नहीं है। इस बात का स्पष्टतया उल्लेख किया जाना चाहिये तथा इस बारे में उपबन्ध किया जाना चाहिये कि क्या कौन-कौन सी विशेष विधियां उस राज्य-क्षेत्र में लागू होंगी। दिल्ली में विभिन्न राज्यों के अधिनियम लागू किय जा रहे हैं और इससे कठिनाईयां उत्पन्न हो रही हैं। यह अच्छा होता कि अनुसूची में यह बताया गया होता कि ये कानून लागू होंगे।

भिन्न-भिन्न पहलुओं से इस विधेयक पर ठीक प्रकार विचार किये जाने के अभिप्राय से इसे प्रवर समिति को सौंपा जाये।

Shri Balmiki (Khurja) : Mr. Speaker, I welcome the Bill seeking to provide for constitution of a High Court for Delhi.

In view of the growing population of Delhi and also due to the increasing pressure on the Circuit Bench of the Punjab High Court which has already been functioning here, the setting up of a separate High Court for Delhi had become a necessity. The provision of a High Court for Delhi will also strengthen the objective of separating Judiciary from Executive.

Poor people do not get proper and speedy Justice even in the lower courts due to the malpractices prevalent in them. I want that this High Court should serve as a model for other High Courts and should be free from all such faults.

Even today I would say that poor people in the country are not getting justice because of lengthy procedures and also because it is too expensive. Poor people can not afford to go to the courts. It also takes a lot of time. I would rather say that poor people have lost their faith in the courts. It is, therefore, necessary to see that the cases are disposed of expeditiously and that poor man gets justice without any difficulty. We must also see that common man regains faith in the courts.

Government should also provide facilities to the poor for legal aid and other relevent things so that he might not hesitate going to the courts for want of funds and other things.

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों द्वारा हड़ताल की धमकी—(जारी)

अध्यक्ष महोदय : अब हम कल की स्थगित की गई ध्यान दिलाने वाली सूचना पर विचार करेंग।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मुझे निवेदन करना है कि समाचार पत्रों में कल एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टर 9 तारीख से हड़ताल करने वाले हैं। हम यह सूचना कल देने वाले थे परन्तु हम ने यह उचित समझा कि इस को आज तक प्रतीक्षा करें। आज जब कुछ सदस्यों ने इस हड़ताल के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं दी तो आप ने इस की अनुमति नहीं दी। मेरी प्रार्थना केवल इतनी है कि हमें प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात की अनुमति कैसे दे सकता हूं ? जब एक बार इस को कार्यसूची में शामिल कर लिया गया है तो और सूचना की आवश्यकता नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : यह आर्डर पेपर पर नहीं था।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : Sir, it was on the Order Paper.

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री का ध्यान कल इस सूचना की ओर आकर्षित किया गया था।

स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : मैं ने कल कुछ समाचार पत्रों में पढा था कि यदि सरकार ने 200 डाक्टरों की सेना में अनिवार्य भरती किये जाने के सम्बन्ध में अपने आदेश को वापिस न लिया तो डाक्टर हड़ताल कर देंगे। आज सुबह मुझे हड़ताल के बारे में एक तार प्राप्त हुआ है परन्तु इस बारे में कोई सरकारी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि कुछ डाक्टर अपने कार्य पर उपस्थित नहीं हुए हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम 1 मई, 1963 को प्रकाशित हुए थे और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का गठन 1 जनवरी, 1965 को हुआ था। इस सेवा के नियम 11 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि यदि आवश्यक हो तो इस सेवा में नियुक्त किसी भी व्यक्ति को कम से कम 4 वर्ष तक प्रतिरक्षा सेवा में या इस से सम्बन्धित किसी पद पर कार्य करने के लिय भेजा जा सकता है। इस नियम में यह भी दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने 10 वर्ष की सेवा पूरी की हो तो उस को प्रतिरक्षा सेवा में नहीं भेजा जायेगा और जिस व्यक्ति की आयु, 45 वर्ष की हो गई हो उस को भी प्रतिरक्षा सेवा के लिये नहीं भेजा जायेगा।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय को कुछ डाक्टरों की आवश्यकता थी और प्रत्येक राज्य तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के लिये उस ने कोटा नियत किया था। जैसा कि सभा को मालुम है, प्रतिरक्षा मन्त्रालय को डाक्टरों की बहुत आवश्यकता है और मंत्रालय ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा द्वारा आवश्यक संख्या में डाक्टर दिये जायें। इस मांग और उपर बताये गये नियमों के अनुसार 3–12–65 को कुछ संस्थाओं के मख्याधिकारियों को सूचना दी गई कि 117 अधिकारियों को सेना की "मेडिकल कोर" में सेवा करने के लिये भेजने का फैसला किया गया है डाक्टरों से प्रार्थना की गई कि वे आपात अल्प सेवा आयोग के लिये आवेदन पत्र दें। ये पत्र स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को 8 दिसम्बर, 1965 तक पहुंच जाने चाहिये थे। इन अधिकारियों का इंटरव्यू 13 और 14 दिसम्बर, 1965 को किया जाना था। मुझे विश्वास है कि सभा इस बात से सहमत होगी कि स्वोस्थ्य सेवा के डाक्टरों को स्वेच्छा से सशस्त्र सेनाओं में सेवा के लिये आना चाहिये।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : May I know the number of doctors transferred from the various categories of C.G.H.S. and also whether some special T.A. and D.A. has been granted to those transferred to Nagaland ?

Dr. Sushila Nayar (Jhansi) : At present no one has been transferred but if anybody is transferred he will be promoted with all those special privileges which are provided to the personnel of other services in NEFA or Nagaland.

Shri Yashpal Singh : May I know the number of persons transferred after 15th August, 1965.

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : May I know whether the doctors have been transferred due to defence or other reasons since August, 1965 and if so, the categories covered ? Whether there has been any change in their salary and allowances due to this transfer and whether it was a loss or gain for them ?

Dr. Sushila Nayar : There cannot be any change in their salary and allowances because they will draw the same salary and allowances as they are drawing now. Even if they join Armed Forces they will draw the same salary and allowances.

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : More facilities should be provided to the doctors of lower grades. Keeping this in view whether some strict and comprehensive rules would be framed for recruiting the doctors in the army and sending them to the villages where they hesitate to go ?

Dr. Sushila Nayar : It is a reasonable suggestion. So far as the question of sending them to villages is concerned, C.H.S. in the Union territory is not much concerned with that. But so far as the suggestion of the hon. Member regarding framing of strict rules for recruitment of doctors in the army is concerned, it will be considered fully.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरुदासपुर) : क्या यह सच नहीं है कि डाक्टरों ने सेना में जाने से पूर्व स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक से पत्र लिखकर कुछ शर्तों का स्पष्टीकरण मांगा था ? मेरा विचार है कि यह पत्र 10 या 15 दिन पहले लिखा गया था परन्तु डाक्टरों को कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है यदि इस आरोप में कोई तथ्य है ....

डा० सुशीला नायर : इस में स्पष्टीकरण का कोई प्रश्न नहीं था। असैनिक सेवा में उन की जो कुछ भी सेवा की शर्तें हैं उन सब को सेना के अधिकारी लागू करेंगे। मुझे किसी के बारे में जानकारी नहीं है...

श्री दी० चं० शर्मा : क्या स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक को कोई पत्र प्राप्त हुआ था? क्या डाक्टरों ने स्पष्टीकरण मांगे थे? क्या उन को कोई उत्तर दिया गया था ?

डा० सुशीला नायर : जहां तक मुझे मालूम है हमें कोई पत्र नहीं मिला है जिस में स्पष्टीकरण मांगे गये हों।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : माननीय मन्त्री ने अभी बताया है कि प्रतिरक्षा मन्त्रालय को कुछ डाक्टरों की आवश्यकता थी और कि इन डाक्टरों ने प्रतिरक्षा मन्त्रालय में जाने से इन्कार कर दिया है या वहां जाने से इन्कार कर रहे हैं। क्या माननीय मन्त्री को मालूम है कि दिल्ली के डाक्टरों की संयुक्त कार्यवाही परिषद् के संयोजक डा० शर्मा ने प्रधान मन्त्री को एक पत्र लिखा है जिस में बताया गया है कि यदि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के नियमों को उन की शर्तों के अनुसार बना दिया जाय तो वे सेना की 'मेडिकल कोर' में शामिल होने को तैयार हैं और भी 40 डाक्टरों का इन पुराने नियमों के अन्तर्गत हस्तान्तरण कर दिया गया है यदि यह सच है तो क्या माननीय मन्त्री या उप-मन्त्री डाक्टरों के किसी प्रतिनिधिमण्डल को मिले हैं ?

डा० सुशीला नायर : मुझे न तो डाक्टरों का कोई प्रतिनिधिमण्डल मिला है न ही मैं ने किसी ऐसे प्रतिनिधिमण्डल को मिलने के लिये कहा है। एक डाक्टर ने जो अपने आप को दिल्ली डाक्टरों की संयुक्त कार्यवाही समिति का संयोजक बताते है प्रधान मन्त्री को एक ज्ञापन भेजा है और उस की एक प्रति हमें भी भेजी है जिस में कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किया गया है। परन्तु जिन नियमों के अन्तर्गत डाक्टरों का हस्तान्तरण किया जा रहा है वे चीनी आक्रमण के बाद 1963 में बनाये गये थे।

दिल्ली उच्च न्यायालय विधेयक--(जारी)

DELHI HIGH COURT BILL—*Contd.*

श्री शिंकरे (मरमागोवा) : मेरे विचार में इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का कोई कारण नहीं है। इस समय दिल्ली में पंजाब के उच्च न्यायालय का 'सर्किट बैंच' कार्य करता है परन्तु मेरे विचार में इस विधेयक में यह जो उपबन्ध किया गया है कि दिल्ली में पंजाब उच्च न्यायालय के स्थान पर अलग पूरी शक्ति वाला उच्च न्यायालय स्थापित किया जाये यह एक सुधार ही है। इस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार हिमाचल प्रदेश तक विस्तृत होगा और वहां के लोगों को भी इस से लाभ होगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि न्यायिक आयुक्त का न्यायालय केवल नाममात्र ही उच्च न्यायालय होता है। इस उच्च न्यायालय की स्थापना से हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी पूर्णरूप से उच्च न्यायालय का लाभ प्राप्त हो जायेगा। यह तर्क इस बातकी अनुमति नहीं देता कि क्योंकि पंजाब के भविष्य का प्रश्न अभी हल नहीं हुआ है इस लिये इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये। कम से कम इस संसद में ऐसे विचार प्रगट नहीं करने चाहियें क्योंकि इससे देश में विगठनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। यदि इस विधेयक के खण्ड 17 में 'कोई अन्य क्षेत्र' के शब्द जोड़ दिये जायें तो मेरा विचार है कि भविष्य में पंजाब तथा हरयाना प्रांत के बारे में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को हल किया जा सकता है। मेरे माननीय मित्र श्री उ० मू० त्रिवेदी ने जो तर्क दिया है मेरे विचार में उस से भी इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का कोई कारण नहीं है। मेरा विचार नहीं कि इन बातों का कि न्यायालय शुल्क बहुत अधिक है आदि इस विधेयक से कोई सम्बन्ध है। इस विधेयक का कार्य तो दिल्ली के लिये उच्च न्यायालय की स्थापना करना है। यदि वास्तव में ऐसा महसूस किया जाता है कि न्यायालय शुल्क अधिक हैं और कि आम व्यक्ति उन का बोझ सहन नहीं कर सकता तो न्यायालय शुल्क अधिनियम में उचित संशोधन किया जा सकता है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मेरे विचार से इस विधेयक को प्रारम्भिक अवस्था में प्रवर समिति को सौंपना आवश्यक है ताकि इस विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार किया जा सके। मैं सिद्धान्तरूप से इस बारे में श्री कामत का समर्थन करता हूं।

मेरा विचार है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिये दिल्ली में प्रस्तावित उच्च न्यायालय की स्थापना अधिक लाभदायक सिद्ध नहीं होगी। इस का एक कारण तो दिल्ली से हिमाचल प्रदेश की दूरी है, दूसरे माननीय मन्त्री ने दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना के लिये जो विभिन्न तर्क दिये हैं वे तर्क हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना के लिये भी उतने ही उचित हैं जितने दिल्ली के लिये। यदि हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित नहीं किया जा सकता और वहां के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय को समाप्त करने का विचार है तो वहां 'सर्किट बैंच' स्थापित करने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये अन्यथा हिमाचल प्रदेश के लोगों को बहुत कठिनाई होगी।

हमें यह बताया गया है कि दिल्ली के उच्च न्यायालय को उतना ही खर्च दिया जायेगा जितना की पंजाब उच्च न्यायालय को पंजाब क्षेत्र के लिये दिया जाता है। यह वक्तव्य तो बहुत असंतोषजनक है। मैं जानना चाहता हूं कि इस उच्च न्यायालय का मूल गठन किस प्रकार होगा। इस में कितने न्यायाधीश होंगे और क्या न्यायाधीशों की प्रस्तावित संख्या से उन वादों को जो बहुत दिनोंसे न्यायालय के विचाराधीन है निपटाया जाना सम्भव होगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 230 नये उच्च न्यायालय की स्थापना के विधान के सम्बन्ध में प्रत्यक्षतः लागू नहीं होता इसलिये मुझे दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिये एक नया उच्च न्यायालय स्थापित करने की संवैधानिकता के बारे में कुछ सन्देह है। अनुच्छेद 231 के अन्तर्गत भी ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जिस के अन्तर्गत संसद एक संघ राज्य क्षेत्र के लिये उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। यदि यह मान लिया जाये कि अनुच्छेद 241 में संघ राज्यक्षेत्र के लिये पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार दिया है परन्तु मेरे विचार में इस न्यायालय को दिल्ली का उच्च न्यायालय न कह कर इस को दिल्ली और हिमाचल प्रदेश दोनों का उच्च न्यायालय कहना चाहिये।

मैं माननीय मन्त्री से निश्चित रूप से जानना चाहता हूं कि सरकार गरीबों को कानूनी सहायता देने के बारे में क्या कदम उठाना चाहती है। इन लोगों को जो अपने खर्चे पर मुकदमें लड़ने की स्थिति में नहीं हैं कानूनी सहायता देने के लिये विधि विशेषज्ञों के सक्रिय सहयोग तथा परामर्श से एक योजना बनाई जानी चाहिये। जैसा कि अमरीका में किया गया है इस कार्य के लिये विधि स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों से सहायता प्राप्त की जा सकती है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : दिल्ली के बारे में दो विधेयक पहले ही प्रवर समिति को सौंपे जा चुके हैं। एक विधेयक प्राइवेट स्कूलों के बारे में है और दूसरा दिल्ली के राजनैतिक ढांचे के बारे में।

मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या प्राइवेट स्कूलों का प्रश्न उच्च न्यायालय की स्थापना के प्रश्न से अधिक महत्व का है। यदि नहीं तो माननीय मन्त्री को यह विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपने के सुझाव को मान लेना चाहिये।

इस विधेयक से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तावित उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार हिमाचल प्रदेश तक विस्तृत होगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में दूरी बहुत है इस लिये वहां के लोगों के लिये दिल्ली में आकर अपना मुकदमा लड़ना सुविधाजनक नहीं होगा। इस के अलावा न्यायापालिका के मामले में भावनात्मक एकीकरण जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बना हुआ है, समाप्त हो जायेगा।

श्रीमान्, मेरा विचार है कि इस विधेयक में एक खण्ड इस हेतु होना चाहिये कि जिन लोगों की वार्षिक आय 1800 रुपये से कम है उन को "सीनियर सब-जज" के न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक मुफ्त कानूनी मंत्रणा उपलब्ध हो सके।

Shri Sarjoo Pandey (Rasra) : I welcome the Bill. But I believe that the question of setting up a High Court for Delhi should be kept pending until and unless the question regarding the formation of Punjabi Suba and Hariana Prant is finally settled. It is quite possible that the Union territory of Delhi might be extended in the near future. I, therefore, feel that this Bill should be referred to the Select Committee.

The poor people of Himachal Pradesn cannot afford to come to Delhi to pursue their cases in the courts. It is, therefore, suggested that a circuit branch of the proposed High Court should be set up in Himachal Pradesh, otherwise it will create more troubles for them rather than giving them some relief.

Government should also ensure that poor man in the country gets justice, otherwise their faith in the present day courts would be lost.

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : मैं श्री कामत द्वारा दिये गये सुझाव का समर्थन करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाये। इस के लिये मैं दो बातें कहना चाहता हूं।

एक तो यह कि इस विधेयक का सीधा सम्बन्ध हिमाचल प्रदेश के लोगों से है, इस लिये इस बारे में उनका मत अवश्य लेना चाहिये। इस विधेयक से हिमाचल प्रदेश में पहले से स्थापित न्यायिक नियुक्त का न्यायालय समाप्त हो जायेगा और इस से वहां के लोगों को न्याय पाने में कठिनाई होगी। इस लिये इस बारे में वहां के लोगों की राय जानना आवश्यक है।

दूसरे इस विधेयक की भाषा त्रुटिपूर्ण है। जब हम एक उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में एक विधेयक पास करने जा रहे है तो हमें ध्यान रखना है कि इस की भाषा और प्रारुप ठीक हो। इस लिये सभा को इस बारे में कोई निर्णय देने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिये और इस को प्रवर समिति को सौंप देना चाहिये और इस पर विस्तारपूर्वक विचार करना चाहिये।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 1965/19 अग्रहायण, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 10, 1965/*Agrahayana* 19, 1887 (*Saka*).

भा०स०मु०ना०—से० १—१६ लोकसभा/६६—१-११-६६—६००.